खण्ड ६—अंक ३२
३० अगस्त, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)
(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

224 L.S./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

गुरूवार, ३० अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे में प्रशंसनीय कार्य की मान्यता

†*१५३४. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मानदेय, सराहना पत्र और पदक दे कर असाधारण और उल्लेखनीय कार्यों को विशेष मान्यता देना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक प्रादेशिक रेलवे में ऐसे मामलों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हम सदा से पुरस्कार आदि देते रहे हैं, किन्तु अब हम सभी रेलवेज में एक सा नियम जारी करने का विचार कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१**]

†**श्री झूलन सिंह** : इन सब पुरस्कार आदि पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे की वर्तमान आवश्यकता की ओर दिलाया गया है, हालांकि उस रेलवे में १११५ पुरस्कार दिये जा चुके हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री प्रश्न को समझ गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से बोलने और दुहराने की कृपा करेंगे।

†**श्री झूलन सिंह** : पूर्वोत्तर रेलवे में १११५ पुरस्कार दिये जाने पर भी वहां अब भी इतनी अव्यवस्था क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या भारत की सब रेलवेज़ में ?

†**श्री झूलन सिंह** : पूर्वोत्तर रेलवे में।

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी रेलवे में ?

†**श्री अलगेशन** : पूर्वोत्तर रेलवे में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं गलती से 'पूर्वोत्तर' को 'किसी' समझ लिया था ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : शायद माननीय सदस्य इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि यद्यपि पूर्वोत्तर रेलवे में अवस्था बहुत संतोषजनक नहीं है तथापि निश्चय ही पिछले एक या दो वर्षों में इसमें सुधार हुआ है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : नकद पुरस्कारों के अतिरिक्त क्या उच्च पदों पर पदोन्नति के लिये सराहनीय सेवा को भी ध्यान में रखा जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, हां । हम यह करना चाहते हैं, परन्तु इसके कारण कई बार कर्मचारियों में इतना अधिक असंतोष पैदा हो जाता है कि हम साधारणतया ऐसा करने से बचते हैं, यद्यपि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह सिद्धांत रूप से बिलकुल ठीक है और उसका पालन किया जाना चाहिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : पूर्वोत्तर रेलवे में किन किन महत्वपूर्ण प्रकार के कामों के लिये पुरस्कार दिये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : पुरस्कार अच्छे काम के लिये दिये जाते हैं और अच्छा काम कई प्रकार का होता है ।

श्री रघुबीर सिंह : ड्राइवरों या फोरमैनों को एक्सीडेंट्स (दुर्घटनाओं) को रोकने के लिये अब तक कौन कौन से एवार्ड (पुरस्कार) दिये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस वक्त कोई खास केसिज़ (मामले) मेरे पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आनरेबुल मेम्बर को बता दूं कि जहां पर ड्राइवर या गार्ड बहुत होशियारी से किसी एक्सीडेंट को रोकने के लिये काम करते हैं, उसके लिये उनको मुनासिब इनाम दिया जाता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : यदि कोई रेलवे कर्मचारी कोई मशीनरी संम्बधी नया आविष्कार करता है तो क्या उसे भी इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार दिया जाता है अथवा क्या वह किसी पृथक योजना के अन्तर्गत आता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : प्रत्येक रेलवे में एक आविष्कार तथा सुझाव समिति बनाई गई है । यदि कोई रेलवे कर्मचारी कोई नया आविष्कार करता है या कोई ऐसा सुझाव देता है, जो रेलवे के लिये लाभदायक समझा जाता है उसे उचित मान्यता दी जाती है ।

आदर्श लोक स्वास्थ अधिनियम

†***१५३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्रारूप आदर्श लोक स्वास्थ्य अधिनियम के प्रतिवेदन के संम्बध में अपने विचार भेज दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य सहमत हो गये हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) अब तक बारह राज्य सरकारों ने प्रारूप आदर्श लोक स्वास्थ्य अधिनियम के बारे में अपने मत भेजे हैं ।

(ख) दस राज्य सरकारें आदर्श लोक स्वास्थ्य अधिनियम से सामान्यतया सहमत हैं । शेष दो राज्यों ने कोई विचार प्रकट नहीं किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : सरकार ने इस कार्य में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की है और अभी कितने राज्यों को इस विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने राज्यों को अपने उत्तर भेजने के लिये पुनः प्रतिस्मारक भेजे हैं। इस समय तो हम इस मामले में शीघ्रता करने के लिये केवल इतना ही कर सकते हैं।

†**श्रीमती अ० काले** : आदर्श लोक स्वास्थ्य अधिनियम की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : आदर्श लोक स्वास्थ्य अधिनियम की एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है। वह एक सार वस्तु है और मैं समझती हूं कि मेरा उत्तर सुनने की बजाय उसे पढ़ने से माननीय सदस्यों को अधिक लाभ होगा।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या राज्यों के पुनर्गठन से इस योजना पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यदि आवश्यक हुआ, तो ऐसा हो सकता है, परन्तु इससे योजना में अन्तर नहीं पड़ेगा, परन्तु राज्य सरकारों के विचारों और दूसरी चीजों में अन्तर पड़ सकता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार बता सकती है, कि यदि राज्य सरकारों ने लोक स्वास्थ्य की इस योजना को पूरी तरह कार्यान्वित किया तो कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : किस चीज पर व्यय ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यदि यह पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गई तो इस आदर्श लोक स्वास्थ्य योजना पर कितना व्यय होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : इस समय अनुमानित व्यय बताना असंभव है।

†**श्री राघवैया** : क्या आन्ध्र उन दस राज्यों में से एक है, जिन्होंने इस अधिनियम के बारे में अपने विचार भेजे हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : आन्ध्र से अभी हमें उत्तर नहीं मिला है।

स्टेशन मास्टरों की यूनियन

*१५३७. **डा० सत्यवादी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टर व सहायक स्टेशन मास्टर की यूनियन ने अपने वेतन तथा अन्य आवश्यकताओं के सम्बंध में कोई मांगें सरकार के सामने रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मांगें क्या हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २२**]

डा० सत्यवादी : इस बयान में यह कहा गया है कि चूंकि ये मांगें रेकगनाइज्ड एसोसियेशन की तरफ से नहीं रखी गई, इसलिये उनपर गौर नहीं किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक इन डिमांड्ज के मैरिट्स का ताल्लुक है, क्या उन पर गौर किया गया है कि वे कहां तक ठीक हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी हां, मैरिट्स पर गौर हो रहा है, लेकिन .....

डा० सत्यवादी : क्या यह ठीक है कि रेलवे गार्डज के लिये यह इजाजत है कि वे स्टेशन मास्टर की पोस्ट्स पर ले लिये जायें, लेकिन स्टेशन मास्टर्ज को ऐसी इजाजत नहीं है कि वे उस तरफ जा सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : गार्ड यहां उल्लिखित श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। केवल स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का ही यहां उल्लेख किया गया है। अतः माननीय मंत्री गार्डों के बारे में सूचना चाहते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : स्टेशन मास्टरों को गार्डों के पदों पर पदोन्नत किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल भी तो बनाया जा सकता है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के मूल वेतन में वृद्धि किये जाने की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि इस प्रश्न पर गुणों अवगुणों के आधार पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में कहा है, अब हम वेतन क्रमों के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और स्टेशन मास्टरों की श्रेणी उन श्रेणियों में से एक है जिस पर विचार और परीक्षण किया जा रहा है।

पहियों के लिये रेलवे ठेका

*१५३९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ५ हजार पहियों के सेटों का ठेका भारतीय रेलवे विभाग ने किसी ब्रिटिश फर्म को दिया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जी हां।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस सार्थ को यह ठेका कैसे दिया गया था ? क्या इसके लिये कोई टेंडर मांगे गये थे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : रेलवे में जो सामान्य पद्धति प्रचलित है उसके अनुसार यह ठेका दिया गया था। सार्वभौमिक टेंडर मंगवाये गये थे।

†**श्री राघवैया** : यह ठेका जिस समवाय को दिया गया है उसका नाम क्या है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह मैसर्ज ओवन ऐंड डाइसन लिमिटेड, इंगलेंड को दिया गया था।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जब कि बाहर से व्हील्ज़ (पहिये) मंगाए जा रहे हैं, एन० ई० रेलवे में हजारों की संख्या में वैगन्ज और गाड़ियां नीलाम कर दी गई हैं, जिनके अच्छे अच्छे व्हील्ज काम में लाए जा सकते थे ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस बात पर खास गौर किया जा रहा है और रेलवे बोर्ड ने हिदायत जारी कर दी है कि जहां भी कोई रेलवे वैगन या व्हील्ज हों, जो कि काम दे सकें, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाय और कोई भी सर्विसेबल--काम की चीज--को कन्डेम न किया जाय।

श्री रघुनाथ सिंह : सब से कम टेन्डर कौन कौन से देश का था ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ३२,००० व्हील्ज सैट्स की हमको जरूरत थी, जिनमें से २०,९०० व्हील सैट्स का आर्डर जापान की एक फर्म, मैसर्ज सुमीटोमो, जिसका टेंडर सब से कम था, को दिया गया था। ६१०० व्हील-सेट्स का आर्डर इटली की एक फर्म को दिया गया और उनसे पूछा गया कि आया वह हम को पांच हजार और दे सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने इन्कार किया तो नेक्स्ट (अगले) टेंडर वाले को आर्डर दे दिया गया।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या हमें उनसे कोई आश्वासन मिला है कि वे माल भेजने की अनुसूची के अनुसार माल भेजेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां ।

†**श्री राघवैया** : क्या यह संभव होगा.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस प्रकार प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछते जाना चाहिये जब तक कि मैं उन्हें अनुमति न दूं ।

विमान चालक तथा इंजीनियर

†*१५४०. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत एयरलाइन्स के विमान चालकों और इंजीनियरों की नियुक्ति और सेवा-युक्ति की शर्तें क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीयकरण के उपरांत कितने विमान चालक नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) कितने वाणिज्यिक विमान चालक बेकार हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के राष्ट्रीयकरण के उपरांत ८४ विमान चालक भरती किये हैं और एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने ३१ विमान चालक भरती किये हैं ।

(ग) १ जुलाई, १९५६ को चालू 'बी' लाइसेंस प्राप्त बेकार वाणिज्यिक विमान चालकों की संख्या १७ थी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : विवरण में एयर इंडिया इंटरनेशनल के वर्कर्स मैनेजरों, सुपरिन्टेंडेंटों, डिप्टी इंजीनियरों और मुख्य इंजीनियरों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है । केवल इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के बारे में सूचना दी गई है और एयर इंडिया इन्टरनेशनल के बारे में नहीं । क्या सरकार यह सूचना भी देने की कृपा करेगी ?

†**श्री राजबहादुर** : एयर इंडिया इन्टरनेशनल के इंजीनियरों के बारे में भी विवरण में सूचना दी गई है । यदि यह उसमें नहीं, तो उसे मैं दे दूंगा । मेरे विचार से यह वहां पृष्ठ ५ पर है ।

†**श्री जयपाल सिंह** उठे .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इसे पढ़ने के पश्चात प्रश्न पूछें ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : विमान चालकों के लिये महीना की क्या परिभाषा है ? उनके लिये उड़ान के कितने घंटों का एक महीना होता है ? जब काम के घंटे बढ़ाये जाते हैं तो क्या उनको अतिरिक्त वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

†**श्री राजबहादुर** : विमान चालक एक महीना में अधिक से अधिक १०० घंटे की उड़ान कर सकता है, इससे अधिक वह उड़ान नहीं कर सकता । मैं तुरन्त इसका उत्तर नहीं दे सकता, किन्तु यह १०० घंटे से अधिक नहीं है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैंने विवरण का पृष्ठ ५ पढ़ लिया है और जो सूचना मैंने मांगी है वह उसमें नहीं है । किन्तु माननीय मंत्री ने सूचना देने की प्रतिज्ञा की है । पृष्ठ ५ पर केवल श्रेणी १, श्रेणी २ और श्रेणी ३ के इंजीनियरों का उल्लेख है । वहां चीफ इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर आदि का कोई उल्लेख नहीं है ।

†**श्री राजबहादुर** : शेष सूचना मैं दे दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मुझे ज्ञात हुआ है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल के विमान चालकों को सावधिक प्रविधिक प्रत्यस्मरण पाठ्यक्रम में भाग लेना पड़ता है। इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमान चालकों को यह प्रविधिक प्रत्यस्मरण पाठ्यक्रम क्यों पूरा नहीं करना पड़ता है ?

†**श्री राजबहादुर** : जहां तक मैं जानता हूं, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सब विमान चालकों को प्रत्यस्मरण पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि अधिक उड़ान के घंटों के लिये किस हिसाब से अधिक भुगतान किया जाता है ?

†**श्री राजबहादुर** : यह सब विवरण में दिया गया है—दरें, वेतन, परिलब्धियां, आदि और भत्ते आदि सब कुछ उसमें दिया हुआ है।

†**श्री गि० श० सिंह** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि चालू 'बी' लाइसेंस प्राप्त १७ वाणिज्यिक विमान चालक बेकार हैं। क्या सरकार की कोई योजना है जिससे कि इन बेकार विमान चालकों को विमान चलाने की सुविधायें दी जाएं ताकि वे अपने लाइसेंस को चालू रख सकें ?

†**श्री राजबहादुर** : इन बेकार विमान चालकों को यथाशक्ति काम पर लगाने का हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि मैं प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में पहले बता चुका हूं, इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने ८४ और एयर इंडिया इंटरनेशनल ने ३१ नये विमान चालकों को भरती किया है। जहां तक उनके लाइसेंसों को जारी रखने का प्रश्न है, यह काम विमान चालकों पर छोड़ दिया गया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल की प्रबन्ध व्यवस्था और इंडियन एयर लाइन्स की प्रबन्ध व्यवस्था में इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कोई समन्वय है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल में उपयुक्त नये अभ्यर्थियों की भरती इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के उपयुक्त अभ्यर्थियों में से की जाये ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : वास्तव में, एयर इंडिया इन्टरनेशनल की अधिकतर भरती इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमान चालकों में से की जाती है। दोनों में पूर्ण समन्वय है। दोनों निगमों के सभापतियों की समय समय पर बैठकें होती हैं और वे आपस में चर्चा करते हैं तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल में कमांडरों की कमी संबंधी कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न करते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने हमसे कुछ विशेषज्ञ और विमान चालक आदि भेजने की प्रार्थना की है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनमें से कुछ की, जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बाहर नौकरी के लिये सिफारिश की है ?

†**श्री राजबहादुर** : हमने इस विषय में एक या दो देशों को, विशेषकर इंडोनेशिया को कुछ सहायता दी है। परन्तु यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री जयपाल सिंह** : भरतपुर-सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य के प्रश्न के संबंध में जिसका मैं समझता हूं बड़ा असंतोषजनक उत्तर दिया गया था, मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्यिक विमान चालकों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनिवार्य रूप से सेना में भरती कर लिया जा सकता है—और राष्ट्रीय आपातकाल का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति हमारे पास हैं, उन्हें किसी भी समय आपातकाल के लिये तैयार रहना चाहिये,— मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन विमान चालकों को, चाहे वे १७ हों या अधिक, स्थायी रूप से भरती करने में क्यों हिच-किचाहट कर रही है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब आपातकाल आ जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, हमारी योजना चालू 'बी' लाइसेंस प्राप्त सब विमान चालकों को इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल में भरती करने की है। किन्तु उनके भरती किये जाने से पूर्व, उनको डकोटा चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को विदित है कि हम चालू 'बी' लाइसेंस प्राप्त विमान चालकों को इलाहाबाद में डकोटा चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके फल-स्वरूप हम उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षण देकर भरती कर सके हैं। मुझे विश्वास है कि आगामी ६, ८ महीनों में, चालू 'बी' लाइसेंस प्राप्त सभी विमान चालकों को डकोटा चलाने का प्रशिक्षण देकर और उन सबको इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन में भरती कर लिया जायेगा। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह वाणिज्यिक विमान चालकों की अपेक्षा अव्यावसायिक विमान चालकों पर अधिक लागू होती है। माननीय सदस्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

पश्चिम बंगाल में चक्रवातों के कारण हानि

†*१५४१. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हाल के चक्रवातों में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और २४ परगना जिलों को कुल कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी;

(ख) किस रूप में सहायता दी गई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल कितनी धन राशि की मांग की थी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये अभी तक कोई प्रार्थना नहीं की है।

मैं यह भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को अनुमोदित सहायता कार्यों पर धन खर्च करने का पूरा अधिकार प्राप्त है और वह बाद में केन्द्रीय सरकार को देयक (बिल) भेज सकती है और केन्द्रीय सरकार उस खर्च का यथास्थिति ५० प्रतिशत या ७५ प्रतिशत तक पश्चिमी बंगाल सरकार को वापस कर देगी।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय का ५० अथवा ७५ प्रतिशत दिये जाने पर भी, वास्तव में जो सहायता दी गई है, वह वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत कम है। क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई अनुदेश दिये हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में कितनी सहायता दी जानी चाहिये, अथवा क्या राज्य सरकार अपने प्रमापों के अनुसार सहायता दे सकती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : भारत सरकार ने उन मदों की सूची देते हुए, जिन पर व्यय किया जा सकता है, सामान्य अनुदेश जारी कर दिये हैं, इसने केन्द्र से दी जानी वाली सहायता की मात्रा भी निर्धारित कर दी है, किन्तु कि ी विशिष्ट मामले में कितनी सहायता की आवश्यकता है इसका निर्णय करना राज्य सरकार पर निर्भर होता है।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या केन्द्रीय सहायता की सामान्य योजना के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने चक्रवातों से उत्पन्न अवस्था को देखते हुए पश्चिम बंगाल को कोई विशेष सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सामान्य योजना अत्यन्त व्यापक योजना है। इसमें बहुत अधिक मदें हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता उदारतापूर्वक दी जाती है। इसके अतिरिक्त मैंने पश्चिमी बंगाल को जनता अकाल सहायता प्रन्यास से १५,००० रुपये भेजे हैं और प्रधान मंत्री ने अपनी सहायता निधि से एक लाख रुपये दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत पाकिस्तान रेल यातायात

†*१५४२. **सरदार अकरपुरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और भारत के बीच रेल मार्गों पर यातायात के बारे में क्या वित्तीय प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान ने इस यातायात के बारे में अपने समस्त वित्तीय दायित्व पूरे कर दिये हैं;

(ग) क्या माल और सवारी गाड़ियों के लिये हिन्दुमलकोट मार्ग को खोलने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ग) और (घ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण में जिस वित्तीय दायित्व का उल्लेख है, उसमें कितनी धन राशि अभी वसूल की जानी है ?

†**श्री अलगेशन** : दावे और प्रति दावे बहुत समय से निलम्बित पड़े हैं। अतः मैं ठीक आंकड़े देने में असमर्थ हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उचित समय में भुगतान करने के बारे में पाकिस्तान सरकार ने कोई आश्वासन दिया है ?

†**श्री अलगेशन** : इस सम्बंध में मुख्य कठिनाई रुपये के अवमूल्यन के कारण उत्पन्न हुई है। जब हमने रुपये का अवमूल्यन किया था, पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया था। फल-स्वरूप पाकिस्तान द्वारा किये गये दावों में अत्यधिक मुद्रा स्फीति हो गई, जिसे हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अभी इन बातों पर विचार किया जा रहा है और बार्ता हो रही है।

रेलवे डिवीजन

*१५४३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन के भूतपूर्व बी० के० एस० रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता और तरक्की के बारे में रेलवे मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियम रेलों के मिलाये जाने और पुनर्वर्गीकरण से पहले की भूतपूर्व बी० के० एस० रेलवे प्रणाली में चल रहे तरक्की के नियमों के अनुसार बनाये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व बी० के० एस० रेलवे के कर्मचारियों ने इस प्रकार के बनाये गये नियमों के विरोध में अभ्यावेदन भेजे हैं; और यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहानवाज खां) : (क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड के बनाये हुए नियम सभी पुनर्गठित रेलों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

(ख) कोई अर्जी नहीं आई है।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या माननीय रेलवे मंत्री को यह मालूम है कि सरकारी दफ्तरों में जो प्रान्तीयता और जातीयता को स्थान दिया जाता है उसी कारण से बीकानेर डिवीजन के भतपूर्व बी० के० एस० रेलवे कर्मचारियों की समस्या हल नहीं होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज़ खां : इसकी हमें खबर नहीं है।

श्री प० ला० बारूपाल : आप इसकी जांच कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच की जाये।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या राज्य रेलवे अफसरों को भूतपूर्व सरकारी रेलवे कर्मचारियों की अपेक्षा कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पदोन्नति के मामले में सरकारी रेलवे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : किसी भी श्रेणी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है । पुनः वर्गीकरण के समय छः वरिष्ठता समितियां नियुक्त की गई थीं, प्रत्येक रेलवे के लिये एक एक और उन्हें वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये सर्वाधिक न्यायोचित उपाय के बारे में प्रतिवेदन देने को कहा गया था और उन्होंने अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ से परामर्श किया था। उनके परामर्श से हमारी रेलवेज़ के महाप्रबन्धकों को अनुदेश जारी किये गये थे। यह स्थिति है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उस बोर्ड की सिफारिशों को अपनाया गया है अथवा क्या सरकार ने बोर्ड की सिफारिशों के संबंध में अपने ही निर्णय किये हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमारी रेलवेज़ की स्थिति में एकरूपता लाने के लिये रेलवे बोर्ड ने सभी रेलों को समान अनुदेश जारी किये थे और उन का पालन किया जा रहा है। अनुदेशों को जारी किये जाने के उपरांत कुछ रेलवेज़ द्वारा कुछ अनियमताओं की सूचना दी गई थी। ऐसे मामलों में रेलवे बोर्ड ने उन अनियमिताओं को दूर करने के लिये समुचित कार्यवाही करने के अधिकार महाप्रबन्धकों को दिये थे और उन्होंने ऐसा किया भी है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा था। मैं जानना चहता हूं कि क्या उस विशेष समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा अपनाया गया है अथवा क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों के सम्बंध में अपने ही निर्णय किये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : शायद माननीय सदस्य के मन में कोई भिन्न बात है। अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रश्न पर एक समिति ने विचार किया था। इसमें बोर्ड के वे सदस्य, जो कर्मचारियों के मामलों के प्रभारी और गृह सचिव आदि थे तब कुछ परिवर्तन किये गये थे।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या भूतपूर्व सरकारी रेलवे कर्मचारियों ने सरकार को पुनः अभ्यावेदन किया है और क्या उन अभ्यावेदनों का निपटारा किया जा चुका है, और यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कुछ समय पूर्व कुछ अभ्यावेदन किये गये थे। परन्तु जब से कि हमने अन्तिम निर्णय किया है, हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

परिवार आयोजन

†*१५४४. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परिवार आयोजन अनुदान समिति द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है और उसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) परिवार आयोजन के लिये कितने नये केन्द्र, राज्यवार खोलने की प्रस्थापना है;

(ग) इस विषय विशेष में चिकित्सा व्यवसाइयों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं अथवा करने की प्रस्थापना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) गर्भ निरोधकों के निर्माण के सम्बंध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं अथवा योजनायें बनाई गई हैं; और

(ङ) विशेष रूप से जन संख्या सम्बंधी समस्या को हल करने के सम्बंध में उनको हाल ही के अमरीका और जापान के दौरे से क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में २००० और नगरीय क्षेत्रों में ५०० परिवार आयोजन केन्द्र खोलने की प्रस्थापना है। अभी इन केन्द्रों के राज्यवार वितरण के सम्बंध में निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) सामाजिक कार्यकर्ताओं, डाक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, नर्सों इत्यादि को प्रशिक्षण देने के लिये एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन कर दिया गया है। इस केन्द्र को शीघ्र ही बम्बई में स्थापति करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एक आन्तरिक उपाय के रूप में, विभिन्न स्थानों पर इस कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त किये गये एक विशेष अधिकारी के अधीन अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में ६-७-१९५६ से एक तीन सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें ३२ अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

(घ) यांत्रिक गर्भ निरोधकों के निर्माण की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) संयुक्त राज्य अमरीका में जन संख्या सम्बंधी कोई समस्या नहीं है। जापान में यह समस्या बहुत उग्र है और वहां की सरकार विभिन्न तरीकों से इस समस्या को हल कर रही है।

†**श्री गिडवानी** : माननीय मंत्री के ट्रोकियो से वापस आने पर यह कहा गया था कि जापान परिवार आयोजन आन्दोलन में बहुत ही उत्साहवर्धक प्रगति कर रहा था और उसकी योजनायें सफल हो रही थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि स्थिति क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : मुझे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ केन्द्रों का दौरा करने का अवसर मिला था। वहां की सरकार इस कार्य को गत आठ वर्षों से कर रही है और कम से कम उसने इस बात में सफलता अवश्य प्राप्त की है कि उसने वहां की जनता को परिवार आयोजन के प्रति आकर्षित कर दिया है और कोई भी तीन बच्चों से अधिक उत्पन्न करना नहीं चाहता है। मुझे यही उत्तर दिये गये थे। वह विभिन्न तरीकों से आयोजन कर रही है और उसने गर्भपात को वैध बना दिया है। सबसे पहली कार्यवाही वहां की सरकार ने यह की है। परन्तु अब वह अपनी इस कार्यवाही पर पछता रही है और अब यांत्रिक तथा रासायनिक गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल, स्वास्थ्य शिक्षा, मदन-तरंग प्रणाली तथा सस्ते रासायनिक गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है।

†**श्री गिडवानी** : क्या भारतीय गवेषणा केन्द्र में गर्भ निरोधकों के मूल्यांकन के लिये कोई विभाग खोला गया है और इस सम्बंध में कोई गवेषणा कार्य किया गया है, और यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : अभी परिणामों के संबंध म बताना समय से बहुत पहले की बात है। पर अभी तक उसने जो भी प्रस्थापनायें की हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बंसल** : क्या भारत सरकार भी जापान की भांति, जिसने अपने कुछ क्लिनिकों में उन व्यक्तियों के, जो स्वेच्छा से स्वयं को वन्ध्या करना चाहते हैं, वन्ध्यीकरण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की है, इसे अपने परिवार आयोजन योजना का एक अंग बना रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विभिन्न तरीकों, यांत्रिक, रासायनिक अथवा वन्ध्यीकरण के व्योरों में जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह बात अगर इसी तरह चलती रही तो कहां जाकर खत्म होगी। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह संसद् सदस्यों के लाभार्थ एक पुस्तिका प्रकाशित करें। मैं यह मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु जहां तक किसी प्रविधिक विषय का सम्बंध है हम केवल यही पूछ सकते हैं कि क्या पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है। जब हम अस्पतालों के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या हम यह पूछते हैं कि अमुक औषधि वहां है या नहीं ? हम अग्रेतर व्योरे में नहीं जाते हैं। इन परिस्थितियों में हमें इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये कि यह यांत्रिक है, रासायनिक है या वन्ध्यीकरण है। अब मैं अगले प्रश्न को लूंगा।

†**श्री राघवैया** : सूचना के हेतु.....

†**अध्यक्ष महोदय** : और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : पिछला प्रश्न तो प्रश्न की भ्रान्त धारणा मात्र.....

†**श्री बंसल** : यह एक बहुत ही महत्व का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नीति पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और उसे कार्यान्वित भी किया जा चुका है और इसलिये सरकार इच्छुक व्यक्तियों की सहायता करने के लिये हज़ार से ऊपर केन्द्र खोलने जा रही है।

कांडला पत्तन

†***१५४५. श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन में दो और जल-कोष्ठ बनाने की योजनायें भारत सरकार को भेज दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन योजनाओं को मंजूरी दे दी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**श्री गिडवानी** : मामले का कब तक निर्णय होगा ?

†**श्री अलगेशन** : इसका शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्लाक इकट्ठे करने वाली मशीन खाली पड़ी रहेगी और उसे उखाड़ना पड़ेगा जिससे सरकार को बड़ी भारी हानि होगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह भी एक कारण है जिससे वे अभी दो जल-कोष्ठ बनाना शुरू करना चाहते हैं। इन वर्तमान ठेकेदारों के पास काम के लिये आवश्यक मशीने हैं। यदि उन्हें उखाड़ कर ले जाया गया तो उससे उस कार्य पर लागत बढ़ जायेगी।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या यह जल-कोष्ठ[1] समुद्र में जाने वाली स्टीमरों के लिये काम करेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महागुजरात में यही केवल एकमात्र बड़ा पत्तन होगा, इसे सबसे अधिक प्राथमिकता देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Berths

†**श्री अलगेशन** : मैं आपका प्रश्न नहीं समझा।

†**श्री वेलायुधन** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांडला पत्तन के सम्बंध में किया जा रहा कार्य अधिक मंद गति से नहीं चल रहा है ? इसे पहले तो सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी थी ताकि इसे महागुजरात का एक सबसे बड़ा पत्तन बनाया जा सके, जैसा कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने कहा था।

†**श्री अलगेशन** : महागुजरात का प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को तो व्यर्थ में ही जोड़ दिया गया है। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या वहां पर काम बड़ी मंद गति से चल रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : काम तो अत्यंत संतोषजनक गति से चल रहा है। चार जल-कोष्ठों में से दो कोष्ठ तो इस अक्तूबर में खुल जायेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यदि मंजूर योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया तो उस पर खर्च कितना होगा ?

†**श्री अलगेशन** : उस पर लगभग ३३० लाख रुपये के खर्च होने का अनुमान है। उस पर अभी विचार हो रहा है।

बामन्या स्टेशन

*१५५२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्री को जब वह बांसवाड़ा-रतलाम लाइन की सर्वे का उद्घाटन करने गये थे तो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कोई ज्ञापन पेश किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बामन्या स्टेशन की, इसके महत्व को विशेष रूप से देखते हुए, मांगों को पूरा करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). जी हां; रेल का इस्तेमाल करने वालों के लिये बामन्या स्टेशन पर सुविधायें देने के सम्बंध में कुछ मांगें रखी गयी थीं। जहां तक हो सकेगा इन्हें पूरा किया जायेगा।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि उन मांगों में से एक मांग वहां पर एक वेटिंग रूम बनाने की भी थी ?

श्री शाहनवाज खां : उन मांगों में तो वेटिंग रूम की मांग शामिल नहीं थी, लेकिन अब आप करना चाहते हैं तो आप को इजाजत है।

नौवहन

†*१५५३. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में भारतीय समुद्री जहाजों द्वारा कुल कितने टन सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था;

(ख) उसी अवधि में विदेशी जहाजों द्वारा कुल कितने टन सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) भारतीय लोगों द्वारा भारतीय सामान को विदेशों को भेजने के लिये विदेशी जहाजों को कितना किराया भाड़ा दिया गया है; और

(घ) सरकार ने भारतीय सामान को भारतीय जहाजों के द्वारा ही ले जाने की स्थिति को उन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २६**]

†**श्री मात्तन** : विवरण में विदेशी समुद्री जहाजों के बारे में ही सूचना दी गई है। प्रश्न यह है कि उसी अवधि में विदेशी जहाजों में कुल कितने टन सामान ले जाया गया था। मैं समझ नहीं सका कि समुद्री जहाजों का उल्लेख करने में क्या सार्थकता है। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पांच वर्षों में लगभग कुल कितना किराया भाड़ा अदा किया गया था ?

†**श्री अलगेशन** : इस एक प्रश्न के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। मैंने विवरण में लिख दिया है कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**श्री मात्तन** : वह राशि लगभग कितनी होगी ?

†**श्री अलगेशन** : मैं यह संकेत कर देना चाहता हूं कि इस समय भारत अपने जहाजों के द्वारा अपने समुद्र-पारीय व्यापार का केवल ५ या ६ प्रतिशत सामान ही ले जाने में समर्थ है। शेष सामान अन्य देशों के जहाजों द्वारा ले जाया जाता है।

†**श्री मात्तन** : इस समय विश्व का इस प्रकार का कुल सामान लगभग १००० लाख टन है, अर्थात् युद्ध पूर्व काल का ५० प्रतिशत भाग। भारत के भाग का सामान ०·५ प्रतिशत है। क्या मंत्री जी और अधिक जहाज प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ताकि हम अपने इस्पात आदि को स्वयं ले जा सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी कार्य सम्बंधी सुझाव हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: उपमंत्री जी ने यह कहा है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है।क भारत द्वारा विदेशी जहाजों को कुल कितना किराया भाड़ा दिया गया है। तो नौवहन के संबंध में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में किस आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है; क्या इस वित्तीय तत्त्व के आधार पर कि हम कितनी वैदेशिक मुद्रा बचा सकेंगे, अथवा केवल प्रविधिक दृष्टि के आधार पर ?

†**श्री अलगेशन** : हमारा उद्देश्य यह है कि हम भारत के कम से कम ५० प्रतिशत व्यापारिक सामान को अपने जहाजों पर ही ले जा सकें, और उस दिशा में हम प्रगति भी कर रहे हैं। हमने अभी बहुत अधिक प्रभारी उन्नति तो नहीं की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में किये गये प्रयत्न सभा के सामने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें यह आशा है कि हम अपने समुद्र-पारीय व्यापारिक सामान का कम से कम १० या १२ प्रतिशत भाग स्वयं ले जा सकेंगे। उसके लिये व्यवस्था की गयी है, परन्तु वित्तीय तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए ही वैसा किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह था कि उसका आधार क्या था ? लक्ष्यों को हम जानते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग ही आधार था, वह आधार न तो विदेशी विनियम था और न ही किराया भाड़ा। मंत्री जी ने बताया है ५० प्रतिशत। इसके अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है। मैं तो यही समझा हूं।

†**श्री राघवैया** : क्या 'कैपिटल' और 'कामर्स' जैसे व्यापारिक पत्रिकाओं में दी गयी यह जानकारी सच है कि भारत सरकार पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष ७० से ९० करोड़ रुपया किराये भाड़े के रूप में विदेशी समवायों को अदा करती रही है, और क्या हम आगामी दो या तीन पंचवर्षीय योजनाओं में नौपरिवहन की दृष्टि से स्वावलम्बी बन जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : मैंने इस पत्रिका को नहीं देखा है। हो सकता है कि इसमें दिये गये प्राक्कलन लगभग ठीक हों। हम अपने नौवहन भाड़ों पर बड़ी भारी राशि अदा कर रहे हैं। और वह राशि विदेशों को जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या हम आगामी दो या तीन योजनाओं में ५० प्रतिशत की पूर्ती कर लेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : हमारा लक्ष्य पहले ही २० लाख टन है। द्वितीय योजना के अन्त तक ९ लाख टन हो जायेंगे और तृतीय योजना के अन्त तक २० लाख टन हो जायेंगे।

†**श्री राघवैया** : क्या सरकार को मालूम है कि हमारे देश में विकास के परिणामस्वरूप नौवहन स्थान के संबंध में हमारी कुल मांग बढ़ जाएगी और क्या सरकार ने नौवहन संबंधी प्राक्कलनों में इस विकासी कार्य को भी ध्यान में रखा है ?

†**श्री अलगेशन** : निःसंदेह उस पर विचार किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो माननीय सदस्य को सुझाई देता है वही स्वयं सरकार को भी सुझाई देना चाहिए।

†**श्री मात्तन** : क्या मेरी यह जानकारी ठीक है कि प्रथम योजना की अवधि में सरकार अपने गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र में, नौवहन क्षमता में १४,४३३ टन के केवल दो जहाज, बढ़ा सकी थी।

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार में यह जानकारी ठीक नहीं है। हम चाहते थे कि भार क्षमता ६ लाख टन तक ले जायें। हम इस प्रयत्न में लगभग सफल हुए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भार क्षमता ४८०,००० टन थी। कुछ व्यादेश लम्बित थे। इस वर्ष की अवधि शेष भार क्षमता हम प्राप्त कर लेंगे। हमने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री मात्तन** : श्रीमान्, एक और प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

बारबोलगंज–बैहराइच लाइन

†***१५५८. श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री आय-व्ययक भाषण में दिए गए अपने इस वक्तव्य की ओर, कि बारबोलगंज (गोरखपुर जिले में) से बैहराइच तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण किया जाएगा, ध्यान देंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा किया जाएगा और यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : आय-व्ययक भाषण में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। तथापि इस प्रस्ताव को नोट कर लिया गया है और यदि योजना-काल में नई लाइनों के निर्माण के लिये अधिक निधियां प्राप्त हुईं तो उस समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

श्री सिंहासन सिंह : अगर बजट स्पीच में नहीं तो माननीय मंत्री जी ने बजट पर हुई बहस का उत्तर देते हुए यह कहा था कि बारबोलगंज और बैहराइच के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिये सर्वे किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह काम शुरू होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य किसी अन्य भाषण की ओर निर्देश कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उन्होंने यह कहा है कि आय-व्ययक भाषण में कोई निर्देश नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब फिर निर्देश कहां किया गया था ?

†**श्री सिंहासन सिंह** : वाद-विवाद का उत्तर देते हुए उन्होंने ऐसा कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो ठीक है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : बजट स्पीच में इसका कोई जिक्र नहीं था। माननीय सदस्य वकील हैं और वह समझ सकते हैं कि बजट स्पीच में और बजट रिप्लाई में क्या फर्क है। जो जवाब दिया गया था उसमें कुछ कहा गया था।

श्री सिंहासन सिंह : इस अन्तर से क्या परिणाम में फ़र्क पड़ जाता है ? मैं जानना चाहता हूं कि सर्वे करने का काम कब शुरू होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को मालूम है कि कब काम शुरू होगा लेकिन आप मुझ से बार बार कहलवाना चाहते हैं। ख्याल है कि सर्वे का काम कुछ ही महीनों में हम शुरू कर सकेंगे।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : हाल ही में यू० पी० के किन किन स्थानों में रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये।

लदान

†*१५५९. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५५ की अवधि में राज्य और केन्द्रीय सरकारों के अधीन समवायों तथा निगमों द्वारा, भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों के खाते में लदान की कुल कितने टन मात्रा का आयात हुआ था और इस प्रकार जो माल विदेश भेजा गया उसके लिये भाड़े की कुल कितनी रकम दी गई थी;

(ख) १९५०–५५ की अवधि में भारत के तटीय व्यापार में भारतीयों द्वारा भाड़े पर लिये गये जहाजों से लदान की कुल कितनी मात्रा ले जाई गई थी और चार्टर के लिये भारतीयों द्वारा जो चार्टर भाड़ा दिया गया था उसकी तुलना में उस लदान पर कितना भाड़ा अर्जित किया गया था; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में और समाप्त होने पर भारत के पास कितने टन नौवहन क्षमता थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९५१ और १९५२ वर्ष में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व और/या नियंत्रण के अधीन जिस लदान का आयात या निर्यात हुआ था केवल उसी के आंकड़े प्राप्य हैं। लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २७**]। बाद के वर्षों के संबंध में ऐसी ही जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ग) क्रमशः ३,९०,००० तथा ४,८०,००० सकल टन।

†**श्री मात्तन** : क्या तटीय व्यापार में वृद्धि को देखते हुए सरकार की यह नीति है कि तटीय यातायात के लिए जहाजों को भाड़े पर लेने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : तटीय नौवहन समवायों को कुछ शर्तों के अधीन भाड़े पर जहाज लेने की अनुमति दी गई है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या भार क्षमता में वृद्धि करने के लिये द्वितीय योजना की अवधि में एक अन्य नावांगण की व्यवस्था की जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : पिछले दिन उत्पादन मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और कहा था कि वह इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री राघवैया** : क्या हम भाड़े की रकम का एक अधिकतर भाग, अर्थात् ७० से ८० प्रतिशत केवल इंगलिस्तान को ही दे रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का सम्बंध लदान की मात्रा से है। इसमें भाड़े की चर्चा नहीं है।

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के पास भाड़े पर जो ९० करोड़ के लगभग रकम खर्च की जाती है उसका ब्योरा नहीं है।

†**श्री राघवैया** : मेरा प्रश्न बहुत ही सरल है। अपने आयात निर्यात व्यापार में हम भाड़े के दाम के रूप में जो कुल रकम दे रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इसका एक अधिकतम भाग इंगलिस्तान को जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले यह जानना चाहते थे कि क्या वह रकम का ७० से ८० प्रतिशत तक है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या नौवहन सुविधाओं में कमी को देखते हुए सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि अपने विदेशी तथा तटीय व्यापार के लिये जिन देशों के पास जहाज प्राप्य हैं उनसे पट्टे पर जहाज लिये जायें ?

†**श्री अलगेशन** : हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा देश पट्टे पर जहाज देना चाहता है। निःसंदेह विदेशी तथा तटीय नौवहन समवाय, जब वित्तीय परिस्थितियां अनुकूल हों, तब अपने प्रयोजनों के लिये अन्य जहाजों को भाड़े पर लेते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इंगलिस्तान के अतिरिक्त और भी ऐसा कोई देश है जो हमें कम दर नौवहन सुविधायें दे रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सका हूं। कम दर पर नौवहन सुविधाओं से उनका अभिप्राय क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे देश जो संसार में अन्य देशों द्वारा ली जाने वाली दर की तुलना में भाड़े की निम्न दर लेते हैं।

†**श्री अलगेशन** : यदि माननीय सदस्य का यही प्रश्न है तो दर सम्मेलनों द्वारा नियत किये जाते हैं और वे तत्सम्बंधी मार्गों पर एक जैसे लागू होते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का भारतीय शिपिंग पर क्या असर होगा, क्या आपने इस पर भी विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह तो बड़ा नाजुक सवाल है। इसका क्या फैसला होगा, यह हमें पता नहीं है। लेकिन कोई डर नहीं है कि हमारा कोई नुकसान होने वाला है।

सलम्बर (तार सुविधा)

†*१५६०. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलम्बर एक ऐसा परगना सदर मुकाम है जहां तार तथा टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां इन सुविधाओं की व्यवस्था का काम शीघ्रता से करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वह कब पूरे होंगे और कब से काम करेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सलम्बर में तार तथा टेलीफोन की सुविधायें देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : यह प्रस्ताव कब दिया गया था और कितने समय से यह अनिश्चित पड़ा है ?

†**श्री राजबहादुर** : जुलाई १९५६ में हमें सूचना मिली थी कि सलम्बर परगना सदर मुकाम घोषित कर दिया गया है। उससे पहले यह केवल तहसील सदर मुकाम था। अतः टेलीफोन या सार्वजनिक टेलीफोन का प्रश्न पहिले उत्पन्न नहीं हुआ। अब हम विचार कर रहे हैं और यथाशीघ्र सुविधा देने का प्रयत्न करेंगे।

डाक और तारघर की इमारतों का निर्माण

†*१५६१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री उस भाषण के सम्बंध में, जो ११ मार्च, १९५५ को संचार उप मंत्री ने डाक व तार वित्त के पृथक्करण सम्बंधी संकल्प पर दिया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में इमारतों के निर्माण सम्बंधी कौन कौन सी कार्यवाही और प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है;

(ख) ११ मार्च, १९५५ से आज तक कार्यालयों की और रहने की, कितनी इमारतें बनी हैं;

(ग) उनमें से कितनी विभाग ने बनाई हैं और कितनी केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने; और

(घ) निर्माण कार्यों के लिये डिवीजनल इंजीनियरों तथा विभागीय अधिकारियों को कितने धन तक की अनुमति देने के अधिकार दिये गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २८**]

†**श्री स० चं० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री कहते हैं कि १-४-१९५५ से ३१-३-१९५६ तक के काल में ८८७ क्वार्टर बनाये गये। मैं जानना चाहता हूं कि १९५५-५६ के वर्ष के लिये लक्ष्य क्या था ?

†**श्री राजबहादुर** : इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : एक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर तथा एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति होने पर, कार्य कैसा हो रहा है ?

†**श्री राजबहादुर** : अच्छे नियंत्रण के लिये यह किया गया था। वास्तव में, अब अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के अधीन केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का यूनिट कार्य की प्रगति के लिये उत्तरदायी होगा और उस के लिये केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी होगा। यह डाक और तार के लिये केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के एक विशिष्ट यूनिट की व्यवस्था करती है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में माननीय मंत्री कहते हैं कि १९५५–५६ में प्रायः सारा काम केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने किया था। क्या मैं यह समझूं कि विभाग ने कोई कार्य नहीं किया ? यदि कुछ किया गया था तो वह कितना था ?

†**श्री राजबहादुर** : विभागादि आधार पर भवन निर्माण करने का अधिकार बहुत छोटे कामों के लिये है तथा क्वार्टर और डाक घरों की इमारतों और डाक व तार की अन्य इमारतों के निर्माण जैसे बड़े सारे कार्य केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा होते हैं। इसी कारण उत्तर ऐसा है।

मजूरी भुगतान अधिनियम

†*१५६३. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि २३ जुलाई १९५६ के 'इंडियन वर्कर' में छपा है क्या बम्बई के उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायासन ने निर्णय दिया है कि मजूरी भुगतान अधिनियम रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे मजदूरों को सुरक्षा पुनः प्रदान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). उस विशिष्ट मामले के निर्णय से यह अर्थ नहीं निकलते कि मजूरी भुगतान अधिनियम इस रूप में रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि इस निर्णय का परिणाम यह होगा कि रेलवे मजदूरों को मजूरी भुगतान अधिनियम से कोई लाभ नहीं होगा और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री आबिद अली** : मजूरी भुगतान अधिनियम का लागू हो सकना ज्यों का त्यों रहेगा। निर्णय से स्थिति में अन्तर नहीं आता क्योंकि इस विशिष्ट निर्णय का सम्बंध एक मुअत्तिल किये गये कर्मचारी से है जिसे मुअत्तिली के दिनों में निर्वाह भत्ता दिया गया था। उस काल के लिये उस पर मजूरी भुगतान अधिनियम नहीं अपितु रेलवे की सेवा की शर्तें लागू हुई थीं। अतः स्थिति में परिवर्तन नहीं होता।

†**श्री त०.ब० विट्ठलराव** : मजूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है क्योंकि छः या सात मास पूर्व हमें आश्वासन दिया गया था ?

†**श्री आबिद अली** : प्रस्ताव में पर्याप्त प्रगति हुई है।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार को विदित है कि बम्बई के उच्च न्यायालय के एक विनिश्चय में कहा गया था कि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वृद्धि में कटौती नहीं होनी चाहिये ? यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम साधारणतया मजूरी भुगतान अधिनियम की जांच कर रहे हैं अथवा जहां तक यह रेलों पर लागू होता है वहां तक इसकी जांच कर रहे हैं ? प्रश्न यह है : क्या बंबई के उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायासन ने विनिश्चय किया है कि जैसा कि २३ जुलाई, १९५६ के "इंडियन वर्कर" में छपा है, मजूरी भुगतान अधिनियम रेलों पर लागू नहीं होता है; और यदि हां, तो रेलवे मज़दूरों को सुरक्षा पुनः प्रदान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

क्या इस प्रश्न का सम्बंध केवल रेलों से है या यह एक साधारण प्रश्न है ?

†**श्री नम्बियार** : इसका सम्बंध रेलों से है।

†**श्री आबिद अली** : जब यहां संशोधन विधेयक पुरःस्थापित होगा उस समय हम अन्य मामलों के लिये संशोधन करने का विचार कर रहे हैं।

डाक व तार कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भत्ता

†*१५६४. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पपरोला और बैजनाथ में डाक व तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता के भुगतान के बारे में कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा घोषित पहाड़ी स्थानों पर रहन-सहन महंगा होने के कारण प्रतिकर भत्ता दिया जाता है। प्रश्नास्पद नामावली में पपरोला और बैजनाथ नहीं हैं। राज्य सरकारों से यह बताने के लिये प्रार्थना की गई है कि क्या ये दोनों स्थान नामावली में सम्मिलित किये जाने योग्य हैं या नहीं।

श्री हेमराज : पपरौला और बैजनाथ, जो कि जोगेन्द्रनगर और पालमपुर के दरमियान वाकया हैं, में राज्य सरकार के कोई कर्मचारी काम नहीं करते हैं। क्या वहां पर और ऐसी दूसरी जगहों पर केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को कम्पेन्सेटरी एलाउन्स देने के बारे में तहकीकात करेगी ?

श्री राजबहादुर : हमने पंजाब गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या वह उन जगहों को उस कैटेगरी में लाना चाहती है, जिनको यह एलाउन्स मिलतां है। उसका जवाब आने पर उसके मुताबिक काम किया जायगा।

मजूरी बोर्ड

†*१५६६. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस या किन किन उद्योगों में इस दृष्टि से आंकड़े एकत्रित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ की गई है कि वहां बाद में "मजूरी बोर्डों" की रचना की जाये; और

(ख) आंकड़ों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). उन उद्योगों के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है जहां मजूरी बोर्ड बनने चाहिये तथा सम्बंधित प्राधिकारियों को अनुदेश दिये गये है कि ऐसे विभिन्न उद्योगों सम्बंधी आंकड़े एकत्रित करने का प्रबन्ध करे जिनमें से कुछ को मजूरी बोर्डों की स्थापना के लिय चुना जा सके। मुझे खेद है कि मैं अभी यह बताने में असमर्थ हूं कि आंकड़ों को अन्तिम रूप देने में सम्भवतः कितना समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : आजकल ये आंकड़े किस या किन किन उद्योगों के सम्बंध में एकत्रित किये जा रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जो उद्योग भविष्य निधि योजना में सम्मिलित की गई हैं उनमें से कुछ उद्योग ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या स्थापित होने वाले मजूरी बोर्ड सब बोर्ड सारे उद्योगों में एक साथ स्थापित किये जायेंगे या आंकड़ों के एकत्रित होते ही ?

†**श्री आबिद अली** : आंकड़ों का एकत्रीकरण जारी रहेगा और जब इस कार्य में पर्याप्त प्रगति हो जायेगी तो मजूरी बोर्ड बनाये जायेंगे ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या स्थापित होने वाले मजूरी बोर्डों में वे सम्मिलित होंगे जिनके लिए भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत बनी भविष्य निधि के अतिरिक्त अलग उपबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : सम्भवत: ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मालिक लोग उन आंकड़ों का ब्यौरा देने में विलम्ब कर रहे हैं जो सरकार को एकत्रित करने हैं, और यदि हां, तो क्या मजूरी बोर्डों की स्थापना में इसी कारण विलम्ब हो रहा है, और यदि हां, तो आंकड़ों को शीघ्र एकत्रित करने के लिये सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई । अभी तो अध्ययन भी आरम्भ नहीं हुआ है । जानकारी न देने का प्रश्न ही कैसे उत्पन्न हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि विलम्ब हो रहा है । किसी अचानक मुंह से निकली बात के आधार पर प्रश्न बनाने और पूछने से क्या लाभ है ?

†**श्री वेलायुधन** : उन्होंने कहा था कि आंकड़ों के एकत्रीकरण में कुछ विलम्ब होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उससे माननीय सदस्य यह क्यों समझते हैं कि मालिक लोग आंकड़े नहीं दे रहे ?

†**श्री वेलायुधन** : निश्चय ही आंकड़े उनके द्वारा एकत्रित किये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अत: माननीय सदस्य इसका पहिले अध्ययन नहीं करते । वह यहां किसी उत्तर से कोई निष्कर्ष निकाल कर प्रश्न करते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : जानकारी के एक प्रश्न पर । मजूरी बोर्डों को मजूरी, उपदान आदि संबंधी प्रश्नों पर विचार करना होगा । अत: ये सारे आंकड़े प्राप्त करने हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी प्रश्न साधारण रूप में हो सकता है । माननीय सदस्य देखेंगे कि आज की प्रश्न सूची में ५३ तारांकित प्रश्न हैं .....

†**श्री आबिद अली** : जो मैंने कहा है क्या मैं उसे पढ़ दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । मैं सभा द्वारा विचार किये जाने के लिय यह निवेदन करता हूं । माननीय सदस्य महसूस करते हैं और फिर प्रश्नों की पूर्वसूचना देते हैं । उनमें से बहुत से प्रश्न सूची में ऐसे हैं जो अभी पूछे जायेंगे । बीच में ही कुछ अन्य माननीय

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य, जिन्होंने प्रश्नों की पूर्व सूचना नहीं दी है, उन प्रश्नों को पकड़ लेते हैं और एक के बाद दूसरा अनुपूरक प्रश्न करते चले जाते हैं तथा उन सदस्यों के प्रश्नों की बारी नहीं आने देते जिन्होंने कुछ मेहनत करके अपने प्रश्न रखे हैं।

मैं माननीय सदस्यों से यह निर्णय करने की प्रार्थना करता हूं कि क्या मुझे अनुपूरक प्रश्नों को काट कर एक या दो अनुपूरक प्रश्नों के साथ अन्य प्रश्नों के रखे जाने की अनुमति देनी चाहिये या नहीं। मेरा यही प्रस्ताव है।

अब, अगला प्रश्न।

†**श्री वेलायुधन :** हम भी इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और तब ही प्रश्न करते हैं। अन्यथा सूची में प्रश्न रखने का क्या लाभ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों की पूर्व सूचना देने वाले माननीय सदस्यों को प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये।

†**श्री राघवैया** : प्रश्न की पूर्व सूचना दिये जाने पर वह सारी सभा की सम्पत्ति बन जाती है और प्रत्येक सदस्य इसे पढ़ता है तथा वह उसका प्रश्न होता है।

कोयला खान मजदूरों के क्वार्टर

*१५६७. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया है कि इस विषय में जांच की जानी चाहिये कि कोयला खानों के कर्मचारियों और मजदूरों के आवास उनके काम के स्थानों से बहुत दूर बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह निश्चय किया गया है कि कोयला खान श्रम कल्याण संस्था द्वारा जो मकान बनाये जायें वे कार्य-क्षेत्रों के नजदीक हों।

श्री खू० चं० सोधिया : कौन कौन से स्थानों के बारे में एस्टीमेट्स कमेटी (आंक समिति) ने इस किस्म का एतराज किया था ?

श्री आबिद अली : कोई खास स्थान के बारे में तो जिक्र नहीं था। जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने यह लिखा था कि कहीं कहीं मकान काम की जगह से दूर बनाये जाते हैं, और कोशिश की जाये कि नजदीक बनाये जायें, और वैसा ही किया जा रहा है ।

श्री खू० चं० सोधिया : उन्होंने कहा था कि इसके बारे में जांच पड़ताल की जाये। क्या आप जांच पड़ताल कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : जो मकान बन गये वे तो बन ही गये। आयन्दा के लिये हमने उनकी सिफारिश पूरे तौर से मंजूर कर ली है, इसलिये जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इन सारे मकानों के बनाने में कुल कितनी लागत आई है तथा क्या इनमें से किसी मकान पर पूरा या आंशिक कब्जा है तथा क्या इन मकानों से खानों तक पहुंचने के लिये कोई परिवहन प्रबन्ध भी किए गए हैं ?

†**श्री आबिद अली** : किस क्षेत्र में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : सामान्यतः मकानों से खानों तक।

†**श्री आबिद अली** : मैंने मुख्य उत्तर में कहा है कि मकान यथा सम्भव कार्य-स्थान के निकट जायेंगे। तब परिवहन का प्रश्न नहीं उठेगा।

डा० राम सुभग सिंह : कई एक स्थानों में मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बने हैं लेकिन मजदूर उनमें नहीं रह रहे हैं। क्या उन क्वार्टर्स से काम की जगह तक के लिये कोई बस सर्विस का प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि वे मजदूर जो उन मकानों में रहें सुविधापूर्वक अपने काम पर जा सकें ?

श्री आबिद अली : खुली में कुछ मकान खाली हैं। वहां पर तरीक यह है कि ६ रुपये मालिक दें और २ रुपये मजदूर दें, लेकिन अगर मालिक मजदूरों के वहां से आने जाने के लिये ट्रांसपोर्ट का इन्तिजाम कर दें तो उनको ६ रुपया नहीं देना पड़ेगा, यह उनको बतला दिया गया है। कुछ मकानों में लोग आ गये हैं और जो मकान खाली हैं और नहीं भरे जा सकते हैं, उनके बारे में यह विचार किया जा रहा है कि उनको रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री के जिम्मे कर दिया जाये।

†**श्री बोस** : क्या यह सच नहीं है कि श्रमिक खुली में ही रहना चाहते हैं चाहे यह खानों से कुछ दूर ही हो, परन्तु वह परिवहन सुविधाएं चाहते हैं।

†**श्री आबिद अली** : मैं ठीक इसी बात का उत्तर देता रहा हूं। इसी कमी के कारण मालिकों से कहा गया है कि यदि वे श्रमिकों के परिवहन का प्रबन्ध कर दें तो उन्हें छः रुपये किराये देने की आवश्यकता नहीं है।

मकान बनाने के लिए ऋण

†*१५६८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को मकान बनाने के निमित्त दिए जाने वाले ऋणों की जो योजना सरकार ने सन् १९३७ में बन्द कर दी थी उसे पुनः शुरू किया जायगा;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होगी; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को अधिकतम कितनी राशि दी जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २९]**

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं विवरण में देखता हूं कि मकान बनाने के ऋण सम्बंधी प्रार्थना पत्र केवल ऐसे रेल कर्मचारियों से स्वीकार किये जायेंगे जिनके पास भूमि का टुकड़ा (प्लाट) है। इन प्लाट वालों से ऐसा विभेदात्मक व्यवहार क्यों ?

†**श्री अलगेशन** : एक शर्त यह है कि वे स्थायी हों, दूसरी शर्त यह कि उनके पास प्लाट हों ताकि इन मकानों के बनाने में सुविधा हो। फिर मकान में अधिक बनाने के लिये भी अग्रिम धन दिया जाता है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार न किए जाने के कारण क्या हैं जिनके पास भूमि नहीं है ?

†**श्री अलगेशन** : हम योजना का विस्तार कर सकते हैं। इसे १९३७ में बन्द कर दिया गया था, अब इसे फिर शुरू किया गया है। निधियों के उपलब्ध होने पर हम अग्रेतर विस्तार पर विचार कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल गाड़ियों में भीड़

†*१५३३. **श्री डाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० मई, १९५६ को दो यात्री एक बहुत भीड़ वाली गाड़ी में यात्रा करते हुए अदस रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) पर गिर कर मर गए थे;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या ये यात्री डिब्बों के दरवाजों से चमट रहे थे;

(ग) वे क्या कारण हैं जिनसे उन्हें दरवाजों से चमटे हुए सफर करने से मना नहीं किया गया;

(घ) क्या उस गाड़ी में बहुत से लोग पायदानों तथा डिब्बों की छतों पर तथा दरवाजों से चमटे हुए सफर कर रहे थे; और

(ङ) इस स्थिति को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) पायदानों पर सफर करने वाले यात्रियों को चेतावनी दी गयी थी। परन्तु गाड़ी पर इस प्रकार से सफर करने से सारे अन्तर पर लोगों को मना करना कठिन है।

(घ) कुछ यात्री दरवाजों को पकड़ कर पायदानों पर सफर कर रहे थे परन्तु गाड़ियों की छतों पर कोई सफर नहीं कर रहा था।

(ङ) जो उपाय पहले किए गए थे तथा इस समय भी किए जा रहे हैं, उनमें निम्नलिखित उपाय हैं :

(१) लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणा तथा पोस्टर आदि द्वारा यात्रियों को पायदानों तथा छतों पर यात्रा करने से रोकने की चेतावनी का देना।

(२) जहां कहीं व्यवहार्य हो, अभियोजन का चलाना।

(३) रेलगाड़ियों में अधिक डिब्बों को लगाना तथा इंजन आदि और लाइनों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर और गाड़ियों का चलाना।

गण्डक नदी पर पुल

†*१५३५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर तथा हाजीपुर (पूर्वोत्तर) रेलवे के बीच गण्डक नदी पर रेल एवं सड़क पुल के निर्माण कार्य में बिहार सरकार ने शामिल होना तथा अंश देना स्वीकार किया है; और

(ख) सोनपुर और हाजीपुर के बीच गण्डक नदी पर नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी नहीं।

(ख) नए रेलवे पुल के निर्माण के लिये १,९३,१२,३६५ रुपये की रकम के संक्षिप्त प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है और इस्पात कार्य के लिये टैन्डर आमंत्रित किए गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों से मुफ्त उपहार

†*१५३८. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २८ मई, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५१ के भारत-अमेरिका करार के अधीन जो मक्खन, घी आदि मुफ्त उपहारों के रूप में प्राप्त हो रहा है क्या सरकार उस करार का प्रतिसंहरण करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का, इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले अभिकरणों की सूची में, संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। परन्तु समय समय पर इस विषय पर विचार किया जाता है।

भूमि का कटाव

†*१५४६. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री भूमि के कटाव के सम्बंध में २३ मई, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हीराकुण्ड और मछकुण्ड से संबंधित योजनाओं को अब निगमित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्य में गहन खाद्य उत्पादन योजनाओं के साथ वनरोपण तथा भूमि के कृष्यकरण की योजनाओं को किस प्रकार समाधानित किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। हीराकुण्ड के लिये एक अग्रिम परियोजना की स्वीकृति दी गई है और नदी के जलागम क्षेत्र में ५,००० एकड़ भूमि पर कार्य करने के लिये १८१,४२४ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है।

मछकुण्ड के लिये आन्ध्र तथा उड़ीसा की सरकारों से जो योजनायें प्राप्त हुई हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और आशा है दो योजनायें के लिये शीघ्र ही ६००,५१८ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी जाएगी।

(ख) वनरोपण तथा कृष्यकरण कार्यवाहियों का उद्देश्य भूमि कटाव तथा भूमि अवह्रास के परिणामस्वरूप कृषि भूमि की हानि को रोकना है और इस प्रकार खाद्य उत्पादन बनाये रखने तथा बढ़ाने में सहायता करना है।

पत्थर तोड़ने वाली मशीनें

†*१५४७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि ग्रेनाइट तथा पत्थर के संभरण के लिये कोचीन-पत्तन प्राधिकारियों के ठेकेदार, दक्षिण भारत निगम ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में त्रिपुनीत्तुरा की पत्थर की खानों में पत्थर तोड़ने वाली मशीनें लगाई हैं;

(ख) इस स्थान पर पत्थर तोड़ने वाली मशीनें लगाने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से क्या सरकार परिचित है;

(ग) क्या यह सच है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप उस क्षेत्र में भीषण बेरोज़गारी की स्थिति और भी गम्भीर हो गई है; और

(घ) क्या भारत सरकार, त्रावणकोर कोचीन राज्य में इन पत्थर कटने वाली मशीनों पर पाबन्दी लगाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). त्रावनकोर कोचीन सरकार से मिले एक प्रतिवेदन के अनुसार दक्षिण भारत निगम मानमाला की पत्थर की खानों में पत्थर कूटन की एक मशीन लगाना चाहती थी परन्तु श्रमिकों ने उसका विरोध किया था। समझौता पदाधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप किया और पक्षों के बीच एक समझौता हो गया है। संविदा समवाय ने यह स्वीकार किया है कि वह पत्थर तोड़ने की मशीन का उपयोग न करगा और श्रमिकों ने धातु की अपेक्षित मात्रा के उत्पादन की गारंटी की है।

(घ) भारत सरकार त्रावणकोर-कोचीन में पत्थर तोड़न वाली मशीनों पर पाबन्दी लगाना उचित नहीं समझती है।

हिन्दी समय सारणी

*†१५४८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह:**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी समय सारणियों में हिन्दी मानचित्र न देने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस का क्या कारण है कि सभी प्रादेशिक रेलों में रेलगाड़ियों का परिवर्तित समय लागू करने से एक पक्ष पहिले अंग्रजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में समय सारिणी प्रकाशित करना सम्भव नहीं है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री क सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३०**]

डीयापर लकड़ी

†*१५४९. **श्री मादिया गौड** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन्होंने देहरादून वन गवेषणा संस्था में तैयार की जाने वाली मूल्यवान लकड़ी 'डीयापर' के बुरादे के संबंध में ८ जुलाई, १९५६ को संडे हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में प्रकाशित लेख को देखा है;

(ख) इसके विस्तार और विकास के लिये संस्था में क्या कोई अतिरेक क्षेत्र बनाया गया है; और

(ग) क्या इस शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिये कुछ किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, बांस और खाली दियासलाइयों जैसे कच्चे माल के उपयोग द्वारा और नए रूपांकनों के विकास द्वारा।

(ग) जी, हां। 'डीयापर' वस्तुओं को प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है और इन्डियन फॉरेस्टर में विज्ञापित किया जाता है। एक छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में इस के उत्पादन का विस्तार करने और लकड़ी का काम करने वाली संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस के लिये आविष्कारक को मंत्रणा देने तथा प्रशिक्षण देने के लिये राज्यों में जाने के संबंध में सुविधायें दी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में ट्राम कार

†*१५५०. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ट्राम कारों की क्रियान्विति की अवधि में विस्तार करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : ट्राम के संबंध में ऊपर लगी तारों और पटरी की स्थिति इस प्रकार की है कि दिल्ली में ट्राम कार सेवा, अभी और ३ वर्ष तक, और पूंजी लगाए बिना, संतोषजनक ढंग से चलाई जा सकती है ।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में अलवाए तथा अरूर पुल

†*१५५१. **श्री अ० म० थामस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रीय राजपथ पर अवलाए तथा अरूर पुलों के काम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक पुल का प्राक्कलित व्यय क्या है; और

(ग) अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३१**]

मुर्गी पालन विकास योजना

†*१५५४. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुर्गी पालन विकास योजना के अधीन अब तक प्रत्येक राज्य में कितने मुर्गी पालन विकास तथा विस्तार केन्द्र और प्रादेशिक फार्म स्थापित किए गए है;

(ख) १९५६–५७ में ऐसे कितने केन्द्र और फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना के अधीन बिहार सरकार को ऋण देने के लिये कितनी रकम की स्वीकृति दी गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(ग) राज्य सरकार ने अभी कोई ऋण नहीं मांगा है ।

तार घर (बिहार)

†*१५५५. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि दरभंगा (बिहार) के खुतौना, लौकाही और लौकाहा के लिये तार घरों के संबंध में सरकार द्वारा मंजू ी दी गई थी और अब तक इन्हें नहीं खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन तार घरों में कब तक काम प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) केवल लौकाहा और लौकाही तार घरों के लिये मंजूरी दी गई थी ।

(ख) लौकाहा––यहां २१–७–५६ को तार घर खोला जा चुका है ।

लौकाही––आशा है यदि समय पर सामान मिल गया तो मार्च, १९५७ तक तार घर खुल जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब से गेहूं का निर्यात तथा आयात

†*१५५६. **श्री राम दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के मई, जून और जुलाई महीनों में पंजाब से गेहूं की कितनी मात्रा निर्यात की गई थी;

(ख) इन महीनों में पंजाब में गेहूं की कुल कितनी मात्रा का आयात हुआ था; और

(ग) इस अवधि में पंजाब में सस्ते अनाज की कुल कितनी दुकानें खोली गई थीं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). अनियन्त्रण के पश्चात रेल तथा सड़क, दोनों मार्गों से, व्यापार लेखे पर गेहूं स्वतंत्र रूप से आ जा रहा है और पंजाब में व्यापार लेखे पर कितनी मात्रा में गेहूं का आयात और निर्यात हुआ यह बताना संभव नहीं है। जुलाई, १९५६ में बम्बई से पंजाब को सरकारी लेखे पर १,४०० टन गेहूं भेजा गया था।

(ग) अगस्त में अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना और अम्बाला में उचित दामों वाली दुकानें खोली गई थीं।

परिवार आयोजन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना)

†*१५५७. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में संपूर्ण देश के लिये परिवार आयोजन की कोई विस्तृत योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिये राज्यवार कितनी धन राशि नियत की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां।

(ख) ४९७ लाख रुपये दिये गये हैं किन्तु राज्यवार नियतन अभी तक नहीं किया गया है।

नार्वे के जहाज

†*१५६५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीन क्षेत्रों को नार्वे द्वारा सहायता देने की योजना के अधीन भारतीय समुद्रों में चलने वाले जहाजों का पंजीयन भारत में किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हमारे समुद्रों में वे कब से नार्वे का झंडा फहरा कर चल रहे हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) नार्वे के पंजीबद्ध जहाज भारत में आने पर नार्वे के जलयान कर्मचारियों द्वारा चलाये जाते थे। प्रशासनिक सुविधा और पारस्परिक समझौते को ध्यान में रखते हुए इन जहाजों का यथाशीघ्र भारत में पंजीयन किया जाना था। ऐसा करने के लिये अब कार्यवाही की गयी है।

(ग) जनवरी, १९५५ से; किन्तु यह दिखाने के लिये कि यह साझा का काम है, वे नार्वे और भारत दोनो के झंडे फहराते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

धान कुटाई समिति

†*१५६९. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ और उस से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान कुटाई समिति की सिफारिशों को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है;

(ख) क्या पांच वर्ष की अवधि में सभी धान मिलें बंद करने और हाथ से धान कूटने के उद्योग को सहायता देने के लिये विद्युच्चालित धान मिलों में कूटे गये धान पर ६ आने प्रति मन की दर से उपकर लगाने की सिफारिश स्वीकार की गयी हैं और क्या वे कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) और यदि हां, तो कब?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं। अभी विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे बुक स्टाल

†*१५७०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेशनों पर बुक स्टालों में किस किस्म की किताबें रखी जायें इस बारे में रेलवे को मंत्रणा देने के लिये क्या कोई समितियां नियुक्ति की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो समितियों ने अपने काम में अभी तक क्या प्रगति की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां ; दक्षिण-पूर्व रेलवे को छोड़ कर जहां समिति अभी बनायी जा रही है, सभी रेलों में बुक स्टाल समितियां बनायी जा चुकी हैं;

(ख) दक्षिण और मध्य रेलवे में समितियों ने बुक स्टालों का निरीक्षण किया है और कुछ सिफारिशें की हैं और उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम रेलवे में समिति ४ दलों में बांट दी गयी है और वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में बुक स्टालों का निरीक्षण कर रहे हैं।

उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्व रेलवे में समितियां अभी हाल ही में बनायी गयी हैं और काम शुरू किया जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३३]**

वायरलेस लाइसेंस

†*१५७१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के वायरलेस लाइसेंस देने के विनियमों और उनसे संबंधित शर्तों का पुनरीक्षण अंतिम रूप से तय किया जा चुका है; और

(ख) वायरलेस लाइसेंसों के वर्तमान नियमों और नये नियमों और शर्तों में क्या मुख्य अन्तर है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो चालक निपुणता-प्रमाण पत्र तथा वायरलेस टेलीग्राफी चलाने का लाइसेंस) नियम, १९५४ संसद के पुस्तकालय को अलग से दिये जा रहे हैं।

हवाई अड्डा परामर्श-समिति

†*१५७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से हवाई अड्डा परामर्श समिति की बैठकों में हवाई अड्डों के नियंत्रण और विकास सम्बंधी किन किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गयी है; और

(ख) उस विषय में क्या विनिश्चय किये गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३५**]

कपास

†*१५७३. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कपास के बीज की ऐसी कोई किस्म निकाली गयी है जिसके लिये बहुत कम सिंचाई की जरूरत हो और जिससे अधिक उत्पादन होता हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य भागों में उस बीज का प्रचार करेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्ग

†*१५७४. **श्री भीखा भाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ निचिवाडा रतनपुर विभाग में अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : १८ और १९ वें मील पर ४ चेन की लंबाई में घाट सेक्शन में गहरा कटाव और क्रास ड्रैनेज वर्क्स के लिये छोड़े गये अन्तर के सिवा, सड़क मार्ग पर मिट्टी का बांध बनाने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है।

३ मील की लंबाई तक मिट्टी डाली जा चुकी है और जमा दी गयी है। खदान से धातु इकठ्ठा की जा चुकी है। काम में लगभग ५० प्रतिशत कुल प्रगति हुई है।

रायगढ़ स्टेशन पर बिजली लगाना

†*१५७५. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़ स्टेशन पर बिजली लगाने के बारे में तब से कोई अन्तिम विनिश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां। बिजली लगाने का काम चल रहा है। लाइसेंसदार से सर्विस कनेक्शन अनुमान मांगा गया है और हाई टेन्शन सप्लाई के लिये प्रशुल्क दर के बारे में उड़ीसा सरकार से बातचीत चल रही है। इस वर्ष के अन्त तक बिजली मिलने की आशा है।

एर्नाकुलम-क्विलोन रेल सम्पर्क

†*१५७६. **श्री अ० म० थामस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम्-क्विलोन रेल सम्पर्क के संबंध में निर्माण कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) एर्नाकुलम् से कोट्टायम् तक की लाइन पर यातायात कब प्रारम्भ कर दिया जायगा;

(ग) सारी लाइन कब पूरी हो जायगी;

(घ) अब तक कुल कितनी धन राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ङ) पूरी लाइन तैयार होने तक खर्च का वर्तमान अनुमान क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) काम में कुल लगभग ७० प्रति शत प्रगति हुई है

(ख) आशा है कि अक्तूबर ५६ के मध्य तक वह लाइन चालू हो जायगी।

(ग) पूरी लाइन १९५७ में चालू हो जायगी।

(घ) अब तक लगभग ३६० लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ङ) पूरी लाइन तैयार करने के लिये वर्तमान अनुमान ६०१ लाख रुपये है।

टेलीफोन एक्स्चेंज (बिहार)

†*१५७७. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में निर्मली, सुपौल, मधीपुरा और बीरपुरा में टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय खोलने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो किस समय तक उनका कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). चारों स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन (सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय विस्तार) प्राप्त करने के लिये सुविधाएं मिल सकती हैं।

केवल सुपौल और बीरपुर में टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की प्रस्थापनाएं परीक्षण के अधीन हैं और यदि वे वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद हुईं, तो मंजूर की जायेंगी।

बरासग गोरखपुर लखनऊ-पटना विमान सेवा

†*१५७८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लखनऊ स्टेशन ने लखनऊ और पटना के बीच बरासग गोरखपुर एक दैनिक शटल विमान सेवा चालू करने के कोई सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सेवा के दिनों की संख्या बढ़ाने का कोई विनिश्चय किया है; और

(घ) क्या विमान यात्रा का किराया कम करने का सरकार का विचार है ताकि अधिक लोग विमान यात्रा कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) लखनऊ-गोरखपुर, गोरखपुर-पटना और पटना-लखनऊ के बीच यातायात इतना नहीं है कि एक शटल सेवा चालू की जाये या सेवा के लिये अधिक विमान चालू किये जायें।

(घ) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं पर किराया और वस्तु भाड़ा की दरें निर्धारित करने के लिये सिद्धांत बनाने का प्रश्न विमान परिवहन परिषद् को सौंपा गया है।

नौवहन

†*१५७९. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब दूसरी योजना में नौवहन के विकास के लिये ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, तो विस्तार कार्यक्रम के लिये केवल ३७ करोड़ रुपये ही क्यों उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) क्या दूसरी योजना की अवधि में ३ लाख का अतिरिक्त टनभार प्राप्त करने के लिये और योजनायें पहले ही अनुमानित लगभग ९०,००० पुराने टनभार को बदलने के लिये वह पर्याप्त होगा; और

(ग) नये जहाजों की बढ़ती हुई लागत और जहाज बनाने के विदेशी यार्डों में बहुत अधिक काम होने तथा विजग यार्ड की अधिकतम क्षमता को देखते हुए यह किस प्रकार करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ४५ करोड़ रुपये की राशि में ८ करोड़ रुपये की वह संवहित राशि भी सम्मिलित है जो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में किये गये किरायों को पूरा करने के लिये थी। इसलिये दूसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त विस्तार कार्यक्रम के लिये केवल ३७ करोड़ रुपये ही उपलब्ध होंगे।

(ख) वह व्यवस्था उस प्रयोजन के लिये संभवतः पर्याप्त न हो। आवश्यक अतिरिक्त धन प्राप्त करने के उद्देश्य से समय समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन करने का आशय है।

(ग) भारतीय नौवहन समवाय ने विदेशी यार्डों में और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापटनम् में कुछ जहाज बनाने के आर्डर पहले ही दे दिये हैं। आशा है कि वे विदेशी यार्डों को, जिनमें कुछ अतिरिक्त क्षमता हो, और जहाज बनाने के आर्डर दे सकेंगे। यह भी विचार है कि जब बाजार भाव आदि की स्थिति अनुकूल हो तो समवाय कुछ उपयुक्त पुराने जहाज भी खरीदेंगे।

सरसों के बीज

†*१५८०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में सरसों के बीज वर्षवार कितने परिमाण में पैदा हुए;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में सरसों के तेल की सब से अधिक खपत होती है; और

(ग) यदि हां, तो वहां सरसों के बीज की खेती बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न सरसों के बीज के परिमाण इस प्रकार हैं :—

१९५१–५२	३९,००० टन
१९५२–५३	४४,००० ,,
१९५३–५४	२८,००० ,,
१९५४–५५	३४,००० ,,
१९५५–५६	३४,००० ,,

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं।

(ग) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति तिलहन सम्बंधी गवेषणा योजनाओं के लिये और पाज्य में सरसों की अच्छी किस्में बढ़ाने के लिये धन दे रही है।

भारतीय नौवहन समवाय

†*१५८१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र पार व्यापार बढ़ाने, टैंकर प्राप्त करने आदि के लिये सरकार का भारतीय नौवहन समवायों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) नौवहन समवायों की मांगें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री** (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ख) भारतीय नौवहन के विकास के लिये भारतीय नौवहन समवायों ने समय समय पर भारत सरकार से अनेक प्रकार की सहायता मांगी है। इन सुझावों पर जहाज मालिकों की परामर्श समिति की बैठकों में चर्चा की गई है जो प्रति वर्ष परिवहन मंत्री के सभापतित्व में होती है। समवायों द्वारा दिये गये कुछ महत्वपूर्ण सुझावों और मांगी गई रियायतों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या ३६**]

डूंगरपुर और आसपुर के बीच तार की सुविधायें

†*१५८३. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सर्कल की डाक और तार मंत्रणा समिति द्वारा सिफारिश किये मार्ग के बजाय डूंगरपुर और आसपुर के बीच तार की लाइन एक दूसरे मार्ग से बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो बॉकोरा, बड़ौदा और पंजपुर जैसे शहरों और बड़े बड़े गांवों की मांगों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). खर्च कम करने की दृष्टि से आसपुर की तार की लाइन नजदीकी रास्ते से ले जाई गई थी।

आस्ट्रेलिया के वृक्ष और घास

†*१५८४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में बंजर और अपक्षरित जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये आस्ट्रेलिया के वृक्षों और घास को काम में लाया जाता है;

(ख) यदि हां तो देश के किन हिस्सों में और किस हद तक; और

(ग) उसका क्या परिणाम है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हां, भूमि संरक्षण के लिये प्रयोगात्मक उपाय के रूप में।

(ख) मद्रास में नीलगिरि में, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र, बम्बई और सौराष्ट्र की रेतीली जमीन में; मैसूर की अपक्षरित भूमि में और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। कितने क्षेत्र में ऐसा किया गया है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) केवल राजस्थान को छोड़कर जहां प्रयोग अभी जारी हैं, अन्य सब स्थानों पर इन प्रयोगों के अच्छे परिणाम निकले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद्

†*१५८५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगी जिसमें ये बताया गया हो कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा आहार पोषण के कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था;

(ख) क्या परिषद् द्वारा भारतीयों के आहार पोषण स्तर को ऊंचा करने के बारे में कोई दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उसका सारांश सभा-पटल पर रखा जायगा;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा कोई पोषण संबंधी सर्वेक्षण किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ग) कार्यक्रम का सारांश भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के "द्वितीय पंचव र्षीय योजना में चिकित्सा गवेषणा" नामक प्रकाशन में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा

†१०८६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के लिये अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव अब किस अवस्था में है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राज्य सरकारों तथा आल इंडिया रेडियो के परामर्श से किसानों के लिये बाजार समाचार सेवा को बढ़ाने और उन्नत करने के लिये कार्य-वाही की जा रही है।

मिली जुली रेलगाड़ियाँ

†१०८७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति की उस सिफारिश के अनुसार जो उसने अपनी १७वीं रिपोर्ट में की है, मिली जुली रेलगाड़ियों को बन्द करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जिन क्षेत्रों में यात्री गाड़ी और मालगाड़ी का पृथक् पृथक् यातायात हो सकता है, वहां रेलवे प्रशासनों से कहा गया है कि वे मिली जुली गाड़ियों को, उपलब्ध स्टाक शक्ति और लाइन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, कम से कम चलायें। यातायात की दृष्टि से जिन क्षत्रों में माल और यात्रियों की पृथक् गाड़ियां चलाना लाभप्रद नहीं है, वहां मिली जुली गाड़ियों को बन्द करना उचित नहीं समझा जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मालगाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतरना

१०८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ जुलाई १९५६ की सुबह मध्य रेलवे की मनमाड-जालना छोटी लाइन पर कारमद और गेबराय स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के ग्यारह डिब्बे पटरी से उतर गये, जिसके फलस्वरूप यातायात बंद हो गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(ग) सामान्य यातायात के लिये इस पथ को साफ करने में कितना समय लगा; और

(घ) इससे रेलवे को कितना नुक्सान हुआ ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २५-७-१९५६ को लगभग ८ बज कर ३५ मिनट पर जब ८०८ अप मालगाड़ी मध्य रेलवे के मनमाड-जालना मीटर लाइन सेक्शन के करमाड और गेवराय स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो उसके २१ डिब्बे, जिनमें चार बोगियां थीं, ८८/१७ मील पर पटरी से उतर कर उलट गये, जिससे गाड़ियों का आना-जाना रुक गया।

(ख) ऐसा जान पड़ता है कि उतरने वाले डिब्बों में से एक में यांत्रिक दोष होने के कारण यह दुर्घटना हुई।

(ग) २७-७-५६ को दिन के लगभग सवा बारह बजे यानी ५१ घंटे ४० मिनट बाद इस लाइन पर गाड़ियां फिर आने-जाने लगीं।

(घ) इससे लगभग ६५००० रुपये की रेल-सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

पान के पत्तों का भेजा जाना

†१०८९. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में दक्षिण पूर्वी रेलवे के कोलाघाट, मेचदा, पंचकुरा और भोगपुर नामक चार रेलवे स्टेशनों से पान के पत्ते भेजने से रेलवे को कितनी आमदनी हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३८**]

राजस्थान में कृषि योग्य पड़ती जमीन

†१०९०. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में राजस्थान के प्रत्येक डिवीजन में कृषि योग्य पड़ती भूमि का क्षेत्र कितना था; और

(ख) १९४९ से १९५५ तक नहरों, बांधों और कुओं से सिंचाई के द्वारा ऐसी कितनी भूमि में कृषि की गई ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि १९५३-५४ में जो ऐसी जानकारी प्राप्त करने का आखिरी साल है, राजस्थान के प्रत्येक डिवीजन में कृषि योग्य पड़ती जमीन का कितना क्षेत्र है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३९**)

(ख) मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

धोबियों की मांग

१०९१. **श्री बु० रा० वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ जुलाई, १९५६ को बड़ी संख्या में धोबी मंत्री से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां।

(ख) धोबियों की मुख्य शिकायतें ये थीं : —

(१) आजादी के बाद धोबियों के लाइसेंस और दूसरी फीसों में बढ़ती।

(२) धोबियों के मकानों की कमी।

(३) फौजी अधिकारियों द्वारा पेशेवर धोबियों के बजाय गैर पेशेवर धोबियों को ठेका दिया जाना।

शिकायत (१) के बारे में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये हैं, शिकायत (२) के बारे में यह सोचा गया है कि धोबियों के मकानों का प्रश्न आवास के आम प्रश्न से अलग नहीं लिया जा सकता और उन्हें दूसरे लोगों के साथ ही अपनी वारी की प्रतीक्षा करनी होगी। जहां तक शिकायत (३) का संबंध है, चूंकि मेमोरेंडम की एक कापी रक्षा मंत्री को भी दी गई है, ऐसा समझा जाता है कि रक्षा मंत्रालय इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

गाड़ी का पटरी से उतरना

१०९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जुलाई, १९५६ की रात को मध्य रेलवे की छोटी लाइन के ग्वालियर-शिवपुरी सैक्शन पर ग्वालियर से १५ मील की दूरी पर एक मालगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी पर से उतर गये थे जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई; और

(ख) यदि हां तो इस दुर्घटना का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३०-७-५६ को दिन में लगभग ३ बजकर १५ मिनट पर जब नं० ८२८ अप मालगाड़ी मध्य रेलवे के शिवपुरी-ग्वालियर छोटी लाइन सैक्शन पर नौनन्द और पुन्नियार स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो उसके इंजन से दूसरे से लेकर छठे तक पांच डिब्बे १८।७ और १८।८ मील के बीच उलट गये और इंजन से सातवें डिब्बे के दो जोड़ी पहिए पटरी से उतर गये। इस दुर्घटना से एक चाबी वाले को, जो उलटे हुए डिब्बों से एक में सफर कर रहा था, गहरी चोटें आयीं। वह चाबी वाला बाद में मर गया।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

वनरोपण

†१०९३. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार की वनरोपण नीति का कोई प्रचार नहीं किया गया था; और

(ख) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिये कोई रकम अलग रखी है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक वन महोत्सव के संबंध में और वन गवेषणा संस्था के कार्यों के परिणामों को प्रकाशित कर के प्रचार किया गया था।

(ख) वन विद्या प्रचार के लिये योजना में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है किन्तु उसके अधीन बनाये जाने वाले वन विद्या-आयोग का यह भी एक कृत्य होगा।

मीन-क्षेत्र

†१०९४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मीन क्षेत्रों में प्रयोग के लिये जाल बनाने (और उसकी मरम्मत करने) के लिये कितने सूत की खपत होती है;

(ख) यह सूत किस मूल्य पर (विभिन्न प्रकार के सूतों के विभिन्न मूल्यों सहित) मछुओं को दिया जाता है;

(ग) क्या मछुओं को सूत बेचने की कोई विशेष एजेन्सियां हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस कार्य के लिये कोई आर्थिक सहायता दी है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूत खुले बाजार में मिल सकता है इसलिये मीन-क्षेत्र विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। तथापि जाल बनाने के लिये नाईलोन सूत ११ रुपये चार आने से लेकर १२ रुपये प्रति पौंड की दर से दिया जाता है।

(ग) नाईलोन सूत राज्य के मीन-क्षेत्र विभाग द्वारा दिया जाता है।

(घ) नाईलोन सूत के लिये ३३ १/३ प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुओं की सहकारी संस्थायें

१०९५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मछुओं की सहकारी संस्थायें कितनी हैं;

(ख) उनकी अंश पूंजी कितनी है;

(ग) १९५५–५६ में ऐसी संस्थाओं को कुल कितना ऋण और अनुदान दिया गया;

(घ) क्या सरकार का मछुओं के लिये पारस्परिक सहायता दल और सहकारी संस्थाएं बनाने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ६३।

(ख) ४८,६०० रुपये।

(ग) ऋण ४५,२०० रुपये।
अनुदान, शून्य।

(घ) जी हां।

(ङ) नई आदर्श संस्थायें बनाई जा रही हैं और विभिन्न स्थानों पर जहां मछुओं के पास सामान नहीं है वहां आवश्यक सामान दिया जा रहा है। रोज पकड़ी गई मछलियों का एक अंश ऋण की वसूली के लिये ले लिया जाता है। इस आमदनी का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है :—

(१) मछली के प्रति पौंड औसत मूल्य पर आधारित अंश; अथवा

(२) नाव की आमदनी का बराबर बराबर हिस्सा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मछुए

†१०९६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रावनकोर-कोचीन के समुद्री मछुओं को मछली पकड़न के अच्छ सामान के लिये आर्थिक अथवा कोई अन्य सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हां।

(ख) अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं के अधीन राज्य को निम्न लिखित ऋण और अनुदान दिये गये हैं :—

		रुपये
१९५४–५५	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिये वेस्ट कोस्ट फिशरीज लिमिटेड को दिया गया ऋण . .	४,००,०००
१९५५–५६	मछली पकड़ने के सामान का सम्भरण अनुदान . .	६,२५०
	ऋण	३७,५००
१९५६–५७	मछली पकड़ने की छोटी नावों का यंत्रीकरण अनुदान .	३१,०४०
	ऋण	९३,०००
	मछली पकड़ने के जरूरी सामान का सम्भरण अनुदान .	१५,०००
	ऋण	९०,०००

भारत अमेरिकी प्रविधिक सहयोग मिशन परियोजना के अधीन, १९५४–५५ में राज्य सरकार को कुल ५७,०००रुपये का सामान जिस में पांच डिजेल इंजिन, ८०,००० मछली पकड़ने के कांटे, २३७५ पौंड नाईलोन और अन्य सामान दिया गया था। नाईलोन और सूत के नये जाल और श्रिम्य ट्राल, पर्स सीन आदि बड़े जालों के द्वारा काम शुरू किया गया है और राज्य सरकार द्वारा, जो ऐसे जालों के प्रयोग में मछुओं को प्रशिक्षण देती है, उनके सामने प्रदर्शन करके दिखाया गया है। यंत्रीकृत नावें किनारों से चलने के लिये बनाई गई हैं और राज्य सरकार द्वारा पर्स सीन, श्रिम्य ट्रालर आदि बड़ी नावें प्रदर्शित की जा रही हैं।

त्रावनकोर-कोचीन में भारत नार्वे मत्स्य सामुदायिक विकास परियोजना के अधीन, जून १९५६ तक वहां अच्छी किस्म की १९ नावें बनाई गई हैं। मई १९५६ के अन्त तक ९ नावें मछुओं को दी गई थीं।

नार्वे से तीन ३०′ डोरी नावें, बारह २२′ की नावें और तीन ५१′–६५′ स्कूनर आयात की गई हैं। नाव बनाने का कारखाना और यान्त्रिक वर्कशाप बना लिये गये हैं और स्थानीय इमारती लकड़ी से नौका निर्माण प्रारम्भ हो गया है। मार्च १९५६ तक ४० प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है। इंजिन चलाने, जाल बनाने आदि में १५ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं और पन्द्रह और प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछली पकड़ने की नावें

†१०९७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मछली पकड़ने की कितनी नाव हैं ;

(ख) कितनी नावों में इंजिन लगे हुए हैं ;

(ग) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कितने ट्रालर और परसीनर नावें काम में लाई जा रही हैं ; और

(घ) मछली पकड़ने की नावों में इंजन लगाने के लिये क्या कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) समुद्र में मछली पकड़ने वाली ७,६०० नावें।

(ख) २९।

(ग) ९।

(घ) इंजन तथा इंजन लगी हुई नावें राज्य सरकार द्वारा ५० प्रतिशत मूल्य पर दी जाती है जो कि चार वर्षों में किस्तों में वसूल किया जाता है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मीन क्षेत्र

†१०९८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन के मीन क्षेत्र विभाग ने भिन्न विषयों का कोई विशेष अध्ययन किया है ;

(१) वैज बैंक को वाणिज्यिक रूप से काम में लाना;

(२) बाढ़ आने पर जल मग्न न होने वाले क्षेत्रों में कृत्रिम मत्स्य-पालन प्रारम्भ करना;

(३) मौसमी मछलियों का परिक्षण;

(४) मत्स्य-पालन से संबंधित सहायक उद्योगों का विकास ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अध्ययन का विस्तार क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) (१) जी नहीं। किन्तु वेज बैंक के कुछ हिस्सों में विद्युत चालित जहाजों द्वारा प्रयोगात्मक मत्स्य पालन किया गया है ;

(२) जी हां। बाढ़ के दौरान जल मग्न न होने वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन का अध्ययन किया गया है और उसे बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया गया है।

(३) जी हां। मौसमी मछलियों के परिरक्षण के प्रश्न का विशेष अध्ययन किया गया है। परिरक्षण आम तौर पर सुखा कर और बर्फ में रख कर किया जाता है।

(४) हां। जाल बनाने, शार्क लिवर आयल और सारडीन तेल निकालने जैसे सहायक उद्योगों का अध्ययन किया गया है और उन्हें प्रारम्भ किया गया है।

(ख)—

१. वैज बैंक को काम में लाना

प्रयोगात्मक योगिक रूप से डोरी मछली पकड़ने का कार्य वैज बैंक के उत्तर-पश्चिम छोर पर सरकार के जहाज और वेस्ट कोस्ट फिशरीज़ (त्रावनकोर) लिमिटेड के जहाजों ने किया है। ब्रिटिश और जापानी कप्तानों की हिदायतों के अनुसार उक्त कंपनी के जहाजों ने जाल द्वारा मछली पकड़ने का कार्य भी वाणिज्यक पैमाने पर किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

२. कृत्रिम मत्स्यपालन

कोट्टायम्, काजेरापल्ली, तिरुवेल्ला जैसे जिलों में तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर लेबियों, मिरर कार्प और टिलामिया किस्मों की विदेशी मछलियों का स्टाक एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जा रहा है। मछलियों का वितरण राज्य के मत्स्य पालन विभाग और सामुदायिक परियोजना और विकास खंड द्वारा भी, सीधे तौर पर किया जाता है। प्रति वर्ष हजारों फिंगरलिंग मछलियों का आयात किया जाता है और मत्स्य पालन करने वाले गैरसरकारी व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को निःशुल्क वितरित की जाती है।

३. मौसमी मछलियों का परिरक्षण

बर्फ के रखने के लिये उचित साधन न होने के कारण मौसमी मछलियों को सुखाया जाता है। मछलियों को नमक लगाने और उन्हें सुखाने के कुछ तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है। सुखाकर परिरक्षण करने के अतिरिक्त, बर्फ में रख कर उनका परिरक्षण किया जा सकता है। त्रिवेन्द्रम में राज्य सरकार के शीत संग्रहागार को प्रॉन मछली का परिरक्षण करने के लिये काम में लाया जा रहा है जो कि एक मौसमी मछली है। मछलियों की अन्य किस्मों को भी बर्फ में रखा जा रहा है। सरकारी शीतसंग्रहागार के अतिरिक्त, गैरसरकारी व्यक्तियों के शीतसंग्रहागारों को भी मछलियों का परिरक्षण करने के लिये काम में लाया जा रहा ह और शीतसंग्रहागार स्थापित करन के संबंध में अब सरकार विचार कर रही है।

४. सहायक उद्योग

किनारे पर जहां कहीं शार्क और सारडीन मछली उपलब्ध है वहां शार्क लिवर तेल और सारडीन तेल तैयार किया जाता है। मछली पकड़ने का मौसम न हो, तो जाल बनाये जाते हैं। जाल बनाने के उद्योग को एक सहकारी आधार पर एक सहायक उद्योग बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रान मछली के बाह्य आवरण से निर्यात के लिये मछली का चूरा बनाया जा रहा है। इनके अलावा, मछली से संबंधित और कोई सहायक उद्योग शुरू करना संभव नहीं है क्योंकि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जितनी मछली पकड़ी जाती है प्रायः सब की सभी खाने के काम में लाई जाती है।

त्रिवेन्द्रम् मेडिकल कालिज (चिकित्सा)

†१०९९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बेहोश करने की आधुनिक दवाओं का प्रयोग त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालिज अस्पताल में बहुत कम होता है ;

(ख) क्लोरोफार्म और स्पाइनल इन्जेक्शन के अतिरिक्त सोडियम पेन्टेथॉल और बेहोश करने की अन्य दवाओं के प्रयोग से प्रति मास कितने बड़े आपरेशन किये जाते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य के अन्य बड़े अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के लिये बेहोश करने की दवाओं की सुविधाएं अपर्याप्त ही हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) हां; राज्य के अन्य अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के लिये बेहोशी की दवाएं अपर्याप्त इसलिये हैं कि योग्यता प्राप्त कर्मचारी नहीं मिलते।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

त्रिवेन्द्रम् मेडिकल कालेज के छात्र

†११००. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि त्रिवेन्द्रम् मेडिकल कालेज में इस समय अन्तिम वर्ष में कितने छात्र हैं और पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिल किये गये छात्रों की संख्या की तुलना में उनकी संख्या कितने प्रतिशत है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : अन्तिम वर्ष में ४७ छात्र हैं। प्रतिशतता ७८·३ है।

त्रिवेन्द्रम् मेडिकल कालेज में चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

†११०१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के मेडिकल कालिज में चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में उक्त विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव या योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रमशः १९५७ और १९५८ में प्रारम्भ करने की प्रस्थापना है।

नर्सें

†११०२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय नर्सों में मल्याली सब से अधिक हैं ;

(ख) क्या नर्सों के लिये केरल में कोई कालिज है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य में एक नर्सिंग कालिज खोलने की सरकार की कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नहीं। ऐसा ख्याल है कि नर्सिंग का एक और कालिज खोलने के लिये इस समय पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) नहीं।

वैद्यशालाओं को सहायता

†११०३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सहायक अनुदान प्राप्त वैद्यशालाएं कितनी हैं;

(ख) वैद्यों के लिये प्रति वर्ष अथवा प्रति मास आम तौर पर कितना अनुदान दिया जाता है ;

(ग) क्या अनुदानों की राशि बढ़ाने के लिये कोई प्रस्थापना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आयुर्वेद, यूनानी और चिन्थारमनी जैसी चिकित्सा की देशी पद्धतियों की तुलना में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा राज्य में जितने लोगों की चिकित्सा की जाती है उनकी प्रतिशतता कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) दो सौ नब्बे वैद्यशालाएं।

(ख) दरें बीस रुपये से तीस रुपये प्रति मास तक हैं।

(ग) जी हां।

(घ) आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ७९ प्रतिशत, आयुर्वेद और अन्य सभी पद्धतियां चौबीस प्रतिशत।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दंत चिकित्सक

†**११०४. श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चिकित्सा पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध व्यवसायी के रूप में कितने दन्त वैद्य त्रावनकोर-कोचीन राज्य में काम कर रहे हैं ;

(ख) सरकारी सेवा में कितने दन्त वैद्य नियुक्त हैं ; और

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में अधिक दन्त वैद्य हैं, इस बात को देखते हुए क्या सरकार का राज्य में दन्त चिकित्सा का एक कालिज खोलने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) १८२।

(ख) १४, जिनमें से दो को वेतन दिया जाता है और बारह अवैतनिक हैं।

(ग) त्रिवेन्द्रम में दन्त चिकित्सा का एक कालिज खोलने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सनद-प्राप्त चिकित्सको की उपलब्धियां (त्रावणकोर-कोचीन)

†**११०५. श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन की सरकारी सेवा में सदन प्राप्त चिकित्सकों और मेडिकल स्नातकों को दिल्ली, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के सनद प्राप्त चिकित्सकों और स्नातकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है ;

(ख) क्या उनका वेतन बढ़ाकर उसे अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब से ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) त्रावनकोर-कोचीन में मेडिकल स्नातकों और सनद प्राप्त चिकित्सकों को १५०–३०० रुपये के समान वेतन क्रम के अनुसार वेतन दिया जाता है, स्नातकों का वेतन २०० रुपये प्रति मास से और सनद प्राप्त चिकित्सकों का वेतन १५० रुपये से शुरू होता है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में निम्न वेतन क्रम हैं :—

दिल्ली

(१) असिस्टैंट सर्जन, प्रथम श्रेणी : २६०–१५–४४०–२०–५०० रुपये।

(२) असिस्टैंट सर्जन, द्वितीय श्रेणी : १२०–८–१६०–१०–२००–दक्षतारोध–१०–३०० रुपये।

सनद प्राप्त चिकित्सकों को शुरू में १२० रुपये प्रति मास और स्नातकों को १६० रुपये प्रतिमास मिलता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पश्चिम बंगाल

(१) असिस्टैंट सर्जन : २००–१०–४२०–१५–४५० रुपये ।

(२) सब-असिस्टैंट सर्जन : १००–५–१९०–१०–२५० रुपये ।

(ख) से (घ). त्रावनकोर-कोचीन में चिकित्सा के स्नातकों और सनद प्राप्त चिकित्सकों के वेतन क्रम में पुनरीक्षण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में शीघ्र निर्णय किये जाने की संभावना है ।

नर्सों का वेतन

†११०६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की अधीनस्थ चिकित्सा सेवा में काम करने वाली नर्सों, छात्रियों, कम्पाउंडरों, टेकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बम्बई, मद्रास और दिल्ली के ऐसे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की तुलना में किस प्रकार बैठते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : विभिन्न राज्यों के, जिनमें त्रावनकोर-कोचीन सम्मिलित है, नर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते संबंधी जानकारी नर्सिंग समिति के प्रतिवेदन में दी गई है जिसे भारत सरकार ने नर्सिंग व्यवसाय की सेवा की शर्तों, उपलब्धियों आदि का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया था । प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

बम्बई, मद्रास, दिल्ली और त्रावनकोर-कोचीन के राज्यों में कम्पाउंडरों और प्रयोगशाला टेकनीशियनों को दिये जाने वाले वेतन क्रमों संबंधी जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४०]**

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दांतों का रोग

†११०७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन के छात्रों में दांतों का रोग बढ़ता जा रहा है और क्या इसकी विस्तृत जांच की जाने वाली है ;

(ख) क्या राज्य में छात्रों की डाक्टरी परीक्षा में दांतों की जांच भी की जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) इस संबंध में कोई विस्तृत जांच नहीं की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रावणकोर-कोचीन में पैदायशें

†११०८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अस्पतालों में कितने प्रतिशत बच्चे पैदा होते हैं ;

(ख) कितनी प्रतिशत गर्भवती स्त्रियों की राज्य में आधुनिक ढंग से चिकित्सा सहायता की जाती है ;

(ग) क्या इस प्रकार की डाक्टरी चिकित्सा सहायता को और अधिक बढ़ाने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) तथा (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ). द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २५० प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें बच्चे पैदा होने के अविलम्बनीय मामलों के लिये दो बिस्तर रहेंगे और १८ प्रसूति गृह खोलने का विचार है जिनमें से प्रत्येक में छः बिस्तर होंगे। प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य कार्य ५६ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा भी किया जायेगा जिनकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापना करने का विचार है।

त्रावणकोर-कोचीन में महिला डाक्टर

†**११०९. श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि त्रावनकोर कोचीन राज्य में इस समय सरकारी सेवा में कितनी महिला डाक्टर हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सरकारी नौकरी में १३८ महिला डाक्टर हैं।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पौष्टिक भोजन की कमी के कारण-विकार

†**१११०. श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में पौष्टिक भोजन की कमी के कारण विकारों के बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि तटीय क्षेत्रों में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में पौष्टिक भोजन की कमी के कारण विकार अधिक होते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में त्रावनकोर-कोचीन के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अपर्याप्त पोषण की कमी के लक्षण अधिक साफ दिखाई देते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (घ). त्रावनकोर-कोचीन राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आहर पोषण संबंधी विकारों के बारे में कोई जांच नहीं की गई है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में बच्चों का अपर्याप्त पोषण

†**१११९. श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कोई ऐसा प्रबन्ध है जिसके द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों को, जिनमें अपर्याप्त पोषण के लक्षण साफ दिखाई देते हैं, कुछ स्वास्थ्यप्रद भोजन अथवा कम से कम डाक्टरी सम्मति ही मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकमारी अमृत कौर)** : (क) तथा (ख). राज्य ने १९५५–५६ में स्कूलों में भोजन की व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम बनाया था जिसके अधीन २७२ स्कूलों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से दूध का पाउडर तथा अन्य अनुपूरक भोजन दिया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम में १०० स्कूल और मिला लिये गये हैं। प्रतिदिन लगभग १०० बच्चों को भोजन दिया जाता है। राज्य के सभी स्कूलों के लिये स्कूलों का एक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज

†१११२. **श्री व० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालिज में राज्य के सर्वसाधारण को होने वाली बीमारी में गवेषणा करने की कुछ सुविधायें हैं ;

(ख) यदि हां तो वे सुविधायें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां।

(ख) अब निम्न विषयों पर गवेषणा की जा रही है :—

(१) "बच्चों में अपर्याप्त पोषण"।

(२) "टाइफाइड बुखारों में दिल पर प्रभाव"।

गलगण्ड तथा मधुमेह पर भी गवेषणा प्रारम्भ की जा रही है।

त्रावनकोर कोचीन राज्य में जल संभरण

†१११३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के तटीय गांवों में ताजे जल के अभाव में खारा पानी पीने के प्रभाव के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्षय-रोग (त्रावनकोर-कोचीन)

†१११४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में क्षय का प्रकोप सब से अधिक है और वह भी वृद्धि पर है ;

(ख) ऐसे क्षय रोगियों की संख्या कितनी है जिनको अब अस्पताल में भरती किये गये रोगियों की हैसियत से उपचार कराने का लाभ मिल सकता है ; और

(ग) इस समय चल फिर सकने वाले क्षय रोगियों की (अनुमानित) संख्या कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) त्रावनकोर-कोचीन तथा अन्य राज्यों में क्षय के प्रकोप के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः स्थिति की तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ख) ४७०।

(ग) लगभग २५,०००।

उत्तर तथा पश्चिम रलवे में रेलगाडियां

†१११५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न मार्गों पर कोई भी डाकगाड़ी या एक्सप्रैस गाड़ी नहीं है :

(१) उत्तर रेलवे छोटी लाइन क्षेत्र के रेवाड़ी भटिण्डा मार्ग पर ; और

(२) पश्चिम रेलवे की छोटी लाइन क्षेत्र के रेवाड़ी-फुलेरा कॉर्ड पर;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन लाइनों पर ऐसी गाड़ियां चलाना आरम्भ करने का विचार करती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) (१) तथा (२). जी हां।

(ख) नहीं। दिल्ली-भटिण्डा क्षेत्र पर रेवाड़ी होकर एक एक्सप्रैस अथवा डाकगाड़ी की आवश्यकता महसूस की गई है किन्तु फिलहाल डिब्बों और इंजनों की कमी तथा दिल्ली-भटिण्डा क्षेत्र पर अपर्याप्त लाइन क्षमता के कारण ऐसी गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है। रेवाड़ी-फुलेरा कॉर्ड पर एक्सप्रैस अथवा डाकगाड़ी चलाना यात्रियों की संख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुलानकुन्नाथुकाय में क्षय रोगियों के लिये बिस्तर

† **१११६. श्री मैथ्यू** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मुलानकुन्नाथुकाव में क्षय रोग चिकित्सालय में क्षय रोगियों के कितने विस्तर हैं ;

(ख) अस्पताल में भरती होने वाले रोगियों की हैसियत से प्रवेश पाने के लिये औसतन कितने बीमार उम्मीदवारों की सूची में रहते हैं ;

(ग) प्रवेश पाने से पूर्व किसी बीमार को औसतन कितने समय तक उम्मीदवारों की सूची में रहना पड़ता है ; और

(घ) क्या चिकित्सालय में विस्तरों की संख्या में वृद्धि करने का कोई विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) १२९।

(ख) १,७६०।

(ग) ४ वर्ष।

(घ) जी हां, ६४ बिस्तर और बढ़ाये जा रहे हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर ३०० करने का विचार है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सिंचाई के तालाब

†**१११७. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में इस समय सिंचाई के कितने तालाब हैं ; और

(ख) ऐसे कितने तालाबों का प्रयोग अन्य कामों में किया जा रहा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ६८२४।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मछली पकड़ना

†**१११८. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) समुद्र मात्सिकी*, (२) सागर संगम-मात्सिको** और (३) अंतर्देशीय मात्सिको*** में कुल कितने मछुये लगे हुये हैं ; और

(ख) भारत में कुल कितने लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र और अंतर्देशीय मात्सिकी पर निर्भर करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*Marine Fisheries.
**Estuarine Fisheries.
***Inland Fisheries.

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कृषि-उत्पाद विपणन तथा निरीक्षण निदेशालयो* द्वारा १९५२ में मत्स्य विपणन पर जारी किये गये प्रतिवेदन के अनुसार वयस्क मछुओं की संख्या का अनुमान लगभग ५ पांच लाख लगाया गया था। अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वैज बैंक

†**१११९. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास जो जानकारी है उससे यह प्रकट होता है कि मलाबार घाट में वैज बैंक पर १०० से अधिक शक्ति द्वार चालित मछली पकड़ने की नौकाओं के नियमित प्रयोग की गुंजाइश है ; और

(ख) क्या सरकार को विदित है कि श्रीलंका वाले वैज बैंक पर प्रत्येक नौका से ७० से ८० टन तक मछली पकड़ते हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यह जाने बिना कि वहां कितनी मछली पाई जाती है यह कहना कठिन है कि शक्ति द्वारा चालित मछली पकड़ने की कितनी नौकायें वहां काम आ सकती हैं।

(ख) जहां तक भारत सरकार को पता है, १९५३ में वैज बैंक पर काम करने वाले श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाजों में से प्रत्येक एक बार में लगभग ४० टन मछली पकड़ता था।

वैज बैंक

†**११२०. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वैज बैंक पर मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कोई धन राशि मांगी गई है, यदि हां, तो कितनी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वैज बैंक पर मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कोई विशिष्ट राशि नहीं मांगी गई है।

मछली पकडने के बन्दरगाह

†**११२१. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वादगे तट के वाणिज्यिक कारबार के विकास के लिये मलाबार घाट में मछली पकड़ने के बहुत से बन्दरगाहों के विकास करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मलाबार तट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के लिये परिमाप किया जा रहा है।

विभागातिरिक्त डाकघर

†**११२२. श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में जिला कांगड़ा (पंजाब) में कितने और कहां कहां विभागातिरिक्त शाखा डाकघर, उप-डाकघर, डाकघर, विभागातिरिक्त उप-डाकघरों को छोड़ कर अन्य उप-डाकघर, डाकघर, तार घर, सार्वजनिक टेलीफोन खोले गये ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ९, अनुबन्ध संख्या ४१**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

*Directorate of Agricultural Marketing and Inspection.

राजस्थान में डाक डिवीजन

†११२३. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल के विभिन्न डाक डिवीजनों का क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उदयपुर में एक नया डाक डिवीजन खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो यह विनिश्चय कब होगा ; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) डिवीजनों का क्षेत्रफल वर्गमीलों में :—

दक्षिण राजस्थान डिवीजन	१८७४३
मध्य राजस्थान डिवीजन	१५१२९
पश्चिमी राजस्थान डिवीजन	४६८९७
उत्तरी राजस्थान डिवीजन	३००८२
पूर्वी राजस्थान डिवीजन	१८१७२
भोपाल डिवीजन	१४५१२
मालवा डिवीजन	९१०३
ग्वालियर डिवीजन	१७४८३
इन्दौर डिवीजन	१६१६२

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) विभागीय स्तरों के अनुसार न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुआ।

डबोक का हवाई अड्डा

११२४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डबोक में एक हवाई अड्डे निर्माण करने के लिये कृषकों से कुल कितनी भूमि ली गई थी ;

(ख) उनको कितना मुआवजा दिया गया ;

(ग) अब तक कितने कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका है ;

(घ) कितने कृषकों को बिलकुल मुआवजा नहीं दिया गया ; और

(ङ) उन कृषकों को मुआवजा देने में देर होने के क्या कारण हैं और उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १३४.२३ एकड़।

(ख) किसानों से जो १३४.२३ एकड़ भूमि ले ली गई थी उसके बदले में राजस्थान सरकार ने दूसरी भूमि देकर भूमि का मुआवजा पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त संपत्ति और खड़ी फसल के लिये उन्हें ४०५९ रुपये की नगद भुगतान भी की गई है।

(ग) ५१ को

(घ) एक भी ऐसा कृषक नहीं जिसको मुआवजा न दिया गया हो।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पेप्सू में सार्वजनिक टेलिफोन तथा डाकघर

†**११२५. श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ में पेप्सू में नौ सार्वजनिक टेलीफोन और ४ तार घर खोलने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सार्वजनिक टेलीफोन :

१. शियाना — खुल चुका है ।

२. दुजना
३. मदौर
४. उकलाना
५. मदलन्दा
६. भवानी खेड़ा

— प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं ।

अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

तारघर

१. सानौर
२. मदौर
३. लेहरागाग

— स्वीकृत

अधिक प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

सार्वजनिक टेलीफोन

†**११२६. श्री झूलन सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ को विभिन्न प्रादेशिक रेलों में से प्रत्येक पर कितने सार्वजनिक टेलीफोन थे ; और

(ख) १९५५–५६ में उन पर कितना व्यय हुआ और कितनी उनसे आय हुई ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण , जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ठ ९, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ख) (१) विभिन्न प्रादेशिक रेलों की भू-गृहादि पर सार्वजनिक टेलीफोन रखने का व्यय बहुत कम है और प्रति वर्ष लगभग १०० रु० से ३०० रु० तक होता है ।

(२) रेलवे सार्वजनिक टेलीफोनों से अनुमानत: १,९८,५९५ रु० की आय होती है ।

रेलवे यात्री सुविधायें

†**११२७. श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ के दो वर्षों में उत्तर-पूर्वी रेलवे पर की गई यात्री-सुविधाओं की व्यवस्था की देखभाल और उसे ठीक बनाये रखने के लिये रखे गये कर्मचारियों पर लगभग कितना व्यय हुआ ; और

(ख) उन दो वर्षों में उनसे पहिले दो वर्षों में उपरोक्त सुविधाओं पर प्राप्त हुई शिकायतों की अपेक्षा कितनी शिकायतें उसी विषय पर शिकायतों की पुस्तक में लिखी गईं या अन्यथा प्राप्त हुईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :**

(क)	१९५४–५५	१२,८४,६०० रु०
	१९५५–५६	१४,२७,७०० रु०
(ख)	१९५२–५३	३९५ शिकायतें
	१९५३–५४	३६५ ,,
	१९५४–५५	५०२ ,,
	१९५५–५६	४८७ ,,

अमृतसर तथा जालंधर स्टेशन

†११२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर तथा जालंधर रेलवे स्टेशनों पर किस दिनांक को मैगाफोन (ध्वनि प्रसारण यंत्र) लगाए जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उक्त स्टेशनों पर लाउडस्पीकर तो पहले ही लग चुके हैं। इसके अतिरिक्त विद्यमान उपकरणों को नवीनतम उपकरणों से प्रतिस्थापित करने का तथा लाउडस्पीकरों की संख्या को बढ़ाने का विचार है तथा इस काम को मार्च १९५७ तक पूरा किये जाने की आशा है।

तूफ़ान की चेतावनी

†११२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान संचालन को सुरक्षित बनाने के लिये सन् १९५५ में दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में आंधी तथा गरज आदि तूफानों के संबंध में कितनी चेतावनियां जारी की गई; और

(ख) उसी काल में ऋतु विज्ञान संबंधी मुख्य मुख्य सेवाएं क्या की गई हैं ?

† **संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १०९।

(ख) भारतीय ऋतु विज्ञान संबंधी विभाग ने १९५५ में जो मुख्य सेवाएं की हैं, उनमें पूर्व वर्षों के सदृश विमान चालन तथा कृषकों तथा आम जनता के अतिरिक्त नौवहन तथा पत्तनों, लोक निर्माण अधिकारों, रेलवे वर्दी धारी तथा सिंचाई प्राधिकारों के हित में ऋतु संबंधी पूर्वकथन तथा चेतावनियां दी थीं।

सफदरजंग के मुख्य ऋतु विज्ञान संबंधी कार्यालय के असैनिक विमान सेवाओं, उड्डयन क्लब चालकों तथा सफदरजंग हवाई अड्डे का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियोंने विमान चालन संबंधी पूर्व कथन तथा चेतावनियां दी थीं तथा इलाहाबाद, जोधपुर और लखनऊ के ऋतु विज्ञान संबंधी कार्यालयों को पूर्व कथनों तथा चेतावनियों के जारी करने के निदेश जारी किये थे। उक्त विभाग ने दिल्ली उड्डयन सूचना क्षेत्र में निरन्तर सतर्कता रखी तथा उड्डयन में व्यस्त विमानों के लाभार्थ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिवर्तन के बारे में चेतावनियां जारी की थीं। इसने दैनिक प्रादेशिक ऋतु संबंधी प्रतिवेदन, तार द्वारा भेजे जाने वाले संक्षेप, भारी वर्षा संबंधी चेतावनियां तथा कृषकों संबंधी मौसमी बुलेटिन भी जारी किए जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, पैप्सू, दिल्ली तथा अजमेर राज्य लिये गये थे। इस विभाग पर दिल्ली के उप-महाद्वीपीय प्रसारण केन्द्र से ऋतु विज्ञान संबंधी संक्षिप्त अवलोकनों तथा तूफानों संबंधी चेतावनियों को जारी करने का उत्तरदायित्व यथापूर्व रहा। कुछेक हिमालियन अभियानों के प्रयोग के लिये अखिल भारतीय आकाशवाणी से विशेष बुलेटिन जारी किए गए थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रिक्शों पर प्रतिबन्ध

११३०. श्री बाल्मीकी : क्या **श्रम** मंत्री २९ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ९८७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल रूप से रिक्शा चलाने में लगे व्यक्तियों को अन्य कार्यों में लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ; और

(ख) इस कार्य में कुल कितने व्यक्ति लगे हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) राज्य सरकारों से जो उत्तर मिले हैं उनसे यह मालूम हुआ है कि अधिकतर राज्यों का इस संबंध में कोई खास कार्यवाही करने का विचार नहीं है। रिक्शा चलाना धीरे-धीरे बन्द किया जायेगा, इसलिये बहुत से राज्यों का ख्याल है कि रिक्शा चलाने वाले अपने आप ही दूसरे कामों में लग जायेंगे।

(ख) लगभग एक लाख पचीस हजार।

शटल रेलगाडी सेवाएं

†**११३१. श्री भीखा भाई :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी रेलवे में (१) चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, (२) चित्तौड़गढ़ और नीमच और (३) चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच शटल रेलगाड़ी चलाने के लिये किसी प्रस्ताव का पर्यवेक्षण किया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि यदि प्रस्ताव पर वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो यह प्रस्ताव लाभदायक होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) (१) से (३). जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। जितना यातायात है उसके लिये वर्तमान रेलगाड़ी सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

नौवहन

† **११३२. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारतीय नौवहन समवायों द्वारा जितने टन लदान तट के साथ साथ ले जाया गया था क्या उसके पूरे आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कुल टन भार कितना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां।

(ख) २५,५५,१८० टन।

रेलवे दुर्घटना

११३३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोमवार २ जुलाई, १९५६ को सशस्त्र पुलिस के दो जवान, श्री नित्यानन्द विश्वास और श्री भूपाल सिंह जब कि वह ड्यूटी पर थे, हावड़ा से बारह मील की दूरी पर आबदा और संकरेल स्टेशनों के बीच एक पाइलट गाड़ी से टकरा गये और उनकी लाशें एक मील तक घिसटती चली गईं ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २-७-१९५६ को रात के लगभग ११ बजकर २२ मिनट पर जब डाउन बाउरिया-संतरागाछी पाइलट मालगाड़ी दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर आबदा और संकरेल स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो पुलिस के दो सिपाही सर्वश्री भूपाल सिंह और नित्यानन्द बिसवास १०/७–८ और ९/२७ मील के बीच गाड़ी के इंजन से ठोकर खाकर गिर पड़े। इनमें से पहिला सिपाही एक मील तक घसीटता चला गया और संकरेल स्टेशन यार्ड में मरा हुआ पाया गया। दूसरा सिपाही आबदा स्टेशन के डाउन एडवान्स स्टार्टर के पास बुरी तरह घायल पाया गया।

(ख) अप्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर रेलवे के अफसरों ने दुर्घटना का कारण यह ठहराया है कि शायद दोनों सिपाही जब डाउन लाइन पर गश्त लगाते हुए जा रहे थे तो पाइलट इंजन से ठोकर खा कर गिर गये।

मनोहराबाद के निकट मालगाड़ी के डिब्बे का पटरी से उतरना

११३४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जुलाई, १९५६ को सिकन्दराबाद-मनमाड छोटी लाइन पर मनोहराबाद और मेधचल स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के १७ डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ११-७-५६ को सुबह लगभग २ बज कर २५ मिनट पर जब ८०८ अप मालगाड़ी मध्य रेलवे के निज़ामाबाद-सिकन्दराबाद मीटर लाइन सेक्शन पर मनोहराबाद-मेडचल स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो ३६६/४–५ मील पर उसके १७ डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

प्रतीक्षा के कमरे और हॉल

†**११३५.** { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न रेलों में और अधिक प्रतीक्षा के कमरे और हॉल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना खर्च होगा ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) मुख्यतः यह प्रस्ताव ठहरने के नए हाल तथा कमरों को निर्मित करने और प्रतीक्षा के वर्तमान हॉल तथा कमरों के विस्तार या सुधार करने के संबंध में है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कपास का उत्पादन

११३६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में जो योजना है, उसके अधीन पंजाब तथा पैप्सू को १९५५-५६ में ऋण तथा अनुदान रूप में कुल कितनी रकम की मंजूरी दी गई थी और १९५६-५७ में कितनी रकम मंजूर करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या १९५५–५६ के लिये जो अनुदान और ऋण दिये गये थे, उनका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५५–५६ में पंजाब तथा पैप्सू राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं मांगा था, १९५६–५७ के लिये भी अभी तक ऋण के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

१९५५–५६ और १९५६–५७ में इन राज्यों के लिये जो अनुदान मंजूर किये गये हैं वे निम्न हैं :—

	१९५५–५६ रुपये	१९५६–५७ रुपये
पंजाब	१,२१,४२९	१,६३,६००
पेप्सू	६३,६५०	५२,८८९

(ख) जी, नहीं।

(ग) (१) **पंजाब** : १९५५–५६ की अवधि में ३८,७७६ रुपये की कुल रकम का उपयोग किया गया था।

निम्न कारणों के फलस्वरूप ८२,६५३ रुपये की बचत हुई थी :—

(१) कुछ पद रिक्त रहे थे।

(२) बिनौलों के वितरण पर कोई हानि नहीं उठानी पड़ी थी।

(३) नाशिकीटी नियंत्रण कार्यवाहियों और बिनौलों के धूमन पर कोई रकम खर्च नहीं की गई थी ; और

(४) आकस्मिक व्यय में बचत।

(२) **पैप्सू** : वर्ष १९५५–५६ में ४९,५०७ रुपये की कुल रकम का उपयोग किया गया था। १४,१४३ रुपये की बचत इस कारण हुई थी कि नाशिकीटी नियंत्रण कार्यवाहि ों पर कोई रकम खर्च नहीं की गई थी।

भारत-पाक यात्री-यातायात

११३७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ वर्ष की अवधि में भारत और पाकिस्तान के बीच खुले हुए रेल मार्गों द्वारा कितने यात्रियों ने :—

(१) पाकिस्तान से भारत और,

(२) भारत से पाकिस्तान, यात्रा की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेल मार्ग खुले हुये हैं उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन मार्गों से कितनी राशि अर्जित हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) (१) ८,३६,९५२ ।

(२) ९,८१,५१० ।

(ख) तथा (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४३**]

अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन

†११३८. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के अन्तर्गत १९५५–५६ में पंजाब को कुल कितना अनुदान दिया गया था ; और

(ख) इस योजना की मुख्य मदें क्या हैं और इसी अवधि में उन पर कुल कितना खर्च हुआ था ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख).

योजना का नाम	स्वीकृत राशि	कुल खर्च जिसे अब तक महालेखपाल द्वारा समायोजित किया गया है
	(रु० लाखों में)	
१. सिंचाई संबंधी अल्प योजना . .	४.७७	०.०७
२. जलानुवेधन को रोकने के लिए नालियों का निर्माण ।	२.५०	१.६१
३. यांत्रिक कृषि . .	३.६३	प्रतिवेदित नहीं किया गया
४. सुपरफ़ॉसफ़ेट का वितरण . .	१.५२	,,
५. कम्पोस्ट योजना . .	०.०७	०.०७
६. घनी खेती	०.२७	०.२७
७. अतिरिक्त जिला कर्मचारी वृन्द . .	०.०६	०.०१
८. एफ० सी ० के कार्यालय के लिए जी० एम० एफ० कर्मचारीवृन्द ।	०.११	०.१०
९. फ़सल प्रतियोगिता . . .	०.०६	०.०६
१०. खेतों के चूहों तथा गीदड़ों के नाश के लिए योजना ।	०.३५	०.२७
कुल . .	१३.३४	२.४६

†मूल अंग्रेजी में ।

सार्वजनिक टेलीफोन, पंजाब

†११३९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पंजाब में जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायेंगे, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये जगहों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :**

(क) १९५५-५७ म जहां पहले ही सार्वजनिक टेलिफोन लगाये जा चुक है :—

१. उरमर

२. उना

३. नूरपुर

जिन सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी दी जा चुकी है और जिन के इस वर्ष में खुलने की आशा है, शर्त यह है कि समय पर सामग्री उपलब्ध हो :—

१. अनाज मंडी

२. कुकरपिंड

३. आदमपुर

४. बावारना

५. ठुराल

६. हमीरपुर

७. रूरका कलां

८. भाखाइं

९. माछीवाड़ा

१०. मुबारक पुर

११. नरेला

१२. मुस्तफ़ाबाद

कुछ अन्य स्थानों के संबंध में प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन, जिला मुख्यालय नगरों में, हानि का विचार किए बिना लगाए जाते हैं और उप-विभागीय मुख्यालय नगरों में, सीमित हानि के आधार पर लगाए जाते हैं। अन्य स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी तब दी जाती है जब उन से विभाग को कोई हानि न होती हो।

---

†मूल अंग्रजी में।

पंजाब तथा पेप्सू में रेलवे पुल

†११४०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा पैप्सू में रेलवे पुल या फाटक बनाने के लिये पंजाब और पैप्सू सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ; और

(ग) पंजाब तथा पैप्सू में जिन स्थानों पर पुल बनाये जायेंगे उनकी संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) पुलों तथा फाटकों का निर्माण कार्य और बातों के साथ साथ लागत के अपने अंश की अदायगी के लिये संबंधित लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति मिलने पर भी निर्भर होता है क्योंकि इसमें कुछ समय लग जाता है इसलिये इस स्तर पर कोई विशिष्ट तिथि नहीं बताई जा सकती है।

(ग) साधारणतया ऐसी जानकारी केवल रेलवेवार प्राप्य होती है। तथापि यह अभी आय निश्चित किया गया है कि पंजाब तथा पैप्सू सरकारों ने निम्न स्थानों के निकट रेलवे मार्ग के ऊपर या नीचे पुलों के निर्माण के लिये प्रस्ताव भेजे हैं :—

पंजाब—

जालंधर नगर
लुधियाना
ढिलवां
हिसार
रेवाड़ी और
अम्बाला

पैप्सू —

चहेंडू
राजपुरा और
कालका-शिमला खंड के २८।६६ मील पर

मुर्गी पालन व्यवसाय

†११४१. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में आदिम जाति के व्यक्तियों द्वारा मुर्गी पालन व्यवसाय के विकास संबंधी संभावनाओं के बारे में निर्धारण-कार्य किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रस्ताव पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार का मुर्गी पालन व्यवसाय में आदिम जातियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) तथा (ख). ऐसी योजनायें साधारणतया राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की जाती हैं। ऐसी कई योजनायें प्राप्त हुई हैं और उनकी मंजूरी दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना में मुर्गी पालन केन्द्रों के मालिकों को प्रशिक्षण देने का उपबन्ध है यह सुविधा आदिम जातियों के व्यक्तियों को भी प्राप्य होगी।

डुंगारपुर गांव के लिये तार सुविधा

†११४२. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के डुंगारपुर जिले में सीमलवाड़ा की जनता ने यह अभ्यावेदित किया है कि उनके गांव को तार सुविधाएं देना अस्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

रेलवे के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिश

†११४३. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जिन नई लाइनों को अनुमोदित किया गया है उनका यातायात सर्वेक्षण करते समय सकल आय के प्राक्कलन किस आधारपर निर्धारित किए गए थे;

(ख) प्राक्कलन समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन की कंडिका २०६ में अन्तर्विष्ट सिफ़ारिश को देखते हुए, जिस संशोधित सूत्र को लाईन का सूत्र कहा जाता है, उसके अन्तर्गत प्राक्कलित संभाव्य यातायात आय को विचाराधीन रखते हुए क्या सरकार का ऐसी नई लाइनों की सूची में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन का दीवा-दासगांव रेलवे के निर्माण पर भी प्रभाव होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जोयामंडी-बांसपानी परियोजना को छोड़ कर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अन्तर्विष्ट लाईनों का यातायात सर्वेक्षण या तो अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है या अभी किया जा रहा है। जोयामंडी-बांसपानी परियोजना के मामले में सवारी गाड़ी की आय, लाईन के सूत्र में अन्तर्निहित सिद्धांतों के आधार पर प्राक्कलित की गई है और माल-गाड़ी की आय आगे बढ़ाई जाने वाली लाईन से जिन क्षेत्रों को लाभ होगा, उस क्षेत्र से जिस आयात या निर्यात की आशा है उसके आधार पर प्राक्कलित की गई है।

(ख) जी, नहीं। सूची संचालन संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करते हुए तैयार की गई है। संभाव्य यातायात आय अब भी लाईन सूत्र में अन्तर्निहित सिद्धांतों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है।

(ग) दीवा,दासगांव के मामले में सवारी गाड़ी की संभाव्य आय 'लाईन के सूत्र में' अन्तर्निहित मूल सिद्धांतों पर प्राक्कलित की गई है। इसलिये परिवर्तन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

पर्यटन

११४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्या सरकार भारत की नदियों और पर्वतीय दृश्यों को दिखाने के लिये पथ प्रदर्शकों (गाइडों) का प्रबन्ध करने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): शिमला, दार्जिलिंग, और ऊटाकमंड के पहाड़ी स्थानों में जहां कि विदेशी पर्यटक सैर के लिये जाते हैं, वहां पर भारत सरकार ने पर्यटक सूचना दफ्तर खोल दिये हैं। इन स्थानों में गाइडों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था का भी विचार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

स्टेशन मास्टर के पद में क्रमोन्नति करना

†११४५. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे के स्टेशन मास्टरों के सात पदों में क्रमोन्नति करने के संबंध में अब कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है।

अग्रताला में अस्वाभाविक मृत्यु

†११४६. **श्री बीरेन दत्त** :
श्री दशरथ देव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जुलाई, १९५६ के महीने में, अग्रताला-त्रिपुरा के विक्टोरिया अस्पताल में, अस्वाभाविक मृत्यु के कितने मामलों में शव परीक्षा की गई थी ;

(ख) कितने मामलों को आत्म हत्या के मामलों के रूप में अभिलिखित किया गया था; और

(ग) इसी अवधि में अस्वाभाविक मृत्यु के अन्य प्रकार के कितने मामले अभिलिखित किये गए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) आठ।

(ख) छः।

(ग) दो।

महिन्द्रुघाट

†११४७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिन्द्रुघाट स्टेशन को और स्थान पर बनान तथा इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : स्टेशन को और स्थान पर बनाने के लिये भूमि के अर्जन के संबंध में कार्यवाहियां की गई हैं। भूमि अर्जित होने के पश्चात आधुनिक सुविधाओं के साथ स्टेशन की इमारत बनाने का काम प्रारम्भ किया जायगा।

रेलवे समय सारणी

†११४८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यान्वित समय सारिणी में जिस रूप से संक्षिप्त समय दिखाए गए हैं उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे की सार्वजनिक समय सारणी के संस्करण में उद्धरित न करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रंक तथा मेन लाइनों पर चलने वाली लम्बे सफर की सभी डाक, एक्सप्रैस तथा पैसेन्जर गाड़ियों के कार्यान्वित समय सारणियों में छपने वाले संक्षिप्त समय सार्वजनिक समय सारणी में भी दिखाए जाते हैं।

भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के टी० टी० ई०

११४९. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे पर टी० टी० ई० को रनिंग स्टाफ माना जाता था ; और

(ख) यदि हां, तो अब उनको इसी श्रेणी में रखने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ी टिकट परीक्षकों को किसी भी रेलवे में रनिंग स्टाफ नहीं माना जाता, क्योंकि चलती गाड़ियों के काम से उनके काम का सीधा संबंध नहीं है।

भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

११५०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९५० को क्वार्टर दिये गये थे और उन्हें किराये की छूट भी दी गयी थी ; और

(ख) क्या पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण के पश्चात उनको इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान उनके २४-८-५६ के अतरांकित प्रश्न ९२४ के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं।

भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के टी० टी० ई० वर्ग के लिये क्वार्टर

११५१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन के भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे भाग के लिये १९५२-५३ से १९५५-५६ तक कितने क्वार्टर बनाये गये और उनमें से कितने क्वार्टर टी० टी० ई० वर्ग के लिये दिये गये ; और

(ख) क्वार्टर देने में टी० टी० ई० वर्ग को प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८३६ क्वार्टर बनाये गये जिनमें से ३० गाड़ी टिकट परीक्षकों को दे दिये गये।

(ख) क्वार्टर देने के लिये गाड़ी टिकट परीक्षक अनिवार्य कर्मचारियों के वर्ग में नहीं आते।

मंड्या स्टेशन

†**११५२. श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मंडया स्टेशन पर यातायात की मात्रा क्या है ;

(ख) क्या मंड्या की वर्तमान रेलवे स्टेशन की इमारत को बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब और इस पर कितना व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस स्टेशन से प्रति वर्ष बाहर जाने वाले लोगों की औसत संख्या ४,६५,००० है और इस स्टेशन पर उतरने चढ़ने वाले माल की (दोनों बाहर जाने वाला तथा अन्दर आने वाला) वार्षिक मात्रा लगभग २४,३६,००० मन है।

(ख) तथा (ग). जी नहीं। वर्तमान इमारत को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु वहां पर सिर्फ तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षागृह के विस्तार करने तथा प्लेटफार्म पर शौचालयों तथा बेंचों की संख्या बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। इस पर २९,३०० रुपये व्यय होने का अनुमान है। अभी इन सब प्रस्तावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

भुवनेश्वर स्टेशन

†११५३. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर (उड़ीसा की नई राजधानी) स्टेशन पर अप और डाउन गाड़ियों के ठहरने का समय बढ़ाने के लिये उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या नतीजा रहा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, हमें उड़ीसा सरकार से हावड़ा-मद्रास मेल और हावड़ा-पुरी एक्सप्रैस के भुवनेश्वर स्टेशन पर ज्यादा देर ठहराने के लिये एक सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस स्टेशन पर गाड़ियों के ठहरने का वर्तमान समय ही यहां के मुसाफिरों आदि की दृष्टि से काफी समझा गया है।

जावर की खानें

†११५४. **श्री भीखा भाई :**
श्री बलवन्त सिंह महता :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जावर की खानों के श्रमिकों ने अपनी मांगों के प्रबन्धकों द्वारा पूरा न किये जाने पर हड़ताल का नोटिस दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी वैध मांगों को जानने के लिये कोई जांच की है ; और

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच उस झगड़े को निपटाने के लिये कोई प्रतिनिधि भेजा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां। दो यूनियनों में से एक यूनियन नामतः जावर माईन्स मज़दूर संघ ने हड़ताल की नोटिस दे दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार के एक समझौता अधिकारी फैसला कराने के लिये उन खानों में गये थे। इसके फलस्वरूप हड़ताल समाप्त कर दी गई है और २३ अगस्त, १९५६ से वहां पर कार्य शुरू हो गया है।

सामुदायिक परियोजनाओं में स्वास्थ्य संबंधी नमूना सर्वेक्षण

†११५५. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) स्वास्थ्य विषयक नमूना सर्वेक्षण दल द्वारा कितने राज्यों के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में परिवहन की कमी के कारण उनके कार्य की प्रगति रुकी हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) पश्चिमी बंगाल तथा मध्य भारत में से प्रत्येक राज्य में एक-एक विकास खंड का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में डोंगरपुर सामुदायिक विकास खंड का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

रतलाम नगर को पानी का संभरण

११५६. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइपों द्वारा रतलाम को पानी का संभरण करने के बारे में क्या रेलवे बोर्ड और मध्य भारत सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। इस प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब कभी मध्य भारत सरकार रतलाम शहर में अधिक पानी पहुंचाने की अपनी योजना को पूरा करके चालू करेगी।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चलता फिरता चिकित्सा केन्द्र, शान्तिर बाजार बिलोनिया (त्रिपुरा)

†**११५७. श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या शान्तिर बाजार बिलोनिया (त्रिपुरा) में कोई चलता-फिरता चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब खोला गया था ; और

(ग) इसमें कितने कर्मचारी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां।

(ख) ३० अप्रैल १९५६ को।

(ग) केन्द्र के लिये निम्न लिखित कर्मचारी स्वीकृत किये गये हैं :

सिविल एसिस्टेंट सर्जन ग्रेड १ . .	१
कम्पाउंडर	१
सेनेटरी इंस्पेक्टर	१
ड्राइवर	१
चौथी श्रेणी के कर्मचारी . . ०	१

धींग मोरीगांव रेलवे लाइन

†**११५८. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर धींग-मोरीगांव रेलवे लाइन का और आगे विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी नही। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कलकत्ता उपनगरीय विद्युत रेल गाड़ियां

†११५९. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के उपनगर क्षेत्र में पहली विद्युत रेल गाड़ी चलाने के लिये जून, १९५७ की तिथि निश्चित की जा चुकी ह ; और

(ख) कलकत्ता तथा कल्यानी के बीच विद्युत गाड़ी कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां। यह इस धारणा पर किया गया है कि विद्युत के इंजन निर्धारित समयानुसार हमें मिल जायेंगे तथा इनको चलाने में कोई अन्य कठिनाई नहीं प्रस्तुत होगी।

(ख) इस समय सही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। परन्तु पहली विद्युत गाड़ी १९५९ के अन्त तक चला देने की योजनायें हाथ में हैं।

सहरसा जंक्शन स्टेशन की रेलवे सड़क

†११६०. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सहरसा जंक्शन स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के पश्चिम से जाने वाली रेलवे सड़क के सुधार संबंधी कोई प्रतिनिधान सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) सड़क की मरम्मत के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सहरसा स्टेशन

†११६१. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वोत्तर रेलवे के सहरसा स्टेशन के उत्तर में एक अतिरिक्त स्टेशन अथवा हाल्ट बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस प्रकार का एक प्रस्ताव मिला है।

(ख) प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जांच से यह जानकारी हुई है कि प्रस्तावित स्टेशन पर जितने यात्री आने की आशा है उससे ठेकदार द्वारा चालित हाल्ट को बनाने का औचित्य भी प्रकट नहीं होता।

त्रिपुरा में धान के बीज का वितरण

†११६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में, कितने मन धान के बीज, सरकार से राज्य सहायता प्राप्त दरों पर, त्रिपुरा के किसानों में वितरित किये गये ;

(ख) १९५६ में, कितने मन धान के बीज मुफ्त वितरित किये गये ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को धान का बीज राज्य सहायता प्राप्त दरों पर मिला है तथा कितने व्यक्तियों को मुफ्त मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अब तक प्राप्त समाचार के अनुसार किसानों को राज्य सहायता प्राप्त दरों पर ८७९ मन २७ सेर धान का बीज वितरित किया गया है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) त्रिपुरा के बाहरी सब-डिवीजन से राज्य सहायता की दरों पर धान के बीज पाने वाले व्यक्तियों की संख्या एकत्रित की जा रही है। मुफ्त बीज पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

दिल्ली की गन्दी बस्तियों को हटाना

†११६३. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में गन्दी बस्तियों के हटाने के लिये कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये राज्यों को सहायता देने के बारे में केन्द्र की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली राज्य के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

वस्तुओं पर भाड़ा अधिभार*

†११६४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगाये गये भाड़ा अधिभार से किन वस्तुओं तथा किस प्रकार की वस्तुओं को छूट दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की दरभंगा-जयनगर शाखा के स्टेशनों से भेजे गये खाद्यान्नों पर भाड़ा अधिभार लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अधिभार की क्या दर है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अनुपूरक भार लगाने से सात वस्तुओं को छूट दी गई है। ये खाद्यान्न तथा दालें, भूसा, खाद, खादी, समाचार पत्र का कागज तथा पुस्तकें हैं।

(ख) और (ग). पूर्वोत्तर रेलवे की दरभंगा-जयनगर के मधुबनी तथा राजनगर स्टेशनों के कर्मचारियों द्वारा खाद्यान्नों पर, कुल भाड़े पर, रुपये में एक आना की दर से अनुपूरक भार गलती से ले लिया गया था। गलती अब ठीक कर दी गई है।

ब्रह्मपटनम योजना

†११६५. **डा० रामा राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने, ब्रह्मपटनम योजना (गोदावरी के पूर्व) की जांच के प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) सरकार का निर्णय क्या है ; और

(ग) जांच का प्राक्कलित व्यय क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना को शामिल करना संभव नहीं समझा गया।

(ग) १.७५ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*Surcharge

पूर्वोत्तर रेलवे पर मालगाडी के डिब्बों का सम्भरण

†११६६. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लिये विशेषकर बिहार के पूर्निया, दरभंगा तथा सहारसा जिलों से जूट को कलकत्ता ले जाने के लिये मालगाड़ी के डिब्बों का सम्भरण करने के बारे में कोई विशेष प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रयत्न किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी हां। जनवरी से अगस्त, ५५ में १२,३७६ मालगाड़ी के डिब्बों की तुलना में जनवरी से अगस्त, ५६ के दौरान में पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार, समस्तीपुर और सोनेपुर के जिलों से जिसमें पूर्निया, दरभंगा और सहरसा के दीवानी जिले आते हैं, कलकत्ते को जूट के कुल २०,१०४ मालगाड़ी के डिब्बे बुक कराये गये हैं।

रतलाम का सार्वजनिक टेलीफोन

११६७. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत में आलोट (जिला रतलाम) के निवासी १९५२ से यह मांग कर रहे हैं कि वहा एक सार्वजनिक टेलीफोन की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक वहां सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित न करने के क्या कारण हैं, और इसके कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस प्रस्ताव के अनुसार आलोट से रतलाम तक ताम्बे के तार लगाये जाने हैं। चूंकि इस कार्य में भारी लागत आती है, अतः इस विभाग को इससे हानि होने की सम्भावना है। इस कारण से इस प्रस्ताव की मंजूरी अभी तक नहीं दी जा सकी है।

सार्वजनिक टेलीफोन, महीदपुर

११६८. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महीदपुर नगर (जिला उज्जैन, मध्य भारत) में एक सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने की योजना तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक उसके स्थापित हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). चूंकि इस प्रस्ताव से विभाग को हानि उठानी पड़ती है, अतः इसकी मंजूरी नही दी गयी है।

रायलसीमा तार घर

†११६९. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में रायलसीमा क्षेत्र में कितने तार घर खोले गये हैं ;

(ख) क्या आन्ध्र राज्य के अनन्तपुर जिले के यादिकी गांव के लोगों ने उक्त गांव में एक तार घर खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यादिकी गांव के बढ़ते हुए व्यापार और उसके विकास होकर नगर बन जाने की दृष्टि से सरकार ने वहां तार घर खोलने का निश्चय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ११

(ख) तथा (ग). प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रयोगात्मक डाकघर

†११७०. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य के अनन्तपुर जिले के मुलाकानूर, मूद्दोनयानीपल्ली, छपीरी और गरुदा चेदेव नामक गांवों में इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा अभ्यावेदन करने के परिणामस्वरूप डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अनन्तपुर जिले में कितने नये डाकघर खोले गये हैं ; और

(ग) क्या सरकारी योजना के अनुसार आवश्यक जनसंख्या पर ध्यान दिये बिना उसके पिछड़ेपन को देखते हुए रायलसीमा में संचार का विकास करने के लिये प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र में डाकघर खोलने की कोई योजना सोची गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में अपनाई गई नीति को कार्यान्वित करने में इन स्थानों पर पहले ही डाकघर खोल दिये गये थे। केवल छपीरी के स्थानीय लोगों का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में अनन्तपुर जिले में १३३ नये डाकघर खोले गये थे।

(ग) जी नहीं, किन्तु पिछले आम चुनावों में जिन गांवों में निर्वाचन केन्द्र रखे गये थे, नये डाकघर खोलने में उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, बशर्तेकि नये डाकघर खोलने की अन्य निर्धारित शर्तें पूरी हों।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन

†११७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समान स्तर का उड्डयन प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन खोलने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र कहां खुलेगा और प्रति वर्ष कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण मिलेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). एक समान स्तर का उड्डयन प्रशिक्षण देने के लिये केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थापन खोलने के संबंध में इंडियन एयर लाइन्स कॉरपोरेशन ने कोई प्रगति नहीं की है क्योंकि विमान चालकों की अत्यधिक कमी है तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन की स्थापना करने का तात्पर्य यह होगा कि बहुत से विमान चालकों को कार्य के स्थान से दूर रखना होगा। कॉरपोरेशन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन को खोलने में तभी समर्थ हो सकेगा जब कि कार्य चलाने के लिये कम से कम जितने विमान चालकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक विमान चालक हों। प्रस्तावित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन कहां स्थापित हो इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

†११७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा खोले गये सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने के लिये चालू वर्ष में अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) किन-किन राज्यों को अनुदान मिला है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ६,१४,९११ रुपये।

(ख) मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, मद्रास, विन्ध्य प्रदेश, बिहार, त्रावण-कोर-कोचीन, मनीपुर, बम्बई, मध्य भारत, पंजाब, आन्ध्र तथा हिमाचल प्रदेश।

सहकारी कृषि

†**११७३. श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८८७ के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार कितने सहकारी फार्म खोले गये, कितने उनमें से सफल हुए और कितने असफल हुए ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : देश के राज्यवार सहकारी फार्मों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४४**]

कुछ फार्मों के पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि कुछ फार्मों पर कार्य ठीक नहीं हो रहा है, कुछ में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं और कुछ फार्मों पर काफी अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उडडयन रुचि

†**११७४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री उन संस्थाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें देश के युवकों में उड्डयन रुचि बढ़ाने के लिये १९५५–५६ में अनुदान दिया गया था ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

१. दिल्ली उड्डयन क्लब, नई दिल्ली।
२. मद्रास उड्डयन क्लब, लिमि०, मद्रास।
३. बम्बई उड्डयन क्लब लिमि०, बम्बई।
४. बंगाल उड्डयन क्लब लिमि०, बारकपुर।
५. हिन्द प्राविशियल उड्डयन क्लब लिमि०, लखनऊ।
६. बिहार उड्डयन क्लब लिमि०, पटना।
७. उड़ीसा उड्डयन क्लब लिमि०, भुवनेश्वर।
८. मध्य प्रदेश उड्डयन क्लब लिमि०, नागपुर।
९. उत्तर भारत उड्डयन क्लब लिमि०, जालन्धर।
१०. मध्य भारत उड्डयन क्लब लिमि०, इन्दौर।
११. राजस्थान उड्डयन क्लब लिमि०, जयपुर।
१२. राजकीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर।
१३. एयरो क्लब आफ इंडिया, नई दिल्ली।
१४. दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, नई दिल्ली।
१५. आल इंडिया एयरोमाउलर्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ३० अगस्त १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	.	१४७५–९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५३४	रेलवे में प्रशंसनीय कार्य की मान्यता . . .	१४७५–७६
१५३६	आदर्श लोक स्वास्थ्य अधिनियम . . .	१४७६–७७
१५३७	स्टेशन मास्टरों की यूनियन	१४७७–७८
१५३९	पहियों के लिये रेलवे ठेका	१४७८–७९
१५४०	विमान चालक तथा इंजीनियर .	१४७९–८१
१५४१	पश्चिमी बंगाल में चक्रावातों के कारण हानि .	१४८१
१५४२	भारत-पाकिस्तान रेल यातायात .	१४८२
१५४३	रेलवे डिवीज़न . .	१४८२–८३
१५४४	परिवार आयोजन . . .	१४८३–८५
१५४५	कांडला पत्तन .	१४८५–८६
१५५२	बामन्या स्टेशन .	१४८६
१५५३	नौवहन .	१४८६–८८
१५५८	बारबौलगंज-बैहराइच लाईन . . .	१४८८–८९
१५५९	लदान	१४८९–९१
१५६०	सलम्बर (तार सुविधा) . .	१४९१
१५६१	डाक व तार घर की इमारतों का निर्माण .	१४९१–९२
१५६३	मजूरी भुगतान अधिनियम . . .	१४९२–९३
१५६४	डाक व तार कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता . . .	१४९३
१५६६	मजूरी बोर्ड . .	१४९४–९५
१५६७	कोयला खान मजदूरों के क्वार्टर . .	१४९५–९६
१५६८	मकान बनाने के लिये ऋण . . .	१४९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	.	१४९७–१५३९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५३३	रेलगाड़ियों में भीड़ .	१४९७
१५३५	गण्डक नदी पर पुल .	१४९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः) तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५३८	विदेशों स मुफ्त उपहार	१४९८
१५४६	भूमि का कटाव	१४९८
१५४७	पत्थर तोड़ने वाली मशीनें	१४९८–९९
१५४८	हिन्दी समय सारणी	१४९९
१५४९	डीयापर लकड़ी	१४९९
१५५०	दिल्ली में ट्राम कार.	१५००
१५५१	त्रावणकोर कोचीन राज्यों में अलवाए तथा अरूर पुल	१५००
१५५४	भुर्गी पालन विकास योजना	१५००
१५५५	तारघर (बिहार)	१५००
१५५६	पंजाब से गेहूं का निर्यात तथा आयात	१५०१
१५५८	परिवार आयोजन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना)	१५०१
१५६५	नार्वे के जहाज	१५०१
१५६९	धान कुटाई समिति	१५०२
१५७०	रेलवे बुक स्टाल	१५०२
१५७१	वायरलैस लाइसेंस	१५०२–०३
१५७२	हवाई अड्डा परामर्श समिति	१५०३
१५७३	कपास	१५०३
१५७४	राष्ट्रीय राजमार्ग	१५०३
१५७५	रायगढ़ स्टेशन पर बिजली लगाना	१५०३–०४
१५७६	एर्नाकुलम-क्विलोन रेल सम्पर्क	१५०४
१५७७	टेलीफोन एक्सचेंज (बिहार)	१५०४
१५७८	वरास्ता गोरखपुर लखनऊ-पटना विमान सेवा.	१५०४–०५
१५७९	नौवहन	१५०५
१५८०	सरसों	१५०५–०६
१५८१	भारतीय नौवहन समवाय	१५०६
१५८३	डूंगरपुर और आसपुर के बीच तार की सुविधायें	१५०६
१५८४	आस्ट्रेलिया के वृक्ष और घास	१५०६
१५८५	भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद	१५०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः) अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०८६	अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा . .	१५०७
१०८७	मिली जुली रेलगाड़ियां . . .	१५०७
१०८८	मालगाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतरना .	१५०८
१०८९	पान के पत्तों का भेजा जाना . .	१५०८
१०९०	राजस्थान में कृषि योग्य पड़ती जमीन	१५०८
१०९१	धोबियों की मांग	१५०९
१०९२	गाड़ी का पटरी से उतरना .	१५०९
१०९३	वनरोपण . .	१५०९–१०
१०९४	मीन क्षेत्र . . .	१५१०
१०९५	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुओं की सहकारी संस्थायें .	१५१०
१०९६	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुए .	१५११
१०९७	त्रावणकोर-कोचीन में मछली पकड़ने की नावें .	१५१२
१०९८	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मीन क्षेत्र .	१५१२–१३
१०९९	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज (चिकित्सा)	१५१३
११००	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज के छात्र . .	१५१४
११०१	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज में चिकित्सा के स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम .	१५१४
११०२	नर्सें	१५१४
११०३	वैद्यशालाओं को सहायता अनुदान . .	१५१४–१५
११०४	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दन्त चिकित्सक . .	१५१५
११०५	सनद प्राप्त चिकित्सकों की उपलब्धियां (त्रावणकोर-कोचीन) .	१५१५–१६
११०६	नर्सों का वेतन .	१५१६
११०७	त्रावणकोर-कोचीन में दांतों का रोग .	१५१६
११०८	त्रावणकोर-कोचीन में पैदायशें . .	१५१६–१७
११०९	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में महिला डाक्टर	१५१७
१११०	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में पौष्टिक भोजन की कमी के कारण विकार .	१५१७
१११९	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में बच्चों का अपर्याप्त पोषण .	१५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१११२	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज . .	१५१८
१११३	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में जल संभरण	१५१८
१११४	क्षय रोग (त्रावणकोर-कोचीन)	१५१८
१११५	उत्तरी तथा पश्चिमी रेलवे में गाडियां .	१५१८–१९
१११६	मुलाकुन्नाथुकाव में क्षय रोगियों के लिये बिस्तर	१५१९
१११७	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सिंचाई के तालाब	१५१९
१११८	मछली पकड़ना .	१५१९–२०
१११९	वैज बैंक .	१५२०
११२०	वैज बैंक . . .	१५२०
११२१	मछली पकड़ने के बन्दरगाह .	१५२०
११२२	विभागातिरिक्त डाक घर	१५२०
११२३	राजस्थान में डाक-डिवीजन	१५२१
११२४	डबोक का हवाई अड्डा	१५२१
११२५	पैप्सू में सार्वजनिक टेलीफोन तथा तार घर .	१५२२
११२६	सार्वजनिक टेलीफोन	१५२२
११२७	रेलवे यात्री सुविधायें .	१५२२–२३
११२८	अमृतसर तथा जालंधर स्टेशन .	१५२३
११२९	तूफान की चेतावनी	१५२३
११३०	रिक्शों पर प्रतिबन्ध . .	१५२४
११३१	शटल रेल गाड़ी सेवायें	१५२४
११३२	नौवहन . . .	१५२४
११३३	रेलवे दुर्घटना	१५२४–२५
११३४	मनोहराबाद के निकट मालगाड़ी के डिब्बे का पटरी से उतरना .	१५२५
११३५	प्रतीक्षा कमरे और हाल .	१५२५
११३६	कपास का उत्पादन . .	१५२६
११३७	भारत-पाक यात्री यातायात . .	१५२६–२७
११३८	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	१५२७

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११३९	सार्वजनिक टेलीफोन, पंजाब . . .	१५२८
११४०	पंजाब तथा पैप्सू में रेलवे पुल	१५२९
११४१	मुर्गीपालन व्यवसाय	१५२९–३०
११४२	डूंगरपुर गांव के लिये तार सुविधा . . .	१५३०
११४३	रेलवे के सम्बंध में प्राक्कलन समिति की सिफारिश . .	१५३०
११४४	पर्यटन	१५३०
११४५	स्टेशन मास्टरों के पद में क्रमोन्नति करना . . .	१५३१
११४६	अग्रतला में अस्वाभाविक मृत्यु . . .	१५३१
११४७	महिन्द्रुघाट	१५३१
११४८	रेलवे समय सारणी	१५३१–३२
११४९	भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के टी० टी० ई० . .	१५३२
११५०	भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	१५३२
११५१	भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के टी० टी० ई० वर्ग के लिये क्वार्टर .	१५३२
११५२	मंडया स्टेशन . .	१५३२–३३
११५३	भुवनेश्वर स्टेशन .	१५३३
११५४	जावर की खानें	१५३३
११५५	सामुदायिक परियोजनाओं में स्वास्थ्य सम्बंधी नमूना सर्वेक्षण .	१५३३–३४
११५६	रतलाम नगर को पानी का संभरण	१५३४
११५७	चलता फिरता चिकित्सा केन्द्र, शान्ति बाजार विलोनिया (त्रिपुरा)	१५३४
११५८	धींग मोरी गांव रेलवे लाईन . .	१५३४
११५९	कलकत्ता उपनगरीय विद्युत गाड़ियां .	१५३५
११६०	सहरसा जंकशन स्टेशन पर रेलवे सड़क .	१५३५
११६१	सहरसा स्टेशन	१५३५
११६२	त्रिपुरा में धान के बीज का वितरण . . .	१५३५–३६
११६३	दिल्ली की गंदी बस्तियों को हटाना .	१५३६
११६४	वस्तुओं पर भाड़ा अधिभार . .	१५३६
११६५	ब्रह्मपटनम् योजना	१५३६
११६६	पूर्वोत्तर रेलवे पर माल गाड़ी के डिब्बों का संभरण .	१५३७

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११६७	रतलाम में सार्वजनिक टेलीफोन . .	१५३७
११६८	सार्वजनिक टेलीफोन महीदपुर . . .	१५३७
११६९	रायलसीमा तार घर . . .	१५३७–३८
११७०	प्रयोगात्मक डाक घर	१५३८
११७१	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन	१५३८
११७२	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र	१५३८–३९
११७३	सहकारी कृषि . . .	१५३९
११७४	उड्डयन रुचि . . .	१५३९

खण्ड ६—अंक ३२
३० अगस्त, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा

गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

विमान-निगम नियमों में संशोधन

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं विमान-निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या ७--सी० ए० (११)/५५, दिनांक २६ अप्रैल १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसके द्वारा विमान-निगम नियमों, १९५४ में अग्रेतर संशोधन किये गये हैं (**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०**)--३६०/५६)।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्)**: यह अधिसूचना गत अप्रैल में जारी की गई थी। इसे सभा पटल पर रखने में इतनी देर क्यों की गई है?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं अभी इस समय, बिना जांच किये हुए, विलम्ब का कारण नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब से माननीय मंत्रियों को सभी अधिसूचनाओं को उनके जारी किये जाने के बाद यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख देना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : और उनके विलम्ब का कारण भी बता दिया करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। माननीय मंत्री उसका ध्यान रखेंगे।

†**श्री जगजीवन राम** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

1—234—L. S./56

बीमें के राष्ट्रीयकरण की प्रगति के बारे में वक्तव्य

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मैं इस सभा के सदस्यों को बीमा के राष्ट्रीयकरण के सम्बध हुई प्रगति से अवगत कराने के लिये एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

सदस्यों को स्मरण होगा कि जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा ३(१) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि केन्द्रीय सरकार एक 'नियत तिथि' निर्धारित करेगी, और उसी दिन जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आ जायेगा। सरकार को भी इस बात कि चिन्ता थी कि बीमा समवायों का प्रबन्ध उसके हाथों में नितान्त आवश्यक समय से एक दिन भी अधिक न रहे, क्योंकि जब तक निगम की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक उनमें किसी भी प्रकार का कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसीलिये गत कुछ महीनों से हमारे सारे प्रयत्न इसी एक बात पर केन्द्रित रहे हैं कि १ सितम्बर को निगम के अस्तित्व में आने के लिये आवश्यक समस्त प्रारम्भिक कार्य को पूरा कर लिया जाये और आज उसी के लिये एक अधिसूचना जारी की जा रही है। धारा १८ (१) के अन्तर्गत जारी की गई एक अन्य अधिसूचना द्वारा बम्बई नगर को निगम के केन्द्रीय कार्यालय का स्थान अधिसूचित किया जा रहा है।

धारा ४८(१) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भी प्रकाशित किया जा चुका है, और उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा रही ह। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०-३५९/५६]**

अधिनियम की धारा ४(१) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को निगम के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, इनकी संख्या पन्द्रह से अधिक नहीं होनी चाहिये। आज ही वह अधिसूचना भी जारी की जा रही है, जिसमें निगम की सदस्यता के लिये नियुक्त व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। मैं उस विवरण के अनुबन्ध* की एक प्रति भी सभा पटल-पर रख रहा हूं, इस में निगम की सदस्यता और निगम के विभिन्न ज़ोनल तथा डिवीज़नल कार्यालयों का ब्यौरा दिया गया है।

मैं इस अवसर पर संक्षिप्त रूप में यह भी बताना चाहता हूं कि निगम को अस्तित्व में लाने के लिये क्या प्रारम्भिक कार्य करना आवश्यक था। सबसे पहले तो हमें निगम के संगठन के ही बारे में निर्णय करना था। सभी संगत बातों पर बड़ी सावधानी से विचार करने के बाद हमने यही निर्णय किया था कि आरम्भ में तो इस कार्य के लिये संसद् द्वारा देश के जीवन बीमा अधिनियम द्वारा विभाजित पांच जोनों में ३३ डिवीज़नल कार्यालयों और लगभग १८० शाखा कार्यालयों की स्थापना की जाये। मध्यम आकार के किसी भी बीमा समवाय के लिये एक डिवीज़नल कार्यालय, सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये, उसके प्रधान कार्यालय के समान ही होगा। हां, उसमें एक महत्वपूर्ण अन्तर रहेगा, वह यह कि निधियों के विनियोजन से उसका कोई भी सम्बंध नहीं रहेगा। शाखा कार्यालय के कृत्य भी ऐसे ही भारतीय बीमा समवायों के शाखा कार्यालयों के कृत्यों से काफी भिन्न रहेंगे। जोनल कार्यालय के दायित्वों की तुलना किसी अन्य कार्यालय के दायित्वों से नहीं की जा सकती है। इन दायित्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये हमें उनके चुनाव में अधिकतम सतर्कता से कार्य करना आवश्यक था। यह तो ठीक है कि अन्तिम रूप से नियुक्तियां करने का दायित्व निगम का ही है और इसी लिये सभी नियुक्तियां अस्थायी तौर पर ही की गई हैं और निगम द्वारा उनकी परिपुष्टि आवश्यक है। फिर भी, ये नियुक्तियां इस लिये करनी पड़ी थीं कि जिससे निगम अपना कार्य तुरन्त ही आरम्भ कर सके। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि विभिन्न समवायों से चुने गये सभी लगभग २५० अधिकारियों में अपेक्षाकृत वरिष्ठता, कार्य-कुशलता और संक्षेप में उनकी परस्पर तुलना करने का एक आधार ढूंढने का कार्य इतना आसान नहीं था। मैं इस संबंध में केवल यही दावा करता हूं कि हमने इन नियुक्तियों को करने में प्रत्येक व्यक्ति के दावों पर उचित विचार करने का भरसक प्रयत्न किया है। मैंने स्वयं ही सैंकड़ों अधिकारियों से इन्टरव्यू की है। वित्त मंत्रालय के सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, जो बीमा-नियंत्रक था, श्री डी० एन० मित्र, भारत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*देखिये पृष्ट १६०१—०२

सरकार के भूतपूर्व अभ्यर्थी और अब हिन्दुस्तान कोओपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी, लिमिटेड के अभिरक्षक तथा चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्य में मेरी सहायता की थी। शाखा सचिवों आदि जैसे अन्य पदों के लिये नामोद्दिष्ट जोनल प्रबन्धकों और कुछ अन्य व्यक्तियों की एक समिति ने अस्थायी चुनाव कर भी लिये हैं।

अब निगम वरिष्ठ सेवा समिति की सिफारिशें को ध्यान में रखते हुए इन चुनावों का पुनरीक्षण करेगा। इस समिति के सभापति श्री एस० लाल, आई० सी० एस० (अवकाश प्राप्त) हैं और इस समिति ने एक माह पहले अपना कार्य आरम्भ किया था। यह समिति अधिकारियों की सभी वर्गों को श्रेणीबद्ध करेगी। यह श्रेणीबद्धीकरण निगम को उपलब्ध होगा और वह निःसंदेह अपने अन्तिम आदेशोंको जारी करने से पहले इन सिफारिशों पर यथायोग्य विचार करेगा। हमारी बड़ी कठिनाई तो समय की कमी की रही है। यही नहीं कि ये सभी चुनाव हमें कुछ ही सप्ताहों में करने पड़े थे, बल्कि साथ ही देशभर में फैल हुए विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों की नियुक्तियां भी इतने ही समय में करनी पड़ी थीं जिससे कि वे १ सितम्बर तक अपने पदों को सम्भाल लें। पुनर्गठन के इस कठिन कार्य के साथ ही साथ, हमें यह भी देखना था कि इस समय चालू लगभग ५० लाख पालिसियों से सम्बंधित कार्य भी शीघ्रता और कार्य-कुशलता के साथ सम्पन्न किया जाये।

इस निगम ने अपना जीवन सर्वोत्तम परिस्थितियों में आरम्भ किया है। उसे सभी सम्बंधित व्यक्तियों का उत्साहपूर्ण सहयोग और देश के सभी तबक़ों की सद्भावनायें प्राप्त हुई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ यह सभा भी इसके देश सेवापूर्ण उज्वल जीवन के लिये कामना करेगी।

अनुबन्ध

१. श्री एच० एम० पटेल निगम के सभापति होंगे। इसके साथ ही, वे वित्त मंत्रालय के सचिव के पद पर भी कार्य करते रहेंगे।

इसके अन्य सदस्य यह हैं :

१. श्री मुहम्मद हाशम प्रेमजी।

२. प्रो० डी० जी० कर्वे।

३. श्री धीरेन मित्र।

४. ,, एस० एम० रामकृष्ण राव।

५. ,, चक्रेश्वर कुमार जैन।

६. ,, विदिलाल लल्लूभाई मेहता।

७. लाला रघुराज स्वरूप।

८. श्री एल० के० झा, आई० सी० एस०।

९. ,, बी० के० कौल, आई० सी० एस०।

१०. ,, एल० एस० वैद्यनाथन।

११. ,, ए० राजगोपालन।

१२. ,, के० आर० श्रीनिवासन।

१३. ,, वी० एच० वोरा।

१४. ,, डी० पी० गज़दर

[श्री म० च० शाह]

इनमें से पांच सदस्य—सर्वश्री वैद्यनाथन, राजगोपालन, श्रीनिवासन, वोरा और गज़दर—निगम के पूरे समय के कर्मचारी होंगे। अधिनियम की धारा २० में एक या इससे अधिक व्यक्तियों को निगम के प्रबन्ध-संचालक या निर्देशकों के रूप में नियुक्त किये जाने की भी व्यवस्था है। निगम इस प्रश्न के सम्बंध में अपनी पहली बैठक में ही विचार करेगा। उसे यह सुझाव दिया जा रहा है कि सर्वश्री वैद्यनाथन और राजगोपालन को प्रबन्ध-संचालकों के रूप में नियुक्त किया जाये, और सर्वश्री श्रीनिवासन, वोरा तथा गज़दर को कार्यपालक निदेशकों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाये। यह भी आशा की जाती है कि यह निगम एक ऐसी प्रथा भी चलायेगा, जिसके अनुसार तीनों कार्य-पालक निदेशक अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

२. निगम के जोनल और डिवीजनल कार्यालय इस प्रकार रहेंगे :—

	केन्द्रीय ज़ोन	पूर्वी ज़ोन	दक्षिणी ज़ोन	पश्चिमी ज़ोन	उत्तरी ज़ोन
जोनल कार्यालय . .	कानपुर	कलकत्ता	मद्रास	बम्बई	दिल्ली
डिवीज़नल कार्यालय . .	लखनऊ	कलकत्ता	बंगलौर	बम्बई	दिल्ली
	आगरा	जलपाईगुड़ी	उदीपी	पूना	जलंधर
		असनसोल	मद्रास	नासिक	अम्बाला
	बनारस	पटना	कोयम्बटूर	सतारा	अजमेर
	इन्दौर	मुजफ्फरपुर	मथुरई	नागपुर	
	जबलपुर	जमशेदपुर	त्रिवेन्द्रम	अहमदाबाद	
		गौहाटी	हैदराबाद	सूरत	
		कटक	मछलीपट्टम	राजकोट	

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : इस निगम में सेवायुक्त किये जाने वाले विभिन्न अधिकारियों को प्रभावित करने वाली रोज़गार सम्बंधी नीति पर चर्चा करने के लिये भी सभा को कुछ समय देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे पास अभी बहुत कार्य है।

†**श्री म० च० शाह** : मैं कुछ कह सकता हूं कि यह निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सभी नियुक्तियां अन्तर्कालीन हैं, वे निगम के अनुमोदन के अधीन हैं। इसलिये यह एक बड़ा ब्यौरेवार विषय बन जायेगा, और मैं समझता हूं कि रोज़गार समस्या के सम्बंध में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। सभा जब भी चाहे निगम की नीति के सम्बन्ध में चर्चा कर सकती है।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम) : क्या यह सभा निगम की रोज़गार विषयक नीति के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को अनुदेशों और निदेशों की एक मोटी रुपरेखा बतानी चाहिये। निगम द्वारा रोज़गार दिये जाने के सम्बन्ध में भी कुछ नियम होने चाहिये।

†**श्री म० च० शाह** : मैंने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि उच्च पदाधिकारियों को चुनाव के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी, और वे नियुक्तियां भी अन्तरिम परिपुष्ट हैं, क्योंकि बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत इन सभी नियुक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार केवल निगम को ही है। हमने अपनी ओर से यह आश्वासन दे दिया है कि १९-१-१९५६ को जितने भी कर्मचारी सेवायुक्त थे, उन्हें ले लिया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के न लिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो मैं उसकी जांच करने और उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तैयार हूं। लेकिन नियुक्तियों सम्बन्धी नीति निगम को ही निर्धारित करनी है।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : विभिन्न समवायों ने अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ था। राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, अब वे सभी एक ही क्षेत्राधिकार में आ गये हैं। उनके साथ पक्षपात किये जाने की बहुत सी शिकायते आ रही हैं। चूंकि राष्ट्रीयकरण की सहमति इस सभा ने दी है, इसलिये इन विषयों के सम्बन्ध में जांच करने का दायित्व भी इस सभा का ही है। कोई भी स्वायत्त निकाय इस सभा के नियंत्रण से बाहर नहीं रह सकता।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इस सभा ने दो वर्ष पूर्व ही सार्वजनिक निगमों पर सरकारी नियंत्रण के प्रश्न के सम्बंध में चर्चा की थी। सरकार ने उस समय दो आश्वासन दिये थे कि वह समवाय अधिनियम को संशोधित करेगी, और ऐसे निगमों के कार्यकरण की जांच करने के लिये संसद् को समर्थ बनाने के हेतु, एक विशेष विधि भी पारित करेगी। पर उसने अभी तक उन आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं किया है। ऐसे अवसरों पर हर बार इनके स्वायत्तशासी निकाय होने का तर्क दिया जाता है। लेकिन साथ ही, हम से ऐसे निगमों से सम्बंधित विधान को पारित करने के लिये कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय को बड़ी सावधानी से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री क्या कहते हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : मैं आपका ध्यान बीमा निगम अधिनियम की धाराओं ११ और २३ की ओर आकर्षित करता हूं। वास्तव में, उसमें कहा गया है कि १ सितम्बर को निगम की स्थापना की जायेगी। बीमा समवायों के सभी कर्मचारी अब धारा ११ के अन्तर्गत निगम के अधीन हो जायेंगे। कर्मचारियों और अन्य सभी चीज़ों के बारे में धारा २३ में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि यह निगम का उत्तरदायित्व है। **(अन्तर्बाधा)**

हमने सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिये ही यह वक्तव्य दिया है। मैं बता चुका हूं कि कल एक अधिसूचना जारी की जायेगी। वैसे इस प्रकार का वक्तव्य देना सरकार के लिये अनिवार्य नहीं था। अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक भी नहीं है। अधिनियम में तो केवल अधिसूचना जारी किये जाने की व्यवस्था है। जहां तक नियमों का सम्बंध है, उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। हमने यही उचित समझा कि सभा की बैठक में ही उस की सूचना दे देना ठीक होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस निगम के अन्तर्गत २,००० और ३,००० रुपयों के वेतन वाले पद भी रहेंगे। क्या उनकी वरिष्ठता सम्बन्धी चर्चा निगम ही करेगा और वह ही उन सभी को एक प्रबन्ध के अन्तर्गत लायेगा ? संसद भी अवश्य ही इन सब के सम्बंध में चर्चा करेगी। राष्ट्रीयकरण की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि ये निकाय किस प्रकार से कार्य करते हैं। माननीय सदस्यों ने कई गम्भीर शिकायतें की हैं। मैं इस सत्र के समाप्त होने से पहले ही, किसी दिन, इन विषयों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये एक घण्टे का समय निर्धारित करूंगा।

समय और तिथि मैं बाद में निर्धारित करूंगा।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : २८ अगस्त को कुछ माननीय सदस्यों ने २४ जुलाई को इस सभा के पटल पर रखे गये जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लेख किया था। श्री बसु का सुझाव था कि इन नियमों के सम्बंध में इसी सत्र में चर्चा होनी चाहिये। पर, श्री मोरे का विचार यह था कि इन पर चर्चा जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के साथ ही होनी चाहिये। इन नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आशा है कि शीघ्र ही उनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, लेकिन मुझे इसका पूर्ण विश्वास नहीं है कि वर्तमान सत्र में उन्हें सभा-पटल पर रखा जा सकेगा।

सरकार इस सम्बन्ध में बिलकुल निरपेक्ष है कि इन पर साथ-साथ चर्चा हो या अलग-अलग। यदि इन पर एक साथ चर्चा करनी है, तो फिर शायद इस सत्र में ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकेगा। यदि उन पर अलग-अलग चर्चा करनी है, तो इस सत्र में भी १९५० के अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों पर चर्चा किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, शायद समय कम है। यदि सभा अधिक समय तक बैठने को तैयार हो, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**। गण-पूर्त्ति क भी प्रश्न है। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी यदि इन पर ७ सितम्बर को विचार किया जाये।

यह मेरा सुझाव ही है। इसका निर्णय तो सभा ही करेगी।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : आप यही चाहते हैं ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : इस चर्चा को अगले सत्र के लिये रखने से भी कोई हानि नहीं होगी।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : १९५० के अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का सम्बंध निर्वाचक नामावलियां तैयार करने से भी है। अभी चर्चा न करने से, निर्वाचक नामावलियां तैयार नहीं हो सकेंगी।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : सरकार ऐसी कोई कठिनाई महसूस नहीं करती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हमें इसी सत्र में इन नियमों के सम्बन्ध में चर्चा करने का समय निकालना चाहिये। यह इसलिये कि आम चुनावों के सम्बन्ध में अवश्य ही इसकी कुछ उपलक्षणायें होंगी, यह हम जानते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वे इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन या समायोजना अवश्य करें। इसलिये इस पर चर्चा के लिये कुछ समय निकालना अत्यावश्यक है, चाहे हमें अधिक समय तक ही क्यों न बैठना पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : तारीख १४ तो असम्भव है। तारीख १७, १८, १९ को मैंने मद्रास में अध्यक्षों तथा पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन बुलाया है, और जब तक यहां संसद् का कार्य समाप्त न हो जाये मैं वहां जा कर उस कार्य के लिये समय नहीं दे सकता। मैं और उपाध्यक्ष महोदय दोनों वहां जा रहे हैं। इस लिये १३ तारीख के बाद सदन की बैठक नहीं हो सकती। मैं इसकी अनुमति भी नहीं दे सकता, इस लिये माननीय सदस्यों को ७ से ८ तक शाम को बैठना पड़ेगा। एक घंटा प्रति दिन अधिक बैठ कर १३ सितम्बर तक सब काम समाप्त कर देना चाहिये। माननीय सदस्य शाम को बैठने का समय निकालेंगे ताकि इस सत्र के पश्चात् हम आराम कर सकें।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : इस बात की ओर कई बार कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है कि ६ बजे के पश्चात् बैठना ठीक नहीं है। मुझे तो बैठने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कठिनाई यह है कि गणपूर्ति नहीं रहती है और घंटी बजानी पड़ती है। इस लिये छः बजे के पश्चात् बैठना सम्भव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कोई नियम नहीं कि यदि किसी माननीय सदस्य की किसी कार्य विशेष में रूचि न हो तो मैं उन्हें बाहर जाने से रोक नहीं सकता हूं, परन्तु कभी कभी हमें देर तक बैठना ही पड़ता है।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : (१) मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १७ अगस्त, १९५६ को पारित बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक, १९५६ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २२ अगस्त, १९५६ को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम १९५५ के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव को राज्य-सभा ने २८ अगस्त १९५६ को स्वीकार कर लिया है।

साथ ही यह भी निवेदन किया है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम १९५५ के, जैसा कि उसे अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या ११६१, दिनांक ३० अप्रैल, १९५६ द्वारा अग्रेतर संशोधित किया गया है, नियम १९ के उपनियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाये, अर्थात्:—

"(3) For the purposes of calculating the number of members of a joint family under sub-rule (2), a person who on the relevant date—

(a) was less than eighteen years of age; or

(b) was a lineal ascendant in the male line of anoter living member of the joint family;

shall be excluded:

Provided that where a member of a joint family has died during the period commencing on the fourteenth day of August, 1947, and ending on the relevant date leaving behind on the relevant date all or any of the following heirs; namely,—

(a) a widow or widows;

(b) a son or sons (whatever the age of such son or sons);

but no lineal ascendant in the male line, then, all such heirs shall, notwithstanding anything contained in this rule, be reckoned as one of the joint family."

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[सचिव]

["(३) उप-नियम (२) के अन्तर्गत किसी संयुक्त परिवार के सदस्यों की गणना करने के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संगत तारीख ो

(क) १८ वर्ष से कम आयु का ; या

(ख) संयुक्त परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य का सगोत्र वंशज था;

नहीं गिना जायेगा: परन्तु शर्त यह है कि यदि संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की १४ अगस्त, १९४७ से लेकर संगत तिथि तक की अवधि में मृत्यु हो गयी है और उस संगत तिथि को उसके निम्नलिखित उत्तराधिकारी रह गये है ; अर्थात्

(क) विधवा अथवा विधवाएं ;

(ख) लड़का अथवा लड़के (ऐसे लड़के या लड़कों की आयु कुछ भी क्यों न हो)

परन्तु कोई भी सगोत्र पूर्वज न हो तो इस नियम में किसी भी बात के होते हुए ऐसे सभी उत्तराधिकारी संयुक्त परिवार के एक ही सदस्य के रूप में माने जायेंगे।"]

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : बिना संशोधन ।

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ताकि समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या के मामले में परस्पर प्रतियोगिता को रोकने की व्यवस्था की जा सके। इसके लिये कुल ३३ मिनिट का समय है।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ (समाचार-पत्रों के मूल्यों तथा पृष्ठों को विनियमित करने का अधिकार इत्यादि)

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्कर।)ने संशोधन संख्या ६, †**श्री त० ब० विट्ठल राव**(खम्मम्)ने संशोधन संख्या ८ और ९ और †**श्री भक्त दर्शन**(जिला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व) ने संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मुझे उससे अधिक कुछ नहीं कहना है जो कि मेरे सहयोगी श्री मैत्र उस दिन कह चुके हैं, परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने श्रमजीवी पत्रकारों और सम्पादकों से परामर्श लेने पर जो आपत्ति की थी और कहा था कि उनसे औपचारिक रूप से ही परामर्श किया जायेगा उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे यह निवेदन करना है कि श्रमतालिका की बैठक में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रम नीति वाले अध्याय पर विचार हो रहा था तो इसी प्रकार के कुछ मामले प्रस्तुत हुए थे कि क्या कार्मिक संघों को उद्योग की आर्थिक स्थिति से परिचित कराया जाय अथवा न कराया जाये। मालिकों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। परन्तु कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह कहा था कि बिना आर्थिक स्थिति को जाने मालिकों और कर्मचारियों के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। समाचार-पत्र उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकारों से परामर्श किया ही जाना चाहिये, क्योंकि वे इस उद्योग में बड़े भागीदार हैं।

मूल्य और पृष्ठों का मामला भी सर्वप्रथम श्रमजीवी पत्रकारों ने ही उठाया था। इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें। आज तो देश में कोई ऐसा कार्मिक संघ नहीं है जो कि मांगें प्रस्तुत करने से पूर्व उद्योग की आर्थिक स्थिति पर विचार न

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कर लेता हो। कार्मिक संघों का आज के आर्थिक ढांचे में विशेष स्थान है और उन के नेता गैर-जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिये मैं श्रमजीवी पत्रकारों से परामर्श किये जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि इस मामले पर हम प्रथम बार चर्चा कर रहे हैं, इसलिये इस संबंध में दिये गये सभी आदेशों को मंत्री महोदय द्वारा दोनों सभाओं के पटलों पर रख दिया जाना चाहिये ताकि उनकी आलोचना कर सकें।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** मेरा संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पृष्ठों और मूल्यों के नियंत्रण के संबंध में किये गये प्रयत्नों के पीछे एक लम्बा इतिहास है। पहले समाचार-पत्रों के धनी मालिक अपने समाचार-पत्रों से छोटे समाचार-पत्रों को दबा दिया करते थे। वह विज्ञापनों का स्वाधिकार प्राप्त करके अन्य सभी को मैदान से हटा देते थे। हमारा गरीब देश है और उसमें कम कीमत के समाचार-पत्र ही होने चाहिये। एक आने अथवा छः पैसे वाले समाचार-पत्र को दो आने अथवा अढ़ाई आने वाले समाचार-पत्र से अधिक ही लोग पढ़ेंगे। प्रैस आयोग ने भी यह कहा है कि देश में कम कीमत वाले समाचार-पत्र होने चाहिय। समाचार-पत्रों के मालिकों के संघ ने यह सुझाव दिया था कि मूल्यों और पृष्ठों का प्रत्यक्ष अनुपात होना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक आने वाले समाचार-पत्र के पृष्ठ चार हों तो दो आने वाले के आठ होंगे। समाचार लगभग सभी समाचार-पत्रों में एक जैसे ही होंगे। इसलिये एक आने वाले समाचार-पत्र में तीन पृष्ठों पर तो समाचार होंगे, और बाकी विज्ञापनों आदि के लिये एक ही पृष्ठ रहेगा। उसके मुकाबले में आठ पृष्ठों वाले समाचार-पत्र में विज्ञापनों के लिए काफी स्थान रहेगा। इस प्रकार लाभ में तो अधिक मूल्य वाले अखबार ही रहेंगे। इसलिये प्रयत्न यह होना चाहिये कि कम कीमत वाले समाचार-पत्रों को अधिक विज्ञापन मिलें, ताकि वे समाचार और विज्ञापन काफी मात्रा में दे सकें। इसलिये जनसाधारण के हित की बात यह है कि इस पर नियंत्रण होना चाहिये। ऐसा न हो कि समाचार-पत्र वाले समाचारों को कम करके विज्ञापन देने लग जायें। इस बात की गारंटी होनी चाहिये कि प्रत्येक समाचार-पत्र इतने भाग में समाचार अवश्य देगा। यदि ऐसा न किया गया तो बड़े बड़े समाचार-पत्र जिनके विश्वव्यापी सम्पर्क हैं, अधिक से अधिक विज्ञापन देने लग जायेंगे और उनका मूल्य भी अधिक होगा। देश की जनता सस्ते समाचार-पत्रों से वंचित रह जायेगी। इस कारण मैं मंत्री महोदय और सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, चूंकि परसों माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक के प्रथम वाचन के वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया है कि यद्यपि वे इसके लिये तैयार नहीं हैं कि वे कानूनी तौर से पत्रकारों और सम्पादकों से परामर्श लें, लेकिन वे गैर-रस्मी तरीके से शायद जरूर राय ले सकेंगे, इसलिये इस आश्वासन के आधार पर मैं अपने संशोधन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और उसको वापिस लेता हूं।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** संशोधन क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जिन खंडों और संशोधनों को प्रस्तुत किया जा चुका है, वह उस पर बोल रहे हैं।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : परसों मंत्री महोदय ने कहा था कि विधेयक में किसी स्थायी अनुसूची की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि समय समय पर अखबारी कागज का मूल्य बदलता रहेगा। यह कठिनाई तो मेरी समझ में आती है। परन्तु क्या उसका कोई हल नहीं है ? मूल्यों की अनुसूची निश्चित करते समय उस समय के अखबारी कागज के बाजार-मूल्य का ध्यान रख कर ही कुछ अवधि के लिये इस अनुसूची को निश्चित करना होगा। मान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० म० शि० गुरूपादस्वामी]

लीजिये कि इसका निर्णय पांच वर्ष के लिये किया जाता है। इस अवधि के लिये तो अनुसूची की व्यवस्था की ही जा सकती है। खेद है कि केवल इस आधार पर सरकार को सभी अधिकार दिये जा रहे हैं। सदन को इस बात का पता लगाना चाहिये कि सरकार ने दरों के संबंध में क्या विचार किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास इस कार्य के लिये एक संगठन है। प्रैस पंजीयक, जिसे प्रैस पंजीयन अधिनियम १८६७ के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, इस संबंध में अच्छी सहायता कर सकता है। मंत्री महोदय आसानी से अनुसूची तयार कर सकते हैं। इसी प्रकार पृष्ठों की संख्या का निर्णय भी किया जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि ऐसे समाचार-पत्रों को रोका जाये जो किसी स्तर विशेष को बनाये रखने में असमर्थ हैं।

मैं फिर अनुरोध करता हूं कि मंत्रालय में जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें मूल्यों की अनुसूची तैयार करनी चाहिये। यदि इस समय यह सम्भव नहीं है तो शीघ्र ही इसे तैयार कराया जाय। यद्यपि यह भी मेरा मत है कि इस आधार पर विधेयक को रोका नहीं जाना चाहिये और मैं आशा करता हूं स्वयं विधेयक में मूल्यों संबंधी अनुसूची को सम्मिलित करना संभव हो सकेगा।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मैं माननीय मंत्री से श्री श्रीकान्तन नायर के संशोधन पर गंभीरता से विचार करने की प्रार्थना करूंगा। विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने इसे रखने का यह कारण बताया था कि अनुचित मुकाबला न हो और छोटे छोटे अथवा स्थानीय भाषाओं के अखबारों को कुछ लाभ हो सके, और उन्हें कुछ अधिक विज्ञापन मिल सकें। अन्यथा बड़ी कठिनाई होगी और जिस उद्देश्य के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक राज्य में कई कई दैनिक निकलते हैं। यदि वे विज्ञापनों के लिये भाग दौड़ नहीं करेंगे तो वे अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते हैं। विधेयक का उद्देश्य तो अच्छा है, परन्तु प्रारम्भ में हमें प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-पत्रों को कुछ सुविधायें तो देनी ही चाहिये, ताकि वह काफी समय तक अपने अस्तित्व को बनाये रख सकें। इसलिये एक आना अथवा डेढ़ आने वाले समाचार-पत्रों को कुछ छूट दी जानी चाहिये। उन्हें कुछ अधिक पृष्ठों की अनुमति होनी चाहिये ताकि वह समाचारों के साथ साथ विज्ञापनों का अनुपात भी कुछ बढ़ा सकें। आशा है कि मंत्री महोदय इस संशोधन पर ध्यान देंगे।

†**श्री म० कृ० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम) : मैं श्री विट्ठल राव के संशोधन का समर्थन करता हूं। इसमें केवल यह कहा गया है कि पृष्ठ मूल्य अनुसूची को तैयार करते समय श्रम जीवी पत्रकार संघ तथा पत्रकारों की अन्य संस्थाओं से परामर्श करना चाहिये। परसों मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि ऐसा करना आवश्यक नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस संबंध में प्रकाशकों की संस्थाओं की राय ली जायेगी। मेरे विचार में ऐसी दो संस्थाएं हैं, एक भारतीय और पूर्वी समाचार-पत्र संस्था और दूसरी भारतीय भाषाई समाचार-पत्र संघ। इन संस्थाओं का चंदा इतना अधिक है कि साधारणतः छोटे छोटे समाचार-पत्र इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। उन्होंने छोटे समाचार-पत्रों की सम्मति जानने की बात भी कही, परन्तु उनका कोई संगठन नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध यही है कि उनके हितों के लिये पृष्ठ-मूल्य अनुसूची श्रमजीवी पत्रकार संघ की मंत्रणा से बनाई जानी चाहिये। पत्रकार व्यापार नहीं करते हैं, परन्तु व्यापार के उतार-चढ़ाव का उन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिये इतना कह कर ही इस बात को टाला नहीं जाना चाहिये कि पत्रकारों का व्यापार से कोई संबंध नहीं है। कई मामलों में पत्रकारों की राय जानना आवश्यक है और समाचार पत्रों के संबंध में तो इसके अनुसार उनकी राय ली ही जायेगी। इसलिये मैं श्री विट्ठल राव द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : यह बड़ा कठिन काम है जिसे मंत्री महोदय को करना होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि काम को ठीक ढंग से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रकाशकों के साथ साथ सम्पादकों और श्रमजीवी पत्रकारों को भी इस कार्य से संबद्ध किया जाय। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, श्रमजीवी पत्रकारों की अपनी एक दो संस्थाएं हैं और वे मंत्री महोदय को अपनी निश्चित राय दे सकती हैं। सम्पादकों की संस्था भी ऐसा कर सकती है। समाचार-पत्रों पर हम केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं देखते हैं, और केवल इस दृष्टि से ही इनकी पृष्ठ-मूल्य अनुसूची भी तैयार नहीं की जानी चाहिये। समाचार-पत्रों को चलाने के लिये इसके अतिरिक्त भी और बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। प्रत्येक पत्रकार और सम्पादक को यह पता होता है कि उनका समाचार-पत्र कैसे चल रहा है। इसलिये उनकी राय हर हालत में सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त हमें मामले पर सामूहिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिये। इसलिये यह जरूरी है कि पृष्ठ-मूल्य अनुसूची तैयार करने में इनका भी हाथ रहना ही चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने किसी अधिकारी विशेष का उल्लेख किया और बताया कि उसके अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। एक व्यक्ति का कोई प्रश्न नहीं है, इस मामले में समूचे मंत्रालय के अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिये। इसके साथ ही समाचार-पत्र तैयार करने वालों के अनुभव से भी वंचित नहीं रहना चाहिये।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से संशोधन को स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि औपचारिक परामर्श से काम नहीं चल सकता है।

†**डा० लंका संदरम्** : आप मंत्रालय के लिये यह आवश्यक बनाना चाहते हैं?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री के लिये परामर्श लेना अनिवार्य होना चाहिये और यह बात समाचार-पत्रों, मंत्रालय और पाठकों के हित में ही होगी। यह उनके भी हित की ही बात होगी जो कि समाचार-पत्र तैयार करते हैं। इस प्रकार जो अनुसूची तैयार होगी वह सबको स्वीकार होगी और यदि मंत्रालय और प्रकाशकों की ही बात रही तो काम नहीं बनेगा।

†**डा० केसकर** : सबसे पहले मैं श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा प्रस्तुत और एक या दो अन्य सदस्यों के उसी जैसे संशोधनों द्वारा समर्थन किये गये संशोधन को लूंगा। मैं संशोधन को स्वीकार करने मे असमर्थ हूं। कल मैंने जो कुछ कहा था उसे में दोहराना नहीं चाहता, किन्तु मैं पूरे जोर के साथ पुनः निवेदन करता हूं कि हर किसी के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है। यह बात नहीं हैं कि हम श्रमजीवी पत्रकारों या सम्पादकों के महत्व को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु जब हम समाचार-पत्र का मूल्य निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें यह निर्णय करना है कि क्या इस मूल्य विशेष से समाचार-पत्र को लाभ होगा या हानि, अतः स्वभावतः समाचार-पत्र के प्रबन्धकों से परामर्श करना आवश्यक है। यह बहुत सरल और उचित बात है। समाचार-पत्र की सामूहिक आत्मा के बारे में और श्री दी० चं० शर्मा द्वारा उल्लिखित अन्य बातों को मैंने दिलचस्पी के साथ सुना है। इसमें सन्देह नहीं मैं इस सामूहिक उत्तरदायित्व में दिलचस्पी रखता हूं, किन्तु मुझे विशिष्ट उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे समाचार-पत्रों के लिये काम योग्य मूल्य की व्यवस्था करने में निश्चय ही दिलचस्पी है। मैंने कल यह कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं पत्रकारिता से संबंध रखने वाले अत्यन्त अनुभवी व्यक्तियों से भी परामर्श करूंगा और यह ज्ञात करूंगा कि क्या उन्हें कोई अन्य सुझाव देने हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[**डा० केसकर**]

दूसरी बात यह है कि श्री श्रीकान्तन नायर यह चाहते हैं कि हमें डेढ़ आना और उस से कम मूल्य के समाचार-पत्रों को अनुविहित रूप से निकाल देना चाहिये। मैं उनके तर्क को समझ नहीं सका हूं। कुछ अन्य सदस्य यही भी कह सकते हैं कि अमुक मूल्य से अधिक वाले समाचार-पत्रों को निकाल दिया जाय। इस तरह तो मूल्य-पृष्ठ अनुसूची के लिये बहुत ही कम रहेगा। यदि हम किसी श्रेणी विशेष के समाचार-पत्रों को निकाल दें और केवल एक श्रेणी विशेष के ही समाचार-पत्रों को रहने दें तो किसी प्रकार के मूल्य ढांचे का निर्धारित करना, जो कि एक संतोषप्रद तथा वांछनीय कार्य है, संभव नहीं होगा। मैंने इस तर्क को बहुत सावधानी से सुना। उनका यह कहना है कि किसी मूल्य विशेषसे कम मूल्य वाले समाचार-पत्रों के संबंध में अपवाद किया जाना चाहिये। जो कुछ उन्होंने कहा उसे मैं निश्चय ही ध्यान में रखूंगा। अनुसूची तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा। यह बात याद रखी जानी चाहिये कि कभी भी किसी समाचार-पत्र के मूल्य से उस समाचार-पत्र के छोटे या बड़े होने का आभास नहीं मिलता है। हो सकता है कि किसी समाचार-पत्र का मूल्य दो पैसा हो, परन्तु उसकी दस लाख प्रतियां बिकती हों। हम उसे एक छोटा समाचार पत्र नहीं समझ सकते हैं। चार आना मूल्य वाला कोई समाचार-पत्र छोटा समाचार पत्र हो सकता है, उसका परिचालन कम हो सकता है, उसका परिचालन केवल कुछ इने-गिने व्यक्तियों में ही हो सकता है और यह भी संभव है कि दो पैसा मूल्य वाले समाचार पत्र की दस लाख प्रतियां बिकती हों।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : आपको दैनिक और अ-दैनिक समाचार-पत्रों में विभेद करना चाहिये।

† **डा० केसकर** : इस समय यह अनुसूची दैनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्रों के लिए बनाई गई है—साप्ताहिक 'विचार-पत्रों' के लिये नहीं। इस धारणा के अनुसार अन्य पत्रों का इस में प्रश्न नहीं उठता।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : एक साप्ताहिक 'समाचार पत्र' तथा साप्ताहिक 'विचार पत्र' में क्या अन्तर है ?

†**डा० केसकर** : मेरे मित्र इसे अच्छी तरह जानते हैं तथा इसका निश्चित रूप से उल्लेख किया गय है। इस समय भी डाक व तार अधिनियम तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम में भी यह बहुत स्पष्ट है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : यदि किसी पत्र में 'समाचार' तथा 'विचार' दोनों दिए गए हों तो ?

†**डा० केसकर** : तो इस मिश्रण में आपको देखना होगा कि प्रभुत्व किसका है। परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि हम कुछेक पत्रों को निकाल दें तथा इसे समाचार-पत्रों की एक सीमित श्रेणी तक ही रहने दें तो सारी योजना निश्फल हो जायेगी। यदि हम इस प्रकार का कोई संविधिक निर्बन्धन पारित करें हम एक परिवर्तनशील मूल्य ढांचा या अनुसूची नहीं बना सकेंगे— आप इसे कोई नाम दे सकते हैं।परन्तु मेरे माननीय मित्र ने छोटे पत्रों के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें प्रश्न के संबंध में क्रियात्मक फैसला करते समय निस्संदेह ध्यान में रखा जायगा।

मेरे मित्र श्री भक्त दर्शन ने पहले ही अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाही है, अतएव मुझे उनके सम्बन्ध में अग्रेतर कुछ नहीं कहना है।

†**इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा संमोद्यन संख्या ६, ८ और ९ मतदान के लिये प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए** ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संशोधन संख्या ४ सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ और ५ विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड ६—(दण्ड)

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : में प्रस्ताव करता हूं कि

(१) पृष्ठ ३४(१) पंक्ति ११ में "one thousand rupees" (एक हजार रुपये) शब्दों के स्थान पर "one hundred rupees" (एक सौ रुपये) शब्द रखे जायें; तथा

(२) पंक्ति १३ में "two thousand rupees" (दो हजार रुपये) शब्दों के स्थान पर "two hundred rupees" (दो सौ रुपये) शब्द रखे जायें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार छोटे समाचार-पत्रों को अधिकतम सम्भव सहायता देना चाहती है। यदि १००० रु० या २००० रु० का अर्थ दण्ड रखा गया तो छोटे समाचार-पत्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि सरकार छोटे समाचार-पत्रों की सहायता करना चाहती है तो अर्थदण्ड की राशि को घटाना होगा। माननीय मंत्री मेरे संशोधन पर इस दृष्टिकोण से भी विचार करें कि प्रेस तथा पुस्तक अधिनियम १८६७ की धारा १६ क के अन्तर्गत अर्थदण्ड केवल ५० रुपये तथा धारा (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक कोताही के लिए ५० रुपये अर्थदण्ड की व्यवस्था है।

खंड ६ में यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई है कि शिकायत किससे की जानी चाहिये। हमें यह ज्ञात नहीं कि क्या शिकायत न्यायिक अधिकारी से की जानी चाहिये या दण्डाधिकारी से की जानी चाहिये जिसे वहां का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो इत्यादि। दण्डाधिकारी से शिकायत किये जाने पर उसे अर्थदण्ड का फैसला करने का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होना चाहिये।

इस संबंध में मैं खंड ७ का भी निर्देश कर देना चाहता हूं। निस्संदेह उस खंड के संबंध में कोई संशोधन नहीं रखा गया है। इसमें लिखा है कि प्रैस रजिस्ट्रार "लिखित में" शिकायत करे। अब "लिखित में" शब्दों के अर्थ नितान्ततर स्पष्ट नहीं हैं।

†**डा० केसकर :** इसका अर्थ है कि 'मौखिक रूप से नहीं'।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन में अधिनियम 'लिखित में' शब्द विद्यमान नहीं हैं।

†**डा० केसकर :** मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि श्री रामचन्द्र रेड्डी का संशोधन अनावश्यक है। विधेयक में ये शब्द लिखे हुए हैं :

".....जुर्माना जो कि एक हजार रुपये तक हो सकता है।"

और

".....जुर्माना जो कि दो हजार रुपये तक हो सकता है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

छोटे समाचार-पत्रों के हितों का समर्थन करते हुए माननीय सदस्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि कई ऐसे बड़े समाचार-पत्र भी हैं जिनके लिये १००० रुपये का जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है, और वे उससे भी अधिक जुर्माना दे कर पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं। इसीलिये बड़े सोच विचार के बाद ही जुर्माने की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है। अर्थ दण्ड देने वाले प्राधिकारी को इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वह इस सीमा के अन्दर अन्दर कितना भी जुर्माना लगा सकता है। स्वभावतः छोटे समाचार-पत्रों पर कम ही जुर्माना लगाया जायेगा। मैं आशा नहीं करता कि कोई भी प्राधिकारी छोटे समाचार-पत्रों पर अधिक जुर्माना लगायेगा और बड़े समाचार-पत्रों पर कम जुर्माना लगायेगा।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : समाचार-पत्रों पर कोई जुर्माना लगाने से पहले उन्हें चेतावनी क्यों न दी जाये ?

†**डा० केसकर** : समाचार-पत्रों के प्रबन्धक विधि तथा विनियमों से अच्छी प्रकार से परिचित हैं अतः हम उनसे आशा नहीं करते कि वे किसी भी नियम का अनजानपन में अतिलंघन करेंगे। यदि कोई अतिलंघन हुआ है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अनजाने में ही हो गया है तब जुर्माना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। वह बात तो समझी जा सकती है। अतः मैं समझता हूं कि श्री राम चन्द्र रेड्डी एक अनावश्यक बात का समर्थन कर रहे हैं। वे जो अर्थ निकालना चाहते हैं वह तो इस विधेयक में सम्मिलित ही है। अतः मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने इस संशोधन के लिये अधिक अनुरोध नहीं करेंगे।

उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है कि इस प्रकार की शिकायतें कौन प्राधिकारी प्राप्त करेगा। वह प्राधिकारी एक योग्य न्यायिक होगा। अत्यधिक विशेष मामलों के संबंध में प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, और मैं समझता हूं कि इसके उल्लेख करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं संशोधन को मत के लिये सभा के सामने प्रस्तुत करूं ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक में जोड दिया गया।

खंड ७ विधेयक में जोड दिया गया।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल–पूर्व व जिला मुरादाबाद–उत्तर-पूर्व) म अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार हैं :

पृष्ठ १, पंक्ति ५ और ६ में निम्न अंश हटा दिये जाये :

"जम्मू और काश्मीर राज्य के अतिरिक्त"

पृष्ठ १, पंक्ति ७ से ११ हटा दी जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा १ में कहा गया है कि इस कानून को जम्मू और काश्मीर में न लागू किया जाये। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको जम्मू और काश्मीर में भी लागू किया जाये। मैं देख रहा हूं कि सदन में जो कानून पास होते हैं उनमें से बहुत से जम्मू और काश्मीर पर लागू किये जाते हैं। अभी परसों ही हमने जो नेशनल वालंटियर कोर का कानून पास किया है उसको जम्मू और काश्मीर पर लागू किया गया है। इसी तरह से नेशनल हाईवेज बिल भी जो हमने स्वीकार किया था वह जम्मू और काश्मीर पर लागू किया गया है। लेकिन इस कानून को जो कि इतना महत्वपूर्ण है हम जम्मू और काश्मीर पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर के बारे में हम जो ढीला रुख अख्तियार किये हुए हैं वह ठीक नहीं है। हमारी भारत सरकार को अपना प्रचार तेजी से करने की जरूरत है। क्या हम लोग इस बात को नहीं जानते कि कांस्टीट्यूशन हाउस में बैठकर एक स्वनामधन्य महिला हमारी सरकार के खिलाफ आये दिन प्रचार करती रहती हैं। पता नहीं हमारा इन्फार्मेशन मंत्रालय इस विषय में क्या कर रहा है और जम्मू और काश्मीर सरकार इसका क्या जवाब देती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह कानून और दूसरे भी जितने कानून यहां पास किये जायें उनको जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिये और कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए।

अपने दूसरे संशोधन के संबंध में मुझे यह कहना है कि परसों मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर यह कानून पांच साल के लिये ही क्यों लागू किया जा रहा है। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा है कि इसको परीक्षण के तौर पर लागू किया जाये। उन्होंने पांच, दस या १५ साल का कोई समय नियत नहीं किया है। स्वयं मंत्रीजी ने बतलाया था कि इस प्रकार का कानून युनाइटेड किंगडम में दस पन्द्रह साल से लागू है और जब उसके हटाने के लिये आवाज उठायी गयी तो वहां के अखबारों में बड़ा हल्ला मचा और कहा गया कि इसको न हटाया जाये। जब इंग्लड में यह हालत है तो हमारे देश में जहां हम प्लान्ड इकानामी की ओर बढ़ रहे है, हमको अखबारों को भी क्यों प्लान्ड नहीं करना चाहिये। इसको केवल पांच साल के लिये ही क्यों लागू किया जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी अपने उत्तर में इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे।

†**डा० केसकर :** जहां तक श्री भक्त दर्शन के प्रथम संशोधन का संबंध है, मैं नहीं समझता कि इस विधान को जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू करना उचित है।

जहां तक इस सिद्धांत का संबंध है, कि सभी विधान स्वयमेव जम्मू तथा काश्मीर पर लागू हो जाया करें, मैं इस अवसर पर कुछ नहीं कहना चाहता। इस पर चर्चा करने का यह उचित स्थान नहीं है। जहां तक इस विधान का संबंध है, वास्तव में बात यह है कि उस राज्य में प्रैस की स्थिति अधिक स्थिर नहीं है। वहां के समाचार-पत्रों की संख्या भी थोड़ी सी ही है। जब तक हमें इस बात का निश्चय न हो जाये कि इस विधान का वहां पर कोई लाभ होगा, तब तक उसे वहां पर लागू करना उचित नहीं है।

श्री भक्त दर्शन ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यहां पर काश्मीर विरोधी तथा भारत-विरोधी प्रचार हो रहा है। मुझे आशा है कि वह इस बात को गृह-कार्य मंत्री के ध्यान में लायेंगे, और वे इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

†**श्री फीरोज़ गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व): सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है, परन्तु इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० केसकर :** यह बात तो गृह-कार्य मंत्री जी से कही जाये।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्निया व सन्थाल परगना) : आप भी तो उसी सरकार के एक मंत्री हैं।

†**डा० केसकर :** मैं एक विशेष विभाग का मंत्री हूं।

दूसरा संशोधन इस अधिनियम की अवधि से संबंध रखता है। श्री भक्त दर्शन यह चाहते हैं कि इस विधान को एक स्थायी विधान बना दिया जाये। मैं उनसे सहमत नहीं हूं—इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि यद्यपि इंग्लैंड में पृष्ठानुसार मूल्य-विधान है तो भी उसे किसी विशेष उद्देश्य से रखा गया है और वह है समाचार-पत्रों के कागज का वितरण। उस विधान की अनुसूची को इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है कि उस से कम वित्त वाले समाचार-पत्रों को कोई लाभ या सहायता प्राप्त हो।

प्रैस आयोग की सिफारिशों के अनुसार हम प्रथम बार पृष्ठानुसार मूल्य के ढांचे के बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे समाचार-पत्रों की अनुचित प्रतियोगिता समाप्त हो जायेगी। जब तक हम इस विधान का परीक्षण न कर लें, यह कहना अनुचित है कि इसे एक स्थायी विधान बना दिया जाये। यदि यह ठीक प्रकार से चला तो उसे स्थायी बना दिया जायेगा। उसमें कोई कठिनाई न होगी। इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि क्या यह स्थायी है या केवल पांच वर्षों के लिये है। वास्तव में कोई भी कह नहीं सकता कि तीन चार साल के बाद क्या होगा, और फिर व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी यह कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पांच साल के बाद भी इस कानून को लागू किया जायेगा, इस आश्वासन पर मैं अपने संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० केसकर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव करते हुए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यह विधेयक अच्छी प्रकार से सोच विचार, तथा इस संबंध में संसद् तथा प्रेस द्वारा अभिव्यक्त किये गये मतों पर समूचे रूप से विचार करने के बाद और अन्य देशों में प्राप्त अनुभव को विचाराधीन रखते हुए ही प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य कोई अत्यधिक ऊंचा नहीं है और न ही किसी अभिप्रेत लक्ष्य का निश्चित और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया है, इससे हमें यही आशा है कि यह समाचार-पत्रों की अनुचित प्रतियोगिता को रोकने में हमारी सहायता करेगा और उससे

---

†मूल अंग्रेज़ी में

छोटे समाचार-पत्रों को लाभ होगा। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह उन साधनों में से एक है जो कि समाचार-पत्रों की सहायता करेंगे। मैं इसके संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता। यह विधेयक जब अधिनियम बन जायेगा तथा जब अनुसूची को तैयार किया जायेगा तो उसका परीक्षण किया जायेगा, और उसके परिणाम सभा के सम्मुख रखे जायेंगे। मुझे आशा है कि परिणाम अच्छे होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मंत्री जी ने जिस सुन्दर ढंग से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु अपने २० वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक कोई प्रगतिशील विधेयक नहीं है। इसमें कुछ संकोच भाव से काम लिया गया है। भारत में अधिकांश समाचार-पत्र दैनिक नहीं हैं। मंत्री जी इस बात को कृपया अपने ध्यान में रखें।

जब तक सूचना तथा प्रसारण मंत्री हमें यह आश्वासन नहीं देते कि वे छोटे पत्रों के हितों का ध्यान रखेंगे, तब तक देश के प्रैस का भला न हो सकेगा। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुकालिक समाचार-पत्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उनकी ओर भी ध्यान देना अत्यावश्यक है। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री जी विधेयक पर विचार करते समय अनुकालिक समाचार-पत्रों की उपेक्षा नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची का मैंने उसी समय समर्थन कर दिया था जब कि प्रैस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही थी। अतः इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

विधेयक के अधिनियमों के बन जाने के बाद हमारे सामने कई कठिनाइयां आ जायेंगी। इस विधेयक में यह लिखा हुआ है कि यह छोटे तथा बड़े समाचार-पत्रों को विज्ञापन संबंधी एक समान अवसर प्रदान करेगा। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वैसा करना इतना सुगम न होगा। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस अधिनियम के विनियम ऐसे बनाये जायें जो कि समय के अनुसार ढाले जा सकें। इसलिये हम यह चाहते हैं कि इस अधिनियम के संबंध में जो भी विनियम बनाने हैं वे अब निश्चित कर लिये जायें और सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें। मंत्री जी ने स्वयं भी राज्य-सभा में यह कहा था कि यह बताना बड़ा कठिन है कि विनियम किस प्रकार के होंगे। इससे प्रतीत होता है कि मामला कठिन है। इसलिये अच्छा यही है कि उन विनियमों को पहले ही निश्चित कर लिया जाये और सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये ताकि सभा सदस्य भी उसमें कुछ योग दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**डा० केसकर** : मुझे इस बारे में कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं निश्चय ही डा० लंका सुन्दरम् के इन बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को ध्यान में रखूंगा, क्योंकि उन्हें समाचार-पत्रों तथा प्रैस का पर्याप्त अनुभव है। इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रैस के इतने बड़े क्षेत्र को इस विधेयक के छोटे से घेरे में ले आना कोई सरल काम नहीं है। यह एक कठिन कार्य है और मैं यह नहीं चाहता कि इसे प्रारम्भ में ही इतना अधिक जटिल सा बना दिया जाये। परन्तु उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें ध्यान में अवश्य रखा जायेगा।

श्री आज़ाद ने जो बात कही है वह विचारणीय तो अवश्य है, परन्तु उस पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। मैंने उस दिन जो उत्तर दिया था उसको फिर से नहीं दोहराना चाहता। मैं इस संबंध में केवल यही कहूंगा कि इसमें नियमों का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यहां पर तो पृष्ठानुसार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० केसकर]

मूल्य दर घोषित करने का प्रश्न है और वह अन्य नियमों अथवा अनुसूचियों की कोटि में सम्मिलित नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इसका अर्थ यह है कि आपका दृष्टिकोण दण्डात्मक नहीं है।

†**डा० केसकर** : मैं समझता हूं कि उससे प्रैस को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मुझे आशा है कि वह अपनी बात पर अधिक बल न देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री अ० चं० गुह द्वारा २४ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किये गये राज्य वित्तीय निगम अधिनियमों में अग्रेतर संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर आगे विचार करेगी।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : विभिन्न राज्य वित्त निगमों के कार्य के संबंध में जो जानकारी इस सभा के सम्मुख रखी गयी है, उसके संबंध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि वह जानकारी ठीक नहीं है।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं यह समझता था कि सभा-पटल पर १२० पृष्ठों का बड़ा प्रतिवेदन रखा गया है। परन्तु वास्तव में वे उस बड़े प्रतिवेदन को तैयार न कर सके और उन्होंने संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। वह एक गलती हो गयी थी।

†**श्री बंसल** : उस संक्षिप्त प्रतिवेदन के केवल ७ या ८ पृष्ठ थे। उसके बाद जब चर्चा स्थगित हो गयी थी तब १०० पृष्ठों का एक बड़ा संक्षिप्त विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया था। उसमें भी राज्य वित्त निगमों के विभिन्न आभारों का उल्लेख है। भारत सरकार के लिये यह अनिवार्य कर देते हैं कि वह सभी संबंधित जानकारी संसद् के पुस्तकालय में रखे। अर्थात् इन तीनों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रिजर्व बैंक तथा महालेखा परीक्षक को तो बड़ा महत्व दिया गया है परन्तु संसद् को कोई महत्व नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन निगमों से संबंध रखनेवाली सारी जानकारी को संसद् के सामने प्रस्तुत करे। अतः मेरा यह निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार के पूरे पूरे प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जायें। म नहीं समझता कि इस में सरकार को कोई विशेष कठिनाई आयेगी। प्रतिवेदन सम्पूर्ण होना चाहिये, अधूरे अथवा संक्षिप्त प्रतिवेदनों से कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं इन निगमों के कार्य के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

अभी तक कुल १३ निगम हैं। उनमें से सवप्रथम १९५३ में स्थापित हुआ था। इस प्रकार से कुछेक निगम तो पिछले तीन वर्षों से काम कर रहे हैं। इन निगमों के लिये कुल २५ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है जिसमें से १०·५ करोड़ रुपया लगाया जा चुका है। परन्तु उस १०·५ करोड़ की राशि का तीन चौथाई भाग तो सरकारी प्रतिभूतियों तथा विभिन्न बैंकों में लगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसका अर्थ यह हुआ कि संविहित रूप से जो लाभांश दिया जाना था उसका लगभग ६१ प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा पूरा किया गया था। राज्य सरकारों को कुल हानि ११·५ लाख रुपये की हुई है। यह कहा जा सकता है कि ये निगम बहुत ही थोड़े समय से कार्यान्वित थे और इसलिये प्रारम्भ में अर्थ सहायता अवश्य ही अधिक होनी थी। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि २५ करोड़ की प्राधिकृत पूंजी में लगभग १०·५ करोड़ रुपये वस्तुतः कैसे निगमित किये गये थे। विभिन्न निगमों ने कम राशि क्यों नहीं दी ताकि उन्हें आवश्यक अर्थ सहायता देने में धन का अपव्यय न होता ?

†**डा० लंका सुंदरम्** (विशाखपटनम्) : इस आधार पर लाभांश की गारंटी क्यों दी जाये ?

†**श्री बंसल** : केवल ३ प्रतिशत लाभांश की गारंटी दी गयी है। यह अधिक नहीं है क्योंकि जब सरकार ऋण लेती है तो ४ प्रतिशत या ३-१/२ प्रतिशत के लगभग लाभांश देती है। मैं तो यह कहता हूं कि यदि राज्य निगमों को यह मालूम नहीं था कि ऋण रूप में कितनी राशि ले ली जाएगी तब फिर इतनी राशि निर्गमित क्यों की गई थी ?

ये निगम अपना कार्य दक्षता से कर रहे हैं या नहीं इसके लिये एक ही कसौटी, व्यय अनुपात है। इस प्रश्न के संक्षिप्त विवरण के लेखकों ने टाल दिया है। बल्कि इसमें व्यय को लाभ से संबंधित करन का प्रयत्न किया गया है। व्यय अनुपात जानने का यह ठीक ढंग नहीं है। मेरे विचार में उचित व्यय अनुपात, ऋण के लिये मंजूर की गई कुल राशि से प्रशासकीय परिव्यय की प्रतिशतता होगा। इस आधार पर मैंने देखा है कि त्रावणकोर-कोचीन में व्यय अनुपात २·६ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में ३·४ प्रतिशत, सौराष्ट्र में ६·५ प्रतिशत और पंजाब में १२ प्रतिशत है।

औद्योगिक वित्त निगम का व्यय अनुपात कुल ऋणों के संबंध में १९४८–४९ में ·८ प्रतिशत, १९४९–५० में १·२७ प्रतिशत, १९५०–५१ में २·१ प्रतिशत और १९५१–५२ में १·२८ प्रतिशत था। इंगलिस्तान में बड़े निगमों के संबंध में व्यय अनुपात ०·५२ प्रतिशत और छोटे निगमों के संबंध में ०·६ प्रतिशत है। इससे मालूम होगा कि ये वित्त निगम असफल रहे हैं और माननीय मंत्री को व्यय अनुपात में कमी करने के लिये कुछ उपाय करने चाहिये और यह देखना चाहिये कि और शीघ्रता से ऋण दिये जायें तथा मूल धन में और दिये जाने वाले ऋणों में सन्तुलन बना रहे।

अब मैं संशोधनों की चर्चा करता हूं। हमें राज्य वित्त निगमों के संबंध में पूर्ण स्थिति का पुनर्विलोकन करना चाहिये। तीन वर्षों में ऋण रूप में और १२ राज्यों में ऋण-पत्रों के रूप में २·८ करोड़ रुपये दिये गये हैं। मेरे विचार में छोटे तथा दरम्याने दर्जे के उद्योगों की मूलधन की आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि कहीं कम है। निगमों की कृत्यकारी में कुछ त्रुटि है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन राज्य वित्त-निगमों के पृथक् संस्थाओं के रूप में साधारण की अपेक्षा इनके काम काज को भारत के राज्य बैंक में मिला देना चाहिये। यह बैंक औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं को अल्पावधि के लिये ऋण देता है। राज्य बैंक इन निगमों के कृत्यों को संभालने की स्थिति में है।

शरौफ समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि किसी न किसी प्रकार हमारे अनुसूचित बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को इस स्थिति में रखना चाहिये कि वे दरम्याने समय तथा लम्बे समय के लिये ऋण दे कर देश के औद्योगिक विकास में सहायता दे सकें। मेरा सुझाव यह है कि राज्य बैंक के तीन विशेष विभाग होने चाहिये : एक वाणिज्यिक विभाग, एक औद्योगिक विभाग और एक कृषि विभाग। वाणिज्यिक विभाग साधारण वाणिज्यिक ऋणों का कार्य संभाल सकता है और औद्योगिक विभाग दरम्याने समय के लिये और लम्बे समय के लिये प्रत्याभविता के सामान्य कृत्यों की देखरेख कर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बसंल]

सकेगा, छोटे तथा दरम्याने दर्जे के उद्योगों को उधार रुपया दे सकेगा। औद्योगिक विभाग में एक विनियोजन ऋण विभाग भी हो सकता है जो औद्योगिक अंशों तथा ऋण पत्रों के विरुद्ध प्रतिभूति दे सकेगा। ये दोनों विभाग न्यूनाधिक आपस में मिल कर काम कर सकते हैं।

राज्य वित्त-निगमों के कृत्यों को औद्योगिक विभाग संभाल सकता है। इस समय विभिन्न राज्यों की राजधानियों में जहां राज्य वित्त निगम कार्यान्वित हैं वहां राज्य बैंक का एक प्रतिनिधि हो सकता है और भारत के राज्य बैंक तथा राज्य बैंक के मुख्यालय में उस समिति के पथ निर्देशन के अधीन इन उद्योगों के संबंध में ऋण संबंधी इस नीति पर सुगमता से चला जा सकता है।

छोट पैमाने के उद्योगों को दरम्याने समय के और लम्बे समय के ऋण देने के लिये राज्य बैंक की अब भी एक अग्रिम योजना है। राज्य वित्त-निगमों का कार्य आसानी से राज्य बैंक को सौंपा जा सकता है और वह उनसे अच्छा कार्य कर सकता है।

बैंक, वित्त-निगमों से कम कड़ी शर्तों पर ऋण दे सकते हैं। राज्य बैंक न केवल यह काम अधिक अच्छी तरह करेगा बल्कि यह भी ध्यान रखेगा कि जो व्यक्ति ऋण चाहते हैं उन्हें कोई कष्ट न हो। छोटे तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों की अधिक सहायता की जा सकेगी। मुझ विश्वास है कि मेरे इस सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा और वित्त-निगम जिस काम को नहीं कर सके हैं, राज्य बैंक उसे सुगमता से कर सकेगा।

†**डा० लंका सुंदरम्** : जब पिछले सप्ताह मैंने इस वादविवाद को स्थगित करने का प्रस्ताव किया था तो मुझे आशा थी कि मेरे माननीय मित्र श्री गुह जहां तक राज्य वित्त निगमों के कार्यवहन परिणामों का सम्बन्ध है, संसद् के पुस्तकालय में कुछ प्रतिलिपियां रख देगे, परन्तु लोक-सभा पटल पर रखने के लिए उन्हे इन नियमों के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हो सकी है। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रिवर्ग में स्थान प्राप्त करने के बाद उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम को एक ठोस आधार पर प्रतिष्ठापित करने के लिये अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है।

†**श्री अ० चं० गुह** : उस अधिनियम के संशोधन के बाद औद्योगिक वित्त निगम के रिकार्ड में पर्याप्त सुधार होता रहा है।

†**डा० लंका सुंदरम्** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ मिनट पहले जानकारी के लिये और प्रस्तावित बीमा निगम के मामले पर वाद-विवाद के लिये अवसर दिये जाने की प्रार्थना की गयी थी तो आपने हस्तक्षेप किया था। सरकार की ओर से सदैव यही कहा जाता है "ये निगम स्वायत्तशासी है। आखिर वे निगम हैं। हम उनके दनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं"। परन्तु मेरे विचार में यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चाहे दामोदर घाटी निगम हो या औद्योगिक वित्त निगम या सिन्दरी या कुछ और, यह प्रश्न हमारे सामने कई बार उत्पन्न हुआ है कि इस सभा द्वारा निगम स्थापित करने के लिये विधियां पारित की जाती हैं और तुरंत ही सरकार द्वारा यह कहा जाता हैं आप उनकी बातों में, गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब इस सभा की अवधि समाप्त होने को है, फिर नये चुनाव होंगे, इसलिये हमें कुछ ऐसे मूल पूर्व दृष्टांत निर्धारित करने चाहिये कि जिनसे संसद् द्वारा पारित विधियों के आधीन स्थापित किये गये निगमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में लोक-सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में कोई संदेह न रहे। मुझे खेद है कि विभिन्न वित्तीय निगमों के प्रतिवेदन हमें नहीं दिये गये हैं। मुझे आशा है कि आप इस मामले पर एक सिद्धान्त के रूप में विचार करेंगे।

†**श्री अ० चं० गुह** : यहां मुझे पुनः बीच में बोलना पड़ रहा है। स ा-कक्ष में उनसे बातचीत करने के बाद अब मैं यह कह सकता हूं कि मुझे प्रतिलिपियां मिल गयी हैं। मुझे वे कल ही मिली थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि मैं उन्हें अब भी रख दूं तो फिर वही प्रश्न उत्पन्न होगा कि उन्हें समय पर नहीं रखा गया है। भविष्य में हम ध्यान रखेंगे परन्तु इस समय एक निगम को छोड़ कर शेष सभी से सम्बन्धित प्रतिलिपियां मेरे पास •ह ।

†**डा० लंका सुंदरम्** : माननीय मंत्री ने सभा-कक्ष में मुझ से यह बात नहीं कही थी परन्तु यदि उन्होंने वादविवाद को स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता तो मुझे विश्वास है कि एक उचित तिथि तक वाद-विवाद स्थगित करने के प्रस्ताव का सभा द्वारा स्वागत किया जाता ।

श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि आप यह प्रवर्तित करेंगें कि सरकार को काफी पहले जानकारी परिचालित करनी ही होगी या उन्हें मामले पर वाद-विवाद को स्थगित करने के लिये प्रबन्ध करना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में हमें जो अधूरी जानकारी दी गयी है, या हमने स्वयं जिसे प्राप्त किया है, उसी से हमें काम चलाना होगा ।

यह एक सक्षम विधान है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इस विधान द्वारा १९५१ के पहिले अधिनियम में संशोधन करने का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु सक्षम विधान होने के कारण मेरा यह दृढ़ मत ह कि अब निगम संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन विधेयक के क्षेत्र के भीतर स्थापित किये जाने वाले निगम उचित रूप से कार्य करेगे ।

मैं सभा का ध्यान इन निगमों की पूंजी संरचना की ओर आकर्षित करता हूं। ग्यारह नियमों के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी है जब कि कुल तेराह निगम हैं। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है प्रधिकृत पूंजी २ करोड़ रुपये ह, निर्गमित पूंजी १ करोड़ रुपये है, राज्य सरकार का अंश ५० लाख रुपये, भारत के रक्षित बैंक का अंश १५ लाख रुपये, और बैंक तथा बीमा समवाय जैसी वित्तीय संथाओं का अंश ३० लाख रुपये हैं ।

†**श्री बंसल** : बीमा समवायों का कार्य प्रबन्ध आजकल सरकार द्वारा किया जाता है ।

†**डा० लंका सुंदरम्** : मुझे यह प्रलेख कुछ ही दिन हुए दिया गया था। मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि राज्य बैंक का भी इस मामले में हाथ हो ।

निगम की पूंजी संरचना एक सिद्धान्त पर आधारित होती है जैसे पूंजी संरचना की मुख्य बात और विभिन्न कंधों पर पूंजी उत्तरदायित्व को रखना। अब आसाम में गैर-सरकारी या अन्य विनियोजकों का अंश ५ लाख रुपये है ।

उत्तर प्रदेश में प्राधिकृत पूंजी ३ करोड़ रुपये, निर्गमित पूंजी ५० लाख रुपये, राज्य का अंश १८ लाख रुपये, भारत के रक्षित बैंक का अंश ७·५ लाख रुपये, वित्तीय संथाओं का अंश १९·५ लाख रुपये और अन्य अंशधारियों जैसे कि गैर-सरकारी अंशधारियों का अंश ५ लाख रुपये है। बिहार के मामले मे प्राधिकृत पूंजी २ करोड़ रूपये, निगमित पूंजी ५० लाख रूपये, राज्य का अंस २० लाख रुपयें, रक्षित बैंक का अंश ७·५ लाख रुपये, वित्तीय संथाओं का अंश १७·५ लाख रुपये और गैर-सरकारी अंशधारियों का अंश ७·५ लाख रुपये है ।

मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश के मामले में स्थिति का जानबूझ कर चर्चा की है क्यों कि हमारे देश के यह कुछ बड़े राज्य हैं। परन्तु हम देखते हैं कि लगभग सभी राज्य निगमों की प्राधिकृत पूंजी के लिये अंश पूंजी साधारणतया २ करोड़ रुपये है। सरकारी तौरपर मुझे जो आंकड़े दिये गये है उनके अनुसार दो करोड़ रुपये में से यह १७·५ लाख से ५४ लाख रुपये तक विभन्न हैं, अर्थात् रुपये मे चार आनें तक हैं। यदि अधिक नहीं तो रुपये में से पांच आने बीमा समवायों और बैंकों जसी संथाओं के विनियोजको तथा गैर-सरकारी अंशधारियों द्वारा दिये गये हैं। किसी औद्योगिक वित्त निगम की अंश पूंजी उचित रूप से ही इकठ्ठी की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा लंका सुंदरम्]

क्योंकि हम विधान पारित कर रहें हैं इसलिये यह देखना हमारा कर्तव्य है कि इन संस्थाओं का कार्यप्रबन्ध उचित रुप से हो ।

श्री अ० चं० गुह द्वारा हमें जो रेखा चित्र परिचालित किया गया है उसमें यह शब्दबंध दिया गया है, 'अनुसहाय्य, दिये गये लाभाशों की प्रतिशतता के रूप में'। इन्हें किसने दिया था ? निश्चित रूप से इन्हें राज्य सरकारों ने दिया होगा यदि उन्होंने नहीं तो किसी ऐसे संचय में से दिया गया होगा जिसमें कि सरकारों की निधियां दी गयी हो। सरकार ने ऐसी गतिविधियों के लिये, जो कि वहां नहीं ह , जिस प्रकार लाभांश की प्रत्यामूर्ति देनी चाही वह आश्चर्यजनक है और मैं कुछ आंकड़े बताता हूं ।

पंजाब में पहले वर्ष अनुसाहाय्य की राशि दिये गये लाभांश की ९३ · ३ प्रतिशत थी, दूसरे वर्ष ५३ · ७ प्रतिशत और तीसरे वर्ष, अर्थात् पिछले वर्ष, वह ४७ · ७ प्रतिशत थी। सौराष्ट्र में इन्हीं तीन वर्षों में राज्य द्वारा वित्त निगम को दिया गया अनुसहाय्य ८० · १ प्रतिशत से ४८ · ६ प्रतिशत तक और बम्बई के मामले में ९२ प्रतिशत से ६९ · ४ प्रतिशत तक दिया गया था । मध्य भारत में सौ प्रतिशत तक अनुसहाय्य दिया गया था ।

श्री बंसल ने व्यय अनुपात के सम्बन्ध में आंकड़े दिये हैं और पहिले इंग्लिस्तान में व्यय अनुपातों से और बाद में औद्योगिक वित्त-निगम के साथ उनकी तुलना की है ।

श्री अ० चं० गुह द्वारा हमें एक विवरण परिचालित किया गया है और मैं उसे संक्षेप में उद्धरित करता हूं। ये कुल आय की प्रतिशतता के रुप में प्रशासकीय व्यय से सम्बन्धित आंकड़े हैं। जिन तीन वर्षों की अवधि की म अभी चर्चा कर रहा था उनमें ही पंजाब में यह ७२ · ८ प्रतिशत से ३१ · ५ प्रतिशत तक, सौराष्ट्र में ४१ प्रतिशत से १६ · ३ प्रतिशत तक और बम्बई में ६३ · ४ प्रतिशत से २३ · ५ प्रतिशत तक हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस में कमी हो रही है ? त्रावनकोर-कोचीन में, जिसे राज्य वित्त-निगम का एक आदर्श उदाहरण कहा गया है यह ३४ · ८ प्रतिशत से १२ · २ प्रतिशत तक है ।

मध्य भारत में प्रथम वर्ष में यह १३३ · ३ प्रतिशत थी, दूसरे शब्दो में चाहे आप पूंजी संरचना, या लाभांश, दिये गये अनुसहाय्य या वित्तीय सहायता, किसी भी रूप में विचार करें, अन्तर्निहित महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को देखते हुए, इन संस्थाओं का कार्यकरण ऐसा रहा है कि उससे हमें उन पर अधिक विश्वास नहीं रहा है । इसीलिये चाहे औद्योगिक वित्त-निगम हो या राज्य वित्त निगम हमें सामग्री प्राप्त होनी चाहिये । मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसी त्रुटि फिर नहीं होगी ।

यदि उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण देखा जाये तो दो अत्यन्त महत्वपूर्ण बाते देखने में आयेंगी। कंडिका २ में इस विधेयक को प्रस्तुत करने का यह कारण बताया गया है कि पृथक वित्तीय-निगम स्थापित करनेके संबंध में कुछ राज्यों द्वारा जिस कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है उसे दूर करना इच्छित है। फिर ऐसी कंडिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा २५ में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि राज्य वित्त निगमों द्वारा औद्योगिक सथाओं को वित्तीय सहायता मिल सकें। दूसरे शब्दों में पंचवर्षीय योजना और विशेष रुप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा कुटीर तथा छोटे पमाने के उद्योगों को समृद्ध करने और विकास करनें का जो दायित्व अपने ऊपर लिया गया है, उसे इस समर्थकारी विधान द्वारा सहायता देना ही इच्छित है ।

यदि यही बात है तो इन राज्य वित्त निगमों का कृत्य क्या होगा ? किन निबन्धनों पैर ऋण दिये जा रहे हैं ? उन्हें किस प्रकार वसूल किया जाता है ? इन बातों के सम्बन्ध में अब मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं ।

प्रलेख के पृष्ठ ६ पर हम एक ऐसी बात देखते हैं जो स्वयं सब कुछ स्पष्ट कर देती है ।

इस विधेयक द्वारा कुटीर तथा दरम्यान पैमाने के उद्योगों की सहायता नहीं की जा सकेगी क्योंकि ब्याज की दरें अत्यन्त अन्याय्य हैं। विभिन्न राज्य वित्तनिगमों द्वारा जिस प्रकार ब्याज एकत्रित किया जाना इच्छित है उसे देख कर आश्चर्य होता है। विवरण में भी वित्त मंत्रालय द्वारा एक टिप्पण में कहा गया है "सत्यापन के अधीन रहते हुए"।

पंजाब के मामले में ब्याज की दर ६½ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। सौराष्ट्र के सम्बन्ध में ६ प्रतिशत बम्बई के सम्बन्ध ६ प्रतिशत आदि है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सारे देश के लिये एक जैसी दर निर्धारित क्यों नहीं की गयी है ? मुझे आशा ह कि माननीय मंत्री इस बात का उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है कि राज्य वित्त निगम काबुली महाजन के रूप में क्यों कृत्य करना चाहते हैं ? बैंक की दर क्या है? इन दोनों दरों में कितना अन्तर है? ब्याज की इतनी अत्याधिक दर देने के लिये कुटीर तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों को धन कहां से प्राप्त होगा? मैं जानता हूं कि जर्मनी और जापान जैसे देशों में ब्याज की उच्चदर के सम्बन्ध में उपबन्ध ह। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की विचित्र आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए ५½ प्रतिशत ७ से प्रतिशत की दर क्या साम्यपूर्ण समझी जा सकती है ? क्या इन ब्याज दरों के आधार पर हम कुटीर तथा दरम्यान पैमानें के उद्योगों का विकास कर सकते हैं ? यदि ये युक्तियुक्त नहीं है तो सरकार का अनुसहाय्य की इतनी अत्याधिक राशियां देने का क्या प्रयोजन है ? इन महत्वपूर्ण बातों पर हमें विचार करना चाहिये।

अब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं। इसलिये मुझे आशा है कि इन दरों में कमी करने का प्रयत्न किया जायेगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण की कंडिका २ के निबन्धनों के अनुसार छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों का विकास सम्भव नहीं है।

एक और बात के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का विचार जानना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वह पर्यवेक्षण करने के पश्चात हमें जानकारी प्रदान करेंगे। राज्य पुनर्गठन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा जब बम्बई राज्य वित्त निगम की आस्तियों और दायित्वों के विभाजन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था तो हमनें जानकारी मांगी थी और हमनें देखा था कि अब तक जितनी भी राशि ऋण रुप मे दी गयी है उसका अधिकांश भाग बट्टे खाते में डाल दिया गया है या उन्हें अशोध्य ऋण स्वीकार किया गया है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक वास्तव में जितनी राशि ऋण रूप में दी गयी थी उसमें से कितनी राशि को अच्छा विनियोजन माना गया है।

इस सम्बन्ध में जो जानकारी मैं स्वयं एकत्रित कर सका हूं उसके अनुसार आंकड़े इस प्रकार हैं। ११ निगमों के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी है और इसको अनुसार कुल प्राधिकृत पुंजी २३ करोड़ रुपये है, निर्गमित पूंजी लगभग १०·५ करोड़ रुपये है, रक्षित बका का अंश १·४० करोड़ रुपये है, वित्तीय निगमों का अंश लगभग ४० लाख रुपये है और अन्य विनियोजको का अंश लगभग ६० लाख रुपये है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमें यह बतायें कि कितनी रकम का गलत विनियोग हुआ है और उसे अशोध्य ऋण स्वीकार किया गया है।

मेरी जानकारी यह है कि अबतक दी गयी कुल रकम का ५० से ६० प्रतिशत भाग अब वसूल नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य वित्त निगमों की यही स्थिति है तो भविष्य में उनके कृत्यों के सम्बन्ध में वैधानिक उपबन्ध बनानें के लिये इस सभा क्या कर्त्तव्य और दायित्व है ?

मैं इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य वित्त निगमों द्वारा जिस प्रकार आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाती है वह ऐसी है कि उस पर तुरन्त ही ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार, राज्यों को यह अनुदेश दे सकती है कि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये।

[डा लंका सुंदरम्]

मुझे अपने राज्य का कुछ अनुभव है जब कभी भी कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो उस पर कितनी ही शर्तें लगा दी जाती हैं। बीच में कितने ही व्यक्ति आते ह और कितने ही व्यक्तियों को उसका अंकन करना पड़ता है कि चाहे आवेदन पत्र कितने ही सद्भाव से क्यों न दिया गया हों, कुटीर तथा छोटे पैमाने की उद्योगों की सहायता करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

इसलिये माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि भारत सरकार इस विधि को पारित कर केवल परिनियम पुस्तक में ही नहीं रख देगी और राज्य वित्त निगमों को मनमाने ढंग से कार्यवाही करनें कि अनुमति नहीं देगी, दूसरें शब्दों में रक्षि बैंक, भारत सरकार और इस संसद् को इस संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होनी चाहिये कि राज्य वित्त निगम किस प्रकार से कृत्यकारी है, इस सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं वे पर्याप्त नहीं है, और कोई कार्य प्रबन्ध प्राप्य होना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि भारत सरकार का उद्देश्य छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता करना है तो इसे एक ऐसी प्रस्थापना बनाइये जो उनकी क्षमता में हो। काबुली महाजन मत बनिये और वित्त निगमों को ५$\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ७ प्रतिशत तक ब्याज की ऊंची दर न वसूल करने दीजिये। मुझे केवल इतना ही कहना है।

†**श्री व० ब० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जिसका पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिये। इसमें उन आवश्यक बातों का उपबन्ध किया गया है जिनके बिना राज्य वित्त निगम संतोषजनक ढंग से कृत्यकारी नहीं हो सकते थे। हमारे देश में वित्त सम्भरण तथा ऋण सम्भरण के प्रश्न की पूर्णतः अवहेलना की गयी है। अब उद्योगों के लिये वित्त या ऋण का उचित वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध किया गया है।

१९४८ में हमने सबसे पहला कदम उठाया था और औद्योगिक वित्त-निगम की स्थापना की थी। इस के बाद औद्योगिक विकास की सहायता के लिये दो अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थायें, एक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और दूसरी औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम, स्थापित की गयी थीं। इन तीनों संस्थाओं के होते हुए भी अभी भी हमारी आवश्यकतायें पुरी नहीं हुई हैं और अभी भी छोटे तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों को वित्त पोषित किया जाना शेष है। इस अन्तराल को पूरा करना ही राज्य वित्त-निगमों द्वारा इच्छित है।

यह निगम और ऐसी ही वित्तीय संस्थायें समुदाय के संसाधनों का सामूहिक प्रयोग करते हैं। वर्तमान राज्य वित्त निगमों के प्रदत्त संसाधन लगभग १० करोड़ रुपये के हैं। इसमें से ३७·२ करोड़ रुपये प्रार्थित पूंजी के हैं जो अनुसूचित बैंकों और अन्य विनियोजक संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राज्य वित्त निगमों को एक प्रकार से यह एक ऐसी राशि प्राप्ति हुई है जो अन्यथा उद्योग से प्राप्य न होती। यही नहीं बल्कि ये औद्योगिक संस्थाओं को राज्य वित्त निगम बन्ध पत्र, ऋण-पत्र बेच सकते हैं प्रत्यामूर्तियां दे सकते हैं, निर्गमित राशि का अभिगोपन कर सकते हैं। इन सभी गति विधियों से वर्तमान अधिनियम के अधीन वे अपनी प्रदत्त पूंजी से पांच गुना तक सम्पत्ति बढ़ा सकते हैं। यही नहीं वे अपनी प्रदत्त पूंजी अर्थात दस करोड़ रुपये तक सावधि निक्षेप ले सकते हैं। आज इनकी प्रदत्त पूंजी दस करोड़ रुपये हैं और इतनी सी राशि से ही यह सब कुछ हो सकता है। परन्तु उनकी प्राधिकृत पूंजी २५ करोड़ रुपये है और मुझे विश्वास है कि आवश्यकता होने पर प्रदत्त पूंजी इतनी ही नहीं रहेगी बल्कि उसे २५ करोड़ रुपये तक ले जाया जा सकता है। इस प्रकार राज्य वित्त निगमों के १५० करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त संसाधन हो सकते हैं। इसी बात में इन संस्थाओं की शक्ति निहित है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इन्होंने अपने थोड़से से समय में जो कुछ किया है उस के आधार पर कुछ निर्णय करना उचित नहीं होगा। पहला निगम केवल तीन वर्ष पहले स्थापित किया गया था और अन्तिम को स्थापित हुए अभी छः महीने भी नहीं हुए हैं। वित्तीय संस्थाओं की प्रगति एक ही दिन में नहीं होती है, उसमें समय लगता है। यदि इतने थोड़े से समय में उन्होंने अधिक अच्छा कार्य किया होता तो हमें प्रसन्नता होती परन्तु हमें चित्र के दूसरी ओर को भी देखना चाहिये। यदि प्रशासी व्यय पहले अधिक था तो अब उसमें प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है। ऋण तथा अग्रिम राशि के रूप में अब तक दी गयी यदि इन वित्तीय संस्थाओंकी प्राप्य निधियां केवल २७ प्रतिशत है तो ऐसे भी वैयक्तिक उदाहरण हैं जिनमें इन निगमों द्वारा ऋणों के लिये निधियों के ५९·१५ प्रतिशत और ६०·७० प्रतिशत भाग तक उपयोग किया गया है। मेरे विचार में यह प्रगति कम नहीं समझी जा सकती। एक मामले में तो जिन ऋणों के लिये आवेदित किया गया था लगभग ७९ प्रतिशत की मंजूरी दी गयी थी, मेरे विचार में प्रोत्साहन देने से और कुछ रुकावटों को दूर करने से हम जिस प्रकार का विधेयक में प्रस्ताव कर रहें है उससे हम इन निगमों से बहुत कुछ आशा कर सकते हैं।

अब इन निगमों ने उतना अच्छा कार्य क्यों नहीं किया जितना कि इस सभा के सदस्य चाहते थे ? एक ओर तो मूल अधिनियम में कुछ कमियां थी और दूसरी ओर हमारे छोटे पैमाने के और दरम्याने पैमाने के उद्योगों की संरचना में दोष थे। जो संथायें ऋण चाहती हैं उन्हें भी तो यह सिद्ध करना होता है कि वे वास्तव में ऋण दिये जाने योग्य हैं।

अब हम यह देखते हैं कि सभाके समक्ष जो विधेयक है वह इन वित्त निगमों के मार्ग से कहां तक बाधाये दूर करनें का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम खंड २ को लीजिये। इस विधेयक के सभी खंडों का यह प्रयोजन है कि वित्त निगमों के ऋण देने की शक्ति का कार्य क्षेत्र विस्तृत किया जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

केवल खंड २ से ऐसी बहुत सी संस्थाये अब ऋण प्राप्त करने की हकदार होगी जो इस उपबन्ध के न होने से अब तक ऋण प्राप्त नहीं कर सकती थी।

फिर खंड ४ तथा खंड २४ में हम संयुक्त निगमों की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे वह प्रदेश भी लाभ उठा सकेंगे जो अपना अलग से निगम स्थापित नहीं कर सकते थे। अब दो या अधिक प्रदेश मिल कर अपने प्रदशों में औद्योगिक वित्त प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अधिक औद्योगिक संथाओं को इन निगमों द्वारा ऋण दिया जा सकेगा।

इन निगमों को अभिकरण कृत्य भी सौंपे जा रहें हैं। उस से वे उन औद्योगिक संथाओं के निकट सम्पर्क में आयेंगे जो औद्योगिक वित्त निगम जैसी बड़ी संस्थाओं से ऋण लेती रहीं हैं। खंड १२ (ख) में हम एक और अच्छी बात यह कर रहे हैं क्यों कि पहले यह निगम बन्धक पत्र या किसी प्रकार की स्वीकृत आस्तियों के उपप्राधीयन की प्रतिभूति के बिना इन औद्योगिक संथाओं को वित्तीय सहायता नहीं दे सकते थे। हम जानते हैं कि प्रत्येक मामले में विशिष्ट प्रकार की स्वीकृत प्रतिभूति पर जोर देने से छोटे पैमाने के उद्योगों की हम सहायता करने की आशा नहीं कर सकते हैं। इस उपबन्ध से, राज्य सरकार की प्रत्याभूति या किसी अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक की प्रत्याभूति को निगम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार अधिक संख्या में संस्थायें इन निगमों का लाभ उठा सकेगी।

मुझे आशा है कि इन नये उपबन्धों के कारण आज से कुछ वर्ष बाद किसी को इन निगमों के कृत्यों पर कोई आपत्ति न होगी।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक या दो बातें और कहना चाहता हूं। खंड १७ में एक नयी धारा ३२(घ) की व्यवस्था है। इसमें प्रबन्धक अभिकर्ताओं और प्रबन्धक संचालकों अदि की संविदा समाप्त करने के लिये प्रतिकर की चर्चा है। यहां हम उनका किसी प्रकार का प्रतिकर का अधिकार छीन रहे है। सरकार को चाहिये था कि प्रतिकर के प्रश्न पर बिल्कुल भी विचार न करनें की अपेक्षा उसे इस मामले में अपने विवेक का भी उपयोग करना चाहिये। हो सकता कि

[श्री व० ब० गांधी]

समवायों के असफल रहने में प्रबन्धक अभिकर्ताओं और प्रबन्धक संचालकों का कोई दोष न हो। कल्पना कीजिये कि सरकार इन संस्थाओं को अपने अधिकार में ले लेती है और विना किसी प्रतिकर पर विचार किये इन व्यक्तियों को बाहर निकाल देती है तो मेरे विचार में यह बुद्धिमानीं की बात नहीं है। यदि सरकार अपनें विवेक पर कुछ निर्णय छोड़ देती तो समस्या का समाधान हो सकता था।

एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य वित्त निगमों से सहायता पाने वाले इन संथाओं के नियन्त्रकों को पहिले ही पता चल जाता है कि उनकी संथा की स्थिति क्या है यदि उन्हें यह मालूम हो कि उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा तो वे निगम के लिये शेष कुछ नहीं छोड़ेंगे। यदि उन्हें प्रतिकार की आशा हो और यह मालूम हो कि उन के मामले पर विचार किया जायेगा तो सम्भवतः इसका अर्थ यह होता कि हम समस्या का अधिक युक्तिपूर्ण ढंग से समाधान कर रहे हैं।

खंड २१ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। विधेयक के मूल उपबंध में यह मामला केंद्रीय सरकार की प्ररुचि पर छोड गया था और संशोधन में अब रक्षित बैंक को उपक्रमण का अधिकार दिया गया है और ऐसा ही होना भी चाहिये क्योंकि रक्षित बैंक ही शीघ्र यह समझने की स्थिति में होगा कि स्थिति क्या है और उसे ही शीघ्र कार्यवाही करने की स्थिति में रखना भी चाहिये। इसलिये मैं संशोधन का स्वागत करता हूं।

†**श्री म० शि० गुरूपादस्वामी** (मैसूर) : राज्य वित्त निगम अधिनियम १९५१ में पारित किया गया था और इसके लगभग दो वर्ष बाद वित्त निगम अस्तित्व में आये हैं। आज भी कई राज्यों में वित्त निगम नहीं है किन्तु माननीय मंत्री ने इस विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

माननीय मंत्री ने अपनें भाषण में प्रारम्भ में कहा था कि वित्त निगम इस समय बाल्यावस्था में है। मैं उनसे सहमत हूं कि किन्तु क्या वित्त निगमों ने इस अल्प अवधि में अपनें दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से किया है? इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा सही मार्ग प्रदर्शन नहीं किया गया। वित्त निगमों के असफल होने के और भी कारण हैं। उदाहरण के लिये इन निगमों पर चार दायित्वों के निर्वहन का भार सौंपा गया था और वे केवल एक ही दायित्व को पूरा कर सके है। यद्यपि निगम जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिये स्थापित किये जाते है वे बहुत से है, तथापि इन निगमों की गतिविधियां केवल ऋण देने के कार्य तक ही सीमित रही हैं। आप आगे चल कर यह देखेंगे कि इन निगमों ने उचित श्रीगणेश नहीं किया है।

विभिन्न उद्योगों को ऋण किन बातों के आधार पर दिये जाते हैं, हम यह जानना चाहते हैं। ऋण निम्न बातों के आधार पर दिये जाते हैं : (क) व्यापार संस्था की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और उसके उत्पादन और लाभ के बढ़ने की संभावानायें; (ख) योजना की प्रविधिक उपयुक्तता; (ग) मूर्त आस्तियों के रूप में पर्याप्त प्रतिभूतियां; (घ) मांगा गया ऋण पर्याप्त है या नहीं; (ड़) रहन रखी जाने वाली सम्पत्ति का सन्तोषजनक स्वामित्व; (च) कार्य करने वाले व्यापार समवाय संस्था की साख और प्रबन्ध अभिकर्ताओं की उपलब्ध प्रत्याभूति; और (छ) राज्य की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये उद्योग का महत्व।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यदि आप इन शर्तों को देखे तो आप देखते ही यह समझ जायेंगे कि यह शर्तें अतिछादी हैं और ऋण के सौदों में एक प्रकार से विलम्ब का कारण है। किसी औद्योगिक समवाय की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के बारे यदि आप आश्वस्त हैं, तो उसकी साख का प्रश्न वहां उत्पन्न होता है? यह शर्तें न केवल अतिछादी ही हैं किन्तु ऋण प्राप्ति के मार्ग में बाधायें भी उत्पन्न करती हैं।

अन्तिम शर्त वास्तव में विचित्र है। निगम को इस बात पर विचार करना चाहिये कि कोई उद्योग राष्ट्रीय महत्व का है अथवा नहीं। इस आधार पर कोई विशिष्ट उद्योग राष्ट्रीय महत्व का नहीं है उसके आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया ने आवेदन पत्रों पर इतनें निर्बन्ध लगाये हैं कि वे ऋण प्राप्प करने की सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। माननीय सदस्यों नें विभन्न बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया ह किन्तु मेरा ख्याल है कि निगम द्वारा जिस धीमी रफ्तार से काम किया जाता है वह सबसे बुनियादी बात है।

एक और बात महत्वपूर्ण है। न तो केन्द्र सरकार और न तो किसी राज्य सरकार ने छोटे पैमानें के उद्योग की ठीक-ठीक परिभाषा की है। केवल बम्बई राज्य ने मोटे तौर पर उसकी परिभाषा की है। यह विधेयक ऐसे उद्योगों के बारे में है किन्तु छोटे पैमाने के अथवा दर्मियाने दर्जे के उद्योग कौन से हैं यह आप नहीं जानते। इन बातों की उचित परिभाषा के अभाव में निगमों के क्षेत्राधिकारका ज्ञान नहीं हो सकता है।

एक माननीय सदस्य ने ब्याज की ऊंची दर के बारे में कहा है और मैं उनसे सहमत हूं। बैंकों द्वारा ऋणों पर ३–४ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है और राष्ट्रीय ऋणों पर भी चार प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में गैर-सरकारी उद्योगों को दिये गये ऋणों पर इतनी ऊंची दर से ब्याज क्यों लिया जाता है?

ऋण देने में पक्षपात किया जाता है तथा राजनीतिक पहुलूओं को देखते हुए ऋण दिये जाते हैं। इस वित्तीय दायित्व का यह राजनीतिक शोषण है और यही कारण है कि यह निगम असफल हुए हैं।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि प्रशासनीय व्यय, आय तथा प्रदत्त पूंजी की तुलना में बहुत अधिक है। विभिन्न राज्यों में इस व्यय के अनुपातों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निगम अपना अर्थ प्रबन्ध करने अथवा अपनी प्रशासनीय आवश्यकताओंकी पूर्ति के लिये ही स्थापित किये गये हैं। श्री बंसल ने दे कर अन्य देशों के आंकड़े यह बताया है कि वहां प्रशासनीय व्यय अल्प होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य वित्त-निगमों के लिये इतनें अधिक व्यय को क्यों मंजूर किया जाता है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जहां तक इन वित्त संस्थाओं का सम्बन्ध है, केन्द्र और राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मेरा ख्याल है कि यदि केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने कार्यवाही की होती तो अधिक अच्छा समन्वय और कार्य हुआ होता।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता-उत्तर–पश्चिम): श्रीमान, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बहुत से राज्यों की सहमति से संयुक्त राज्य वित्त-निगमों की स्थापना करना है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[म० कु० मैत्र]

श्री व० बा० गांधी नें अपने भाषण में कहा है की ऐसे निगमों का प्रयोजन देश की सम्पत्ति को काम में लाना है किन्तु इन निगमों की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जायेगा कि इस सम्पत्ति से छोटे पैमाने के और दरम्यानें दर्जे के उद्योगों का विकास करने में किस हद तक सहायता की गयी है ।

यदि इन निगमों के कार्यकरण की अद्यतन समीक्षा की जाये तो उससे निराशा ही होती है । प्रत्येक व्यापार संस्था द्वारा ऋण की जिन राशियों के लिये आवेदन पत्र दिये गये हैं , उनका कुल मूल्य तो कम है ही किन्तु मांगें गये ऋणों और प्रदत्त ऋणों में काफी अन्तर है : प्रत्येक राज्य की यही स्थिति है और वर्ष १९५५-५६ में जो स्थिति है वह भी आशाजनक नहीं है । इस अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर किये गये ऋणों का प्रयोजन दरम्याने और छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देना है । किन्तु पश्चिम बंगाल में ऐसे कई उद्योगों को ऋण दिये गये हैं जो दरम्यानें उद्योग नहीं कहे जा सकते ।

ऋण के लिये दिये गये आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण संतोषजनक प्रतिभूतियां का न देना है । छोटे पमान के और दरम्यान उद्योगों के पास अपनी ज़मीन या इमारत नहीं होती और ऋण देनें से पहले निगम इसी प्रकार की प्रतिभूतियां मांगते है ।

पिछले पांच वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों को, जिनमें सदा कम पूंजी लगी होती है, दरम्याने उद्योगों की अपेक्षा कम ऋण प्राप्त हुए हैं । छोटे उद्योगों को सहायता इसलिये नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन निगमों के विधानों में त्रुटियां हैं । प्रतिभूतियों में स्टाक नहीं केवल ठोस अस्तियां शामिल है । श्री व० बा० गांधी ने अभी इस बात का उल्लेख किया है कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि ऋण प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों की ओर से सरकार या कोई अन्य संथायें प्रत्याभूति दें तो ऋण मंजूर किये जायेगें । किन्तु मेरा ख्याल है कि ऋण देने के मामले में यह राजनीतिक दबाव डालने का एक तरीका है ।

छोटे और दरम्याने उद्योगों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य वित्त निगम अब तक असफल ही रहे हैं । ये दोनों उद्योग और विशेषकर छोटे पैमानें उद्योग, ब्याज को ऊंची दर के कारण दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते । डा० लंका सुन्दरम् तथा उनसे पहलें बोलनें वाले वक्ता ने ब्याज की ऊंची दर की कड़ी आलोचना की है । ब्याज की दर इतनी ऊंची है तो सहायता देने के अर्थ क्या हुए? इंग्लैंड के उद्योग और वित्त निगम ऋण देने से पहले उद्योग की साख के बारे में पूछ-ताछ नहीं करते बल्कि वे यह देखते है कि उद्योग सहायता देने योग्य है या नहीं । इंग्लैंड में ही नहीं वरन इंडोनेशिया जसे छोटे देश में भी छोटे उद्योगों के लिये जो नियम निर्धारित किये गये हैं वे सुविधाजनक हैं ।

विधेयक में निरीक्षण का उपबन्ध किया गया है । मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि निरीक्षण का उपबन्ध मौजूद है किन्तु उसमें यह कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार निदेश दे तो रिजर्व बैंक किसी भी वित्त निगम का निरीक्षण कर सकेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि जब वित्त निगमों के बारे में इतनी शिकायते हैं, तो रिजर्व बैंक को ईनका निरीक्षण करनें का अधिकार क्यों नहीं दिया गया । मैं तो यहां तक कहूंगा कि न केवल रिजर्व बैंक अपितु नियत्रंक महालेखा परीक्षक द्वारा भी निरीक्षण किया जाये ।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात की व्यवस्था करे कि ये निगम ठीक ढंग से कार्य करें और इस तरह कार्य करें कि छोटे पैमाने के और दरम्यानें उद्योगो के वास्तव में सहायता प्राप्त हो सके ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों के बजाय वित्त निगमों के कार्यकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। यह एक ऐसा अवसर है जब कि संसद् द्वारा पारित परिनियम के अधीन गठित निगमों के कायकरण की समीक्षा संसद् कर सकती है। इसलिये मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं ।

अपने प्रारम्भिक भाषण में मैंने यह स्वीकार किया है, कि इन निगमों के पिछले दो तीन वर्षों के कार्यकरण से सरकार संतुष्ट नहीं थी और इसीलिये रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया ने इस मामले के बारे में सब वित्त निगमों के प्रतिनिधियों से एक प्रकार की चर्चा आरम्भ की। चर्चा के दौरान में जो सिफारिशें की गयी थी उनके आधार पर हमने अधिनियम में संशोधन करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है ।

प्रारम्भिक भाषण में मैंने यह बताया था कि राज्य निगम अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरह से इसलिये नहीं कर सके कि अधिनियम के उपबन्ध कुछ हद तक कड़े हैं और ऋण लेने वाले औद्योगिक समवायों का ढांचा ही ऐसा है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम श्री बंसल तो छोटे पैमाने के और दरम्यानें उद्योगों की स्थिति जानते होंगे; यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसे उद्योग संगठित हैं ऋण प्राप्ति के लिये आवश्यक प्रतिभूति या प्रत्याभूति प्राप्त करना उनके लिये सदा संभव नहीं होता है और मैं आशा करता हूं कि श्री बंसल यह सुझाव नहीं देंगे कि राज्य वित्त निगम बिना किसी प्रतिभूति के ऋण दे दें क्योंकि इसमें समस्त राशि गंवा देनें का खतरा रहता है। आलोचनायें दो विपरीत दिशाओं से हुई हैं : एक तो यह कि राज्य वित्त निगमों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है और लाभांश देनें का जो संविहित दायित्व है उसे सम्बन्धित राज्य सरकारों से ठोस सहायता से ही पूरा किया जा सकता है साथही, विशेषकर डा० लंका सुन्दरम् ने यह आलोचना की है कि इस ऋणों में से अधिकांश की राशि वसूल न की जा सकेगी। मेरा ख्याल है कि सोच विचार कर खतरा उठाकर और इस बात की ओर उचित ध्यान दे कर कि जितना धन ऋण के रूप में दिया जाये उसका पर्याप्त हिस्सा ब्याज के रूप में वापिस आता रहे, ताकि लाभांश देने का संविहित दायित्व राज्य सरकारों द्वारा नहीं वरना इन निगमों की आय से पूरा किया जा सके, हम एक प्रकार का मध्यम माग ही अपना सकते हैं। यदि निगमों को कुछ लाभ प्राप्त करना ही है तो यह स्वाभाविक है कि वे इस बात की व्यवस्था करेंगें कि जो विनियोग किया जाता है उसके सम्बन्ध मे मूलधन और ब्याज के भी भुगतान की कुछ प्रतिभूति हो। मैं आशा करता कि सदन इस पहलू को समझेगा कि बैंक चलाने वाले व्यक्ति के समान विनियोग के लिये लगभग शतप्रतिशत प्रतिभूति लेना या ऋण के लिये आवेदन पत्र देने वाले किसी भी संथा को बिना सोंचे समझे ऋण देना ये दोनों बातें निगम नहीं कर सकते। उन्हें सोच विचार कर खतरा उठानें और साथ ही कुछ आय भी प्राप्त करने की व्यवस्था करनें के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना होता है।

कुछ दिन पहले और आज भी सदस्यों ने यह बात उठाई कि वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जाये अथवा उनका संभरण किया जाये। यदि माननीय सदस्य अधिनियम के खंड ३८ को देखें तो उन्हें विदित हो जायेगा कि राज्य निगमों को रिजर्व बैंक और उनके राज्य के विधान मंडलों को भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। वार्षिक प्रतिवेदन संम्बन्धित राज्य के सूचना पत्र में प्रकाशित किया जाता है और सभी राज्यों के सूचना पत्र संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इसलिये पारिभाषिक दृष्टि से मैं यह कह सकता हूं कि प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे गये हैं। किन्तु मैं ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहता। मैं यह जानता हूं कि विभिन्न राज्यों के दो तीन वर्षों के सूचनापत्रों में से प्रतिवेदनों को ढूंढना माननीय सदस्यों के लिये संभव नहीं होगा। भविष्य में इन प्रतिवेदनों को संसद् पुस्तकालय में रखने की व्यवस्था मैं करूंगा। साथ ही, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सदन द्वारा पारित अधिनियम में निगमों द्वारा सम्बन्धित राज्य विधान मंडलों को,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० चं० गुह]

न कि संसद् को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का उपबन्ध किया गया है। संसद् न यही उपबन्ध किया है। इसलिये यदि कोई भूल हो गयी हो तो उसके लिये मेरे जैसे तुच्छ मंत्री को सजा न दी जाये। किन्तु मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि भविष्य में यह प्रतिवेदन पुस्तकालय में उपलब्ध हों।

श्री बंसल और डा० लंका सुन्दरम् ने व्यय अनुपात का उल्लेख किया है। श्री बंसल ने उसका हिसाब विनियोग के आधार पर लगाने का प्रयत्न किया है। यदि इन निगमों के कार्य को देखा जाये तो उक्त दृष्टिकोण लिया जा सकता है। किन्तु मेरा ख्याल है कि वाणिज्यिक लेखे के दृष्टिकोण से अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए व्यय अनुपात पर विचार करना अधिक उचित होगा। माननीय सदस्य प्रतिवेदन के पृष्ठ १४ को पढ़ें। निश्चय ही पहले एक दो वर्षों तक काफी लाभ होने की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि धन का विनियोग प्रारम्भ ही हुआ होगा और कोई ब्याज एकत्रित नहीं किया जा सकता। तीसरे या चौथे वर्ष के बाद ही हम कुछ लाभ की आशा कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में प्रशासन व्यय का अनुपात काफी कम होता जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं: पंजाब-पहले वर्ष के लिये ६२ प्रतिशत, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिये क्रमशः ३७ और ३१ प्रतिशत; सौराष्ट्र–४० प्रतिशत, १७ प्रतिशत और १६ प्रतिशत; बम्बई–६३ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत और २३ प्रतिशत। पश्चिम-बंगाल के मामले में भी, जिसमें श्री बसु को अत्यधिक दिलचस्पी है, पहले वर्ष के लिये व्यय अनुपात ४६ प्रतिशत और दूसरे वर्ष के लिये २८ प्रतिशत था। इस प्रकार यह देखा जायेगा कि व्यय अनुपात प्रतिवर्ष काफी कम होता जा रहा है।

विधेयक के खंड १२ का उल्लेख करते हुए, डा० लंका सुन्दरम् ने यह कहा है कि कुटीर उद्योगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बारे में उन्हें कोई सन्देह नहीं था। यह उपबन्ध विधेयक में तो नहीं किन्तु उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में किया गया है कि इन निगमों से छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग भी ऋण ले सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने ब्याज की प्रचलित दर का उल्लेख किया है जो ६ से ७ प्रतिशत तक है। इसको उन्होंने काबुली दर कहा है। यदि उन्होंने बैंक की दरों अथवा उन दरों का उल्लेख किया होता जिन पर व्यापारिक बैंकों से संगठित उद्योगों को ऋण दिया जाता है तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग न किया होता। कृषि ऋण के बारे में सूद की जो दर प्रचलित है वह मैं सभा को बताना चाहता हूं। रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को १$\frac{1}{2}$ प्रतिशत सूद की दर से ऋण देता है। सहकारी बैंकों के लिये यह सम्भव नहीं हो सका है कि वे किसानों को ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत से कम सूद की दर पर ऋण दें सकें। हमनें अनेक परिपत्र और अनुस्मारक भेजे हैं फिर भी अनेक स्थानों पर प्रचलित दर १० प्रतिशत है। इस पर किसान ऋण और सूद दोनों चुकाते हैं।

निगमों के बारे में डा० लंका सुन्दरम् ने कहा है कि पचास या साठ प्रतिशत ऋण बट्टे खाते लिख दिये जायेंगे। मुझे यह पता नहीं कि उन्हें ऐसी अद्भुत जानकारी कहां से प्राप्त हुई है। जहांतक हमें सूचना मिली है, कभी ऐसा मामला नहीं हुआ है कि मूल या सूद को न चुकाया गया हो। अतः ऐसे कथन में कोई सचाई नहीं। बल्कि मै तो कहता हूं कि अधिकांश रुपया सूद सहित निगमों को वापस मिल जाता है।

श्री व० बा० गांधी ने नई धारा ३२ ख, जिसका खंड १७ में उपबन्ध है, जिक्र किया था। उन्होंने उसके उन शब्दों पर आपत्ति की है जिनके अनुसार जो भी औद्योगिक संस्था राज्य वित्तीय निगम द्वारा अपने हाथ में ली जायेगी उसके भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा पहले किये गये करार स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ कुछ सख्ती हो सकती है जिन्होंने कुछ गैर-जिम्मेवारी के साथ काम किया हो। इस खंड में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा ३० ख खंड (ख) को ज्यों का त्यों रखा गया है। उस अधिनियम में

भी यह संशोधन एक वर्ष पहले किया गया है। किन्तु इस उपबन्ध से ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ताओं को किसी दुविधा में नहीं डाला जाता बल्कि सरकार उनकी जिम्मेवारी ो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती इसके अतिरिक्त सरकार उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं को भी अपने नये प्रबन्ध में ले सकती है जिन्होंने पहले अच्छा काम किया हो किन्तु पिछली संस्थाओं की असफलताओं के जो शिकार बन गये हों। इस प्रकार के भविष्य के प्रबन्ध पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि औद्योगिक संस्थाओं का काम राज्य वित्तीय निगम के हाथ में आने पर भूतपूर्व प्रबन्धकों के करार समाप्त हो जायें।

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने ऋण चुकाने की क्षमता के बारे में कहा है कि इस को आधार न माना जाये। जब तक निगम स्वयं अपने विनियोग में दिलचस्पी न लें तब तक उन के विनियोग में गड़बड़ हो सकती है। उन की ऋण चुकाने की क्षमता जानना आवश्यक है। उन्होंने उस रिपोर्ट के पृष्ठ १९ पर दी गई सात शर्तों का जिक्र किया है जिसकी प्रतियां सदस्यों में बांटी गई थी और जो पुस्तकालय में रखी गई है। किन्तु वे संविहित उपबन्ध नहीं है वे केवल व्यवहार अथवा रूढ़ि पर आधारित हैं अतः जब इन निगमों के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा उनका प्रबन्ध बदला जायेगा तो ये शर्तें भी बदलेंगी। अतः रिजर्व बैंक इन सब बातों पर ध्यान देगा।

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने यह भी कहा है कि कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अतः निगम उनकी किस प्रकार सहायता करेंगे ? यह ठीक कि विधेयक में उनका कोई उल्लेख नहीं है। निगमों को उन्हें ऋण देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। वे इन उद्योगों को १० लाख रुपये से अधिक ऋण नहीं देंगे और केवल १०,००० रुपये तक ही दे सकते हैं। किन्तु इस विषय में मैं श्री म० शि० गुरुपादस्वामी का ध्यान योजना आयोग के के पृष्ठ ४५० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर छोटे और मध्यम उद्योगों के बारे में बताया गया है। मैं उन पंक्तियों को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। राज्य वित्तीय निगम उसी परिभाषा के अनुसार काम करेंगे। वहां पर दी गई परिभाषा चाहे ठीक न हो फिर भी उसे आधार माना जा सकता है।

श्री म० कु० मैत्र ने बंगाल के कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग आदि को मध्यम उद्योग कहा है किन्तु वे छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं और उनमें से बर्तन आदि के उद्योग तो कुटीर उद्योग हैं। उन्हें कुछ हजार रुपयों के ऋण दिये गये हैं और जहां तक कपड़ा मिलों का संबंध है, उन में से अधिकांश तो कातने की मिलें हैं और उनमें केवल कुछ लाख रुपये लगाये गये हैं।

†**श्री म० कु० मैत्र** : मैंने तो केवल उनके बारे में कहा था जिन की अंश पूंजी २० लाख रुपये से अधिक है।

†**श्री अ० चं० गुह** : कुछ कपड़ा मिलें शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये उनके क्षेत्रों में खोली जायेंगी और कुछ अन्य क्षेत्रों में किन्तु वे बुनने की नहीं बल्कि कातने की मिलें होंगी। इसके अतिरिक्त कुछ पुरानी कपड़ा मिलों का भी कुछ विस्तार किया गया है, वह भी कातने के लिये हैं। उन्होंने दो-दो तीन-तीन लाख रुपये के ऋण लिये हैं। वे मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं।

अब मैं सूद में समानता के प्रश्न को लेता हूं। सूद की दर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रहती है। उद्योग के अनुसार भी वह भिन्न होती है। हम चाहते हैं कि इन निगमों का कार्यकरण एकरूप हो। इसलिये इन निगमों के निरीक्षण का काम हम रिजर्व बैंक को सौंपना चाहते हैं। यह कार्य नियमित रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा और इस के लिये ये निगम भी सहमत हो गये हैं। यह काम रिजर्व बैंक कर भी रहा है। फिर भी हमने यह उचित समझा कि इस के लिये विधेयक में उपबन्ध किया जाये और इसलिये हम ने यह उपबन्ध किया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से १६

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक खंड २ से १६ तक का संबंध है, इन के बारे में कोई संशोधन नहीं है । उसके बाद, खंड १७ से २० तक ली जा सकती हैं ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : मुझे सामान्य चर्चा के समय बोलने का अवसर नहीं मिला अतः मैं इस समय कुछ शब्द कहना चाहता हूं । इस विधेयक में परिभाषा का क्षेत्र बढ़ा कर निगमों के कार्यों को विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है । किन्तु मुझे पता नहीं कि अब तक के उपबन्धों से उन के विकास में क्या बाधा पड़ी है । निगमों द्वारा जिस ५ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी उस में केवल ५० प्रतिशत रकम का उपयोग किया गया है ।

बिहार में ९० प्रतिशत रकम को सरकारी प्रत्याभूतियों में लगाया गया है, बंगाल में ५३ प्रतिशत और सौराष्ट्र में ६७ प्रतिशत रकम को । बंगाल में उद्योगों को केवल २२ प्रतिशत रकम दी गई ह, और ४० प्रतिशत बैंकों को दी गई । इस का परिणाम यह होता है कि उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं के लिये रुपया नहीं मिल पाता और अधिकांश धन बैंकों में जमा कर दिया जाता है । अतः यदि वर्तमान नियमों में कोई संशोधन ही करना है तो उस के साथ यह उपबन्ध भी किया जाना चाहिये कि उद्योगों को रुपया उपलब्ध हो सके । उदाहरण के लिये पंजाब में कपड़े सीने की मशीनें और साइकिल के उद्योगों को रुपये की जरूरत रहती है और उन्हें रुपया दिया जाना चाहिये ।

वित्तीय संस्थाओं के कार्य के विकास के लिये जो उपबन्ध किये जा रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं । मैं तो यही चाहता हूं कि रुपया बैंकों में जमा करने के बजाय उद्योगों में लगाया जाये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी उद्योगों को ४० करोड़ रुपये का ऋण देने का उपबन्ध किया गया है । अतः वित्तीय संस्थाओं का विकास किया जाना सर्वथा उचित है ।

मैं इस उपबन्ध का भी स्वागत करता हूं जिसके अनुसार संयुक्त वित्तीय निगम बनना संभव हो सकेगा । छोटे-छोटे राज्यों को धनाभाव से कठिनाई होती है । अतः वह कठिनाई दूर हो सकेगी ।

विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाने पर ऐसे मामलों में आस्तियां न होने पर भी ऋण दिया जा सकता है । किन्तु मुझे सूद की दर के बारे में चिन्ता है । मैं तो समझता हूं कि दरों में समानता हो सकती है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार में समस्त भारत में वाणिज्यिक बैंक समान दरें नहीं लेते । और न ही एक राज्य में सब लोगों को एक ही दर पर ऋण दिया जाता है ।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरा आशय यह है कि राज्य वित्तीय निगमों की दर बैंक की दर से दो तीन प्रतिशत अधिक हो सकती है । उदाहरण के लिये लोहे का जो कारखाना ब्रिटेन के सहयोग के साथ खोला जा रहा है उस के लिये बैंक की दर से कुछ अधिक दर पर रुपया दिया जा रहा है । किन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मध्यम और छोटे उद्योगों को यदि अधिक दर पर ऋण दिया गया तो यह उन के हित में न होगा और उनका विकास नहीं हो पायेगा, क्योंकि राज्य सरकारें अथवा सहकारी बैंक भी अपनी ओर से सूद की दर लगाते हैं और इस प्रकार लोगों को सात आठ प्रतिशत सूद की दर पर रुपया मिल पायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अत: मैं अनुरोध करूंगा कि ब्याज की दर इतनी कम की जानी चाहिये कि इन छोटे समवायों को पांच प्रतिशत से अधिक ब्याज न देना पड़े। आशा है कि इन समवायों को साथ चर्चा कर माननीय मंत्री ब्याज की एक दर कायम करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इन खंडों के उपबन्धों का स्वागत करता हूं, किन्तु आशा है कि मंत्री महोदय शीघ्र ही और आगे संशोधन करने वाले उपबन्ध सामने रखेंगे ताकि १९५१ में पारित अधिनियम का वास्तविक प्रयोजन पूरा हो। छोटे पैमाने और मध्यम पैमाने के उद्योगों को इस अधिनियम के उपबन्धों से वास्तव में लाभ हो और राज्य वित्तीय-निगम की बहुत अधिक आस्तियां बकों में या सरकारी प्रत्याभूतियों में विनियोजित न पड़ी रहें।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला–शिमला) : इस विधेयक के मुख्य सिद्धांतों का समर्थन करते हुए मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राज्य वित्तीय निगमों के कार्यों के प्रतिवेदन में कुछ और अधिक विस्तार किये गये होते, खास कर वे जिनका उन ऋणों के अनुपात पर प्रभाव पड़ता है जो वसूल नहीं किये जा सके।

श्री म० कु० मैत्र और श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने कुछ आलोचना की थी। मैं उनके दोनों वक्ताओं से सहमत नहीं हूं। श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने उन सामान्य कसौटियों की कड़ी आलोचना की ह जिन के आधार पर निगम वित्तीय मंजूर करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन संरक्षणों से सुरक्षित विनियोजन को प्रोत्साहन मिलने के बजाय उस पर निर्बन्धन लगाया गया है। दर्मियाने या छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता देने से पहले किसी समवाय की वित्तीय स्थिति या संतोषजनक और पर्याप्त प्रतिभूति देने की उसकी क्षमता पर निगम द्वारा विचार करना कैसे अनुचित है, यह समझना कठिन ह।

दूसरे माननीय सदस्य ने इस बात पर आपत्ति की है कि उनेक आवेदन पत्रों पर वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की गई। मैं कहता हूं कि यह वित्तीय सहायता उसी को दी जानी चाहिये जो योग्य हो। इसलिये यह अत्यन्ताआवश्यक है कि अधिक ध्यान और सावधानी बरती जाय ताकि छोटे पैमाने के उद्योगों को उन्नति और विकास के लिये दी गयी राशियां उचित रूप से काम में लायी जायें।

मैं चाहता हूं कि हमें आज वह सामग्री मिलती जिससे हम समझ पाते कि ऋण किस हद तक वसूल नहीं किये जा सके। अर्थ सहायता के संबंध में मेरी एक गंभीर आपत्ति है। यदि तीन प्रतिशत लाभांश देने का उद्देश्य हो तो उसका स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि इन संथाओं से इतना ही लाभांश मिलने की संभावना है। वास्तव में यह बड़े दु:ख की बात है कि करोड़ों रुपया ऋण के लिये उपलब्ध होने पर भी १५,००० रुपये से अधिक शुद्ध लाभ न मिल सका।

आगे दूसरी आलोचना यह है कि जहां तक राशियों के उपयोग का संबंध है, वह बैंकों में निक्षेप और ऋण द्वारा किया गया है, न कि निगमों का वास्तविक उद्देश्य पूरा करने के लिये किया गया है। इसका अर्थ है की विधेयक का आशय पूरा नहीं किया गया है।

फिर बहुत ऊंचे व्यय अनुपात के संबंध में कुछ आलोचना का गयी है। मैं समझता हूं कि इस व्यय अनुपात की ओर बहुत सावधानी से ध्यान दिया जाना चाहिये। वास्तव में जो सावधानी आवश्यक है वह खंड २१ से शायद ही पूरी होती है। वित्तीय निगमों के कार्यकरण के लिये आवश्यक छानबीन के बजाय वह उन समवायों के कार्यकरण की छानबीन है जिन्हें ऋण दिये जा रहे हैं। मेरे विचार से वह मरणोपरान्त परीक्षण होगा अर्थात् धन खर्च करने के बाद, चाहें वह किसी भी प्रकार हो, छानबीन की जायेगी, किन्तु बरबादी रोकने की दृष्टि से वह उपयोगी न होगी। यह अधिक अच्छा होता कि जब ऋण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हो तभी आवेदक की क्षमता का उचित और सावधानी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टेक चन्द]

पूर्ण परीक्षण किया जाये और समय समय पर उसके मामलों को जांचा जाये, निरीक्षण किया जाये ताकि रुपया बरबाद न हो। यदि फिजूल खर्ची या अपव्यय करने की कोई प्रवृत्ति हो तो वह तुरन्त रोकी जानी चाहिये। विषयों का पुनर्विलोकन करने के लिये इस प्रकार का निरीक्षण बहुत अच्छा होगा किन्तु वह समय पर होना चाहिये। उसके लिये एक योजना बनाना और व्यवस्था स्थापित करना अधिक वांछनीय होगा जिससे ऋण का उप ोग या आवेदन पत्रों का समय समय पर परीक्षण और उनकी छानबीन की जा सके।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री के भाषण या इस पुनर्विलोकन से हमें यह मालूम होता कि कितना ऋण वसूल नहीं किया जा सका। यदि डा० लंका सुन्दरम का यह कथन सत्य है कि ५० से ६० प्रतिशत तक ऋण वसूल नहीं किया जा सका, तो वह बड़ी भयंकर स्थिति होगी।

आगे यह भी एक आलोचना की गई है कि राजनैतिक पक्षपात से ऋण दिये गये हैं। उसके समर्थन में कोई तथ्य न देते हुए, इस प्रकार की बात कहना बड़े दुख की बात है। इस प्रकार के आरोप का प्रमाणों द्वारा समर्थन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, और न ही उसके समर्थन के लिये कोई सामग्री उपस्थित है।

†**श्री अ० चं० गुह** : मुझे केवल दो तीन बातें कहनी हैं। इन सब बातों का पहले भी उल्लेख हो चुका है।

राजनीतिक पक्षपात के आरोप की ओर श्री टेक चन्द ने ध्यान दिलाया है और इसलिये मैं वास्तव में उनका आभारी हूं। एक ओर यह कहा गया ह कि इन वित्तीय निगमों ने कोई भी ऋण नहीं दिया है और दूसरी ओर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। मेरे विचार से यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता। वित्तीय संस्थाओं पर इस प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं।

यदि मैं यह बता दूं कि कुल ५·४८ करोड़ रुपये तक के ऋण और ३३५ आवेदन पत्र मंजूर किये गये हैं तो उससे माननीय सदस्यों को कल्पना मिल सकती है कि इन निगमों ने कितना ऋण मंजूर किया है। अतः वह औसतन प्रति आवेदन पत्र पर १।। लाख रुपये से कुछ अधिक ही निकलता है। इससे यह स्पष्ट होगा कि यह निगम अधिकतर मध्यम और छोटे पमाने के उद्योगों को धन देते रहे हैं।

वसूल न हुए ऋणों की धन राशि के संबंध में, श्री टेक चन्द इस बात से सहमत मालूम होते हैं कि कुछ ऋण वसूल नहीं किया गया है। यह अभी समय से बहुत पहले है। किन्तु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि डा० लंकासुन्दरम का आरोप बिलकुल निराधार है। मैंने पहले भी यह कहा है कि अभी तक ऐसे कई मामले नहीं आये जिनमें ऋण चुकता न किया गया हो। मैं समझता हूं कि समवाय अधिकतर अपना मूल धन और ब्याज चुकाते रहे हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या कारण है कि मंजूर की गयी धन राशि में से ५० प्रतिशत ऋण नहीं लिया गया है?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि श्री म० स० गुरुपादस्वामी ने पृष्ठ १९ की कठोर शर्तों का उल्लेख किया था। उसमें कुछ तथ्य शायद हो किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं कि ऋण चुकाने की क्षमता पर विचार नहीं करना चाहिये। जो भी हो, ये निगम अधिक ऋण नहीं दे सके। यही कारण है कि समवाय मंजूर किये गये ऋण नहीं ले सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० कु० बसु** : मेरा प्रश्न यह था कि मंजूर किये गये ऋणों के मामले में भी ५० प्रतिशत नहीं लिया गया है।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि श्री क० कु० बसु को स्मरण होगा कि औद्योगिक वित्त निगम के मामले में इसी तरह की बातें हुई थीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से १६ तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से १६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १७ (नयी धाराएं ३२ क, ख रखना आदि)

†**श्री क० कु० बसु** : मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं। खंड १७ में यह कहा गया है कि जब राज्य वित्तीय निगम किसी समवाय का प्रबन्ध अपने हाथ में लेता है, तब वह उस समवाय को चलाने के लिये प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। मैं चाहता हूं कि यह उपबन्ध निकाल दिया जाये। उसका कारण यह है कि जब राज्य वित्तीय निगम किसी विशिष्ट औद्योगिक उपक्रम को अपने अधिकार में ले लेता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि उस उपक्रम का प्रबन्ध उचित प्रकार से नहीं चलाया गया है। यदि वह उपक्रम उसे दिये गये ऋण को उचित रूप से उपयोग न करता हो या अपनी आस्तियों का अपव्यय करता हो, तो सरकार को उसे अपने हाथ में लेना ही पड़ता है। मैं एक यह शर्त लगाना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा हस्तगत किये गये समवायों को चलाने के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं किये जायेंगे। हम अपने अनुभव से तथा औद्योगिक वित्त निगम संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन से जानते हैं कि सोदेपुर ग्लास वर्क्स तथा अन्य उपक्रमों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने किस प्रकार व्यवहार किया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों में प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त न किये जायें। फिर समवाय अधिनियम का यह उद्देश्य है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के रूप में औद्योगिक प्रबन्ध समाप्त कर दिया जायें। इसलिये जब सरकार कुछ समवायों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रही है, तो वह प्रबन्ध अभिकर्ताओं को प्रबन्ध वापस न दे दे। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार मेरा वह संशोधन स्वीकार करेगी जिससे सरकार द्वारा हस्तगत किसी विशिष्ट समवाय के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने की सरकार की शक्ति पर निर्बन्धन लगाया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ४ है। जो धारा ३२ घ जोड़ी जा रही है, उसके उपखंड (२) के बारे में वह संशोधन है। प्रथम भाग में कहा गया ह कि संविदा समाप्त होने पर प्रतिकर का कोई अधिकार न होगा। किन्तु खंड (२) के अनुसार कोई प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्ध संचालक या प्रबन्धक को प्रतिकर के अतिरिक्त अन्य प्रकार से वसूल करने योग्य धन प्राप्त करने का अधिकार वैसा ही बना रहेगा। यहां एक परन्तुक मैं जोड़ना चाहता हूं : "परन्तु उपर्युक्त ऐसे व्यक्तियों को देय सभी धन उन्हें नहीं दिया जायगा या उन्हें देय न होगा जब तक वह जांच समाप्त न हो जाये, जो लंबित हो या जिसे ऐसे व्यक्तियों के कुकार्यों या कुप्रबंध के लिये करने का निश्चय किया गया हो।"

प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने ऋण के तौर पर जो कुछ दिया हो या जो कुछ विनियोजित किया हो, उसे वापस लेने के उनके वैध अधिकार के विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं उस अधिकार पर निर्बन्धन लगाना चाहता हूं। उनके दुर्व्यवहार के संबंध में यदि कोई जांच करने का आदेश हो, तो वह धन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक वह जांच पूरी न हो जाये। अन्यथा उनसे कोई धन वसूल करना असंभव हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अपने संशोधन २ के वास्तविक अर्थ को समझे बिना ही यह सशोधन रखा है। यदि उसे स्वीकार किया जाये, तो उसका अर्थ यह होगा कि औद्योगिक संस्था के साथ प्रबन्ध अभिकर्ता का संविदा उस समय भी जारी रहेगा जब कि राज्य निगम ने समवाय को हस्तगत कर लिया हो। आशा है कि उनका आशय इस प्रकार का नहीं था। मैं सम ता हूं कि वह अपने संशोधन की निस्सरता समझ गये होंगे।

पहल संशोधन के विषय में मुझे खेद है कि हम उसे स्वीकार न कर सकेंगे क्योंकि अभी हाल में पारित भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन भी प्रबन्ध अभिकरण पद्धति पूरी तौर से समाप्त नहीं कर दी गयी है। उसका अब भी कुछ स्थान है। इस कारण भी, हम प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने की संभावना हटाना नहीं चाहते।

तीसरा संशोधन पहले संशोधन का आनुषंगिक है। चौथे के संबंध में, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में इस प्रकार की किसी जांच के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। अतः मैं यह उचित नहीं समझता कि इस अधिनियम में वैसी किसी बात का उपबन्ध रखा जाये। मुझे खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा **संशोधन सभा के सामने मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २०—(धारा ३७ का संशोधन)

†**श्री क० कु० बसु** : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं। मुख्य अधिनियम की धारा ३७, उपधारा १ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिये एक उपबन्ध है। मैं यह चाहता हूं कि महालेखा परीक्षक को सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों को ऐसा आदेश देने का अधिकार हो या ऐसी लेखा परीक्षा आदि करने के लिये ऐसे नियम या रूप बनाने का अधिकार हो। मेरे विचार से यदि महालेखा परीक्षक कुछ रूप आदि निर्धारित करें, तो उससे बहुत सुधार हो सकता है और बहुत सी बातें रोकी जा सकती ह। माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे प्रबन्धकीय खर्च कम हो रहे हैं किन्तु कुछ राज्य वित्तीय निगमों की कार्यवाही की जांच से मुझे यह दिखायी बड़ता ह कि हमें अधिक अनुभव नहीं हुआ है। सर्वप्रथम बंबई में स्थापित निगम ने कुछ प्रशासन व्यय किया होगा किन्तु हमें उसके अनुभव पर विचार करना होगा कि अन्य निगम स्थापित करने में वैसा व्यय आवश्यक है या नहीं। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि अधिनियम में भारत के रक्षित बैंक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उपबन्ध है। किन्तु जब तक सरकार उसे अधिकार नहीं देती, रक्षित बैंक राज्य वित्तीय निगमों की कार्यवाही के संबंध में कोई जांच नहीं करेगा।

मैं देखता हूं कि पश्चिम बंगाल में केवल १६·४ प्रतिशत ऋण आवेदकों को दिया गया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति जिस प्रकार ऋण के लिये आवेदन पत्र देते हैं उस विषय में और उनकी ऋण चुकता करने की क्षमता के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं।

एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि यद्यपि ऋण दिया गया था, फिर भी कोई इमारत नहीं खरीदी गयी, उद्योग विकास अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस नहीं दिये गये थे और ऋण का उपयोग करने मे एक दो साल लगेंगे। हम यह बंद करना चाहते हैं। यह हो सकता है कि सरकार उनके तरीकों

---

†मूल अंग्रेजी में

में सुधार कर सके। मैं केवल यह चाहता हूं कि राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगमों के विषय में एक प्रामाणिक रूप जारी किया जाये। मुझे छोटे लोगों से शिकायतें सुनने में आई हैं कि ऋण चुकाने की उनकी क्षमता होते हुए भी उनके लिये वे लोग ऋण मंजूर नहीं करते जिनका इन निगमों पर नियंत्रण है। केवल १६ प्रतिशत आस्तियां ऋण के लिये काम में लायी जा रही हैं, ४० प्रतिशत को बैंकों में निक्षेप के तौर पर रखा जाता है और लगभग ५० प्रतिशत आस्तियां सरकारी प्रत्याभतियों में लगायी जाती हैं। अतः मेरा यह अनुरोध ह कि यदि कोई प्रामाणिक रूप बनाया जाये और महालेखा परीक्षक को ऐसा आदेश देने का अधिकार हो, तो उससे आवश्यकता पूरी हो जायगी।

आगे वित्त मंत्री से मैं यह कहूंगा कि उसी प्रकार प्रतिवेदन तैयार किया जाये जैसा कि औद्योगिक वित्त निगम के मामले में होता है। राज्य वित्तीय निगमों के मामले में मुझे बताया गया है कि छोटी-छोटी बातों और विस्तारों के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया जाता। मैं आशा करता हूं कि प्रतिवेदन का भी एक सा रूप होगा। वार्षिक प्रतिवेदन भी उसी रूप में होना चाहिये जसा कि राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम का होता है। जिन लोगों ने ऋण लिया हो उनके नामों का ब्योरा वहां होना चाहिये। इसलिये महालेखा परीक्षक को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि लेखा-परीक्षा करने के लिये वह एक रूप निर्धारित कर सकें तथा कुछ निदेश दे सकें। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है।

†**श्री अ० चं० गुह** : इस संशोधक खंड का राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना के तत्काल पश्चात् रखे जाने वाले लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से ही संबंध है क्योंकि हो सकता है कि प्रारम्भ में इस अधिनियम की धारा ३७ के अनुसार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने के लिये बोर्ड की बैठक न बुलाई जा सके। अतः यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो नये लेखा परीक्षकों की अर्थात् उन लेखा परीक्षकों की जो सबसे पहले नियुक्त किये जायेंगे बाद में नियुक्त किये जाने वाले लेखा परीक्षकों से भिन्न स्थिति हो जायेगी।

†**श्री क० कु० बसु** : कैसे ?

†**श्री अ० चं० गुह** : क्योंकि तब हमें इस खंड को केवल मात्र इस संशोधन के साथ पढ़ा जाया करेगा।

†**श्री क० कु० बसु** : मैंने एक पृथक् उप-खंड (ग) प्रस्तुत किया है।

†**श्री अ० चं० गुह** : जो भी हो लेखा परीक्षकों के कार्यों अथवा कर्तव्यों का अधिनियम की धारा ३७ में उल्लेख किया गया है। और मैं समझता हूं हमें इस प्रकार का संशोधन स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि इससे नये लेखा परीक्षकों के लिये और कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। और इससे पहले नियुक्त किये जाने वाले तथा बाद में आने वाले लेखा परीक्षकों की स्थिति में भेद पड़ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्विकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २१—नई धारा ३७क का रखा जाना

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं प्रस्ताव् करता हूं :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३ से ७ में

"The Central Government may direct the Reserve Bank to inspect the working of any Financial Corporation, and if so directed, the Reserve Bank shall cause an inspection to be made by one or more of its officers, of the Financial Corporation and its books and accounts."

["केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक को किसी भी वित्तीय निगम के कार्य-संचालन का निरीक्षण करने का निदेश कर सकती है, और यदि ऐसा निदेश मिले तो रिजर्व बैंक वित्तीय-निगम और उसके बहीखातों तथा लेखाओं का निरीक्षण अपने एक अथवा अधिक पदाधिकारियों द्वारा करायेगा।"]

के स्थान पर

"The Reserve Bank at any time may, with the approval of the Central Government, and on being directed so to do by that Government, shall, cause an inspection to be made by one or more of its officers of the working of any Financial Corporation and its books and accounts."

["रिजर्व बैंक किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार की सहमति से, उक्त सरकार द्वारा ऐसा करने के लिये निदेश किये जाने पर, वित्तीय निगम और उसके बहीखातों तथा लेखाओं का निरीक्षण अपने एक अथवा अधिक पदाधिकारियों द्वारा करायेगा"]

रख दिया जाये।

यह प्रारूप की भाषा को सुधारने का संशोधन मात्र है। पहले यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक यह निरीक्षण केन्द्रीय सरकार से निदेश मिलने के पश्चात करेगा, परन्तु अब उसमें यह सुधार कर दिया गया है कि रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से यह निरीक्षण करेगा तथा विशेष अवस्थाओं में भी केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक को ऐसा निरीक्षण करने के लिये कह सकती है। इस निरीक्षण की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को भेजी जायेगी। पहली दो पंक्तियों को छोड़ शेष सब भाषा लगभग वैसी ही है। इस प्रकार यह भाषा को सुधारने का संशोधन मात्र है।

†**श्री क० कु० बसू** : क्या यह रिपोर्ट गुप्त रिपोर्ट होगी, अथवा वार्षिक प्रतिवेदन का एक अंग होगी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह वार्षिक प्रतिवेदन का भाग नहीं होगी। वार्षिक प्रतिवेदन निगम के बोर्ड द्वारा सौंपा जायेगा। किन्तु यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट होगी। यह एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट होगी तथा केन्द्रीय व राज्य दोनों सरकारों को भेजी जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३ से ७ में

"The Central Government may direct the Reserve Bank to inspect the working of any Financial Corporation, and if so directed, the Reserve Bank shall cause an inspection to be made by one or more of its officers, of the Financial Corporation and its books and accounts."

---

†मूल अंग्रेजी में

["केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक को किसी भी वित्तीय निगम के कार्य-संचालन का निरीक्षण करने का निदेश कर सकती है, और यदि ऐसा निदेश मिले तो रिजर्व बैंक वित्तीय निगम और उसके बहीखातों तथा लेखाओं का निरीक्षण अपने एक अथवा अधिक पदाधिकारियों द्वारा करायेगा "]

के स्थान पर

"The Reserve Bank at any time may, with the approval of the Central Government, and on being directed so to do by that Government, shall, cause an inspection to be made by one or more of its officers or the working of any Financial Corporation and its books and accounts."

["रिजर्व बैंक, किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार की सहमति से, उक्त सरकार द्वारा ऐसा करने के लिये निदेश किये जाने पर, वित्तीय निगम और उसके बहीखातों तथा लेखाओं का निरीक्षण अपने एक अथवा अधिक पदाधिकारियों द्वारा करायेगा"]

रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१ संशोधित रुप में विधेयक रुप में जोड़ दिया गया ।

खंड २२ से २५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक इस विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**श्री लै० जो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं भाग 'ग' राज्यों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । भाग 'ग' राज्यों के लिये एक संयुक्त वित्तीय निगम बनाने का उपबन्ध किया गया है । पंजाब, सौराष्ट्र, बम्बई आदि में वित्तीय निगम स्थापित किये जा चुके हैं किन्तु भाग 'ग' राज्यों में कोई भी निगम नहीं बनाया गया है । अब इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् 'ग' राज्यों को भी इन निगमों से लाभ उठाने का अवसर मिलने लगेगा । यदि यह विधेयक पहले पारित हो गया होता तो उन्हें इतनी देर तक उन लाभों से वंचित न रहना पड़ता जो कि अन्य राज्यों को मिलते रहे हैं ।

अब यह उपबन्ध किया गया है कि अगर कोई वित्त निगम अपने राज्य से भिन्न अन्य राज्यों में भी कार्य कर रहा था तो अब संयुक्त निगम बनाने के लिये उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया जायेगा । यथा त्रिपुरा और मनीपुर के लिये संयुक्त वित्त निगम बनाने के लिये आसाम के वित्त निगम का क्षेत्राधिकार बढ़ा कर आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर तीनों के लिये एक संयुक्त निगम बना दिया जायेगा । किन्तु इसमें एक विशेष कठिनाई है । जब इस निगम का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया जायेगा और तब अगर इसका मुख्य कार्यालय शिलांग में ही रहा तो सभी वित्तीय कार्य एक ही स्थान पर सीमित हो जायेंगे । अतः मेरा यह सुझाव है कि जब इस निगम का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाये तो इसकी मनीपुर और त्रिपुरामें भी शाखाएं खोली जायें । इसी प्रकार पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का भी एक संयुक्त वित्त निगम बनाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लै० जो० सिंह]

इसके अतिरिक्त एक और बात भी है। लोगों का अब अपने क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं यथा बैंकों आदि से विश्वास उठ गया है क्योंकि उन क्षेत्रों के कई बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। कई बैंकों में अनेकों घोटाले तथा गबन हो चुके हैं। अतः इन बैंकों अथवा निगमों का कार्य भी अब इन लेखा परीक्षकों द्वारा देखा जाना चाहिये ताकि जनता का फिर से उनमें विश्वास जागृत हो सके।

देश के हमारे भाग में कई लघु तथा कुटीर उद्योग हैं। हमारे यहां कई बड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इस निगम द्वारा उन क्षेत्रों को अवश्य कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिये ताकि उनकी आर्थिक दशा सुधर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा अन्य कई योजनाओं को देखते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मुझ से पहले वक्ताओं ने इस निगम की कई कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने वित्त निगमों की लेखा परीक्षा के संबंध में कई सुझाव दिये हैं। मैंने भी इस विधेयक को भली भांति पढ़ा है। मुझे इसमें एक बड़ी भारी त्रुटि दिखाई दी है। इन निगमों की लेखा परीक्षा दो लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी। उन में से एक को महा लेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार नियुक्त करेगी और दूसरे का एक विशेष प्रकार से चुनाव होगा। यह भी आशंका की जा रही है कि इन निगमों द्वारा काफी धन बर्बाद होने की आशंका है और बाद में इस धन को बट्टे खाते में डाल देने के लिये भी कहा जायेगा। इन सब आशंकाओं से बचने के लिये मैं सुझाव रखता हूं कि हमें प्रत्येक निगम में एक लेखपाल रखना चाहिये। यद्यपि निगम के पास लेखपाल नियुक्त करने का कोई वैध आधार नहीं है तथापि ज्यों ही यह कोई ऋण दे अथवा कोई अग्रिम धन दे अगर यह उस समय एक लेखपाल नियुक्त कर दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि यह ऋण लाखों रुपये का होता है। वह बैंकों तथा उद्योगों पर इस बात की निगरानी रखेगा कि वे निगम से प्राप्त ऋणों का ठीक उपयोग करते हैं अथवा नहीं? इस प्रकार वह धन के अनावश्यक व्यय को रोक सकेगा। इसका व्ययभार राज्य सरकार अथवा निगम वहन कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री अच्युतन** (त्रिंगनूर) : १९५३ से लेकर पिछले ३ वर्षों में हम १३ वित्त निगम खोल चुके हैं। मगर हमने इसके द्वारा कुल स्वीकृत धन को केवल ५० प्रतिशत धन ही बांटा है। यह कोई उत्साहजनक स्थिति नहीं है। हमें यह आशा थी कि लोग इन निगमों के पास भाग आयेंगे और उद्योगपति इनका अधिकतम लाभ उठायेंगे। परन्तु निगम ने धारा २५ (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित बातों को करने के लिये आज तक क्या किया है? क्या उन्होंने ऋण पत्रों[1] पर प्रत्याभूति[2] का वचन आदि दिया है?

वास्तव में इसकी ऋण देने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है। इसलिये लोग कहते हैं कि इससे तो किसी बड़े व्यक्ति से २५, ५० हजार रुपया ले लेना अच्छा है। हमें सबसे पहले साख वाले उद्योगपतियों को बिना किसी कठिनाई के ऋण दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को उन्हें प्रमाणपत्रों तथा पंजीयन[3] आदि के संबंध में उपयुक्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये ताकि वे लोग अन्य व्यक्तियों के पास न जाकर इन निगमों के पास ही आवें। मेरे विचार में लघु उद्योगों को ऋण देने वाली एक मात्र यही संस्था ही है। और हमारे राज्य में अर्थात् त्रावनकोर-कोचीन में इसकी बहुत आवश्यकता है। अतः वहां पर सरकार को इसके कार्यों को ठीक रूप से चलने का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Debentures

[2]Guarantee

[3]Registration

†**श्री क० कु० बसू** : मैं इस संशोधक विधेयक के कुछ उपबन्धों का स्वागत करता हूं। कई राज्यों में लघु-उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की बड़ी महत्ता है। परन्तु कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र के इर्द गिर्द कई इंजीनियरिंग फर्मों को जिनको कि धन की बड़ी आवश्यकता है, कई बार प्रयत्न करने पर भी ऋण नहीं मिल सका है। मैं इसका पहले भी निर्देश कर चुका हूं। अतः सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा। अब रिजर्व बैंक को इन निगमों के कार्यों की स्वतः जांच करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस संबंध में मैंने एक संशोधन रखा था कि महालेखा परीक्षक को सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लेखापरीक्षक को इस जांच के संबंध में निदेश दिये जाने का अधिकार दिया जाना चाहिये। परन्तु माननीय मंत्री ने उसको मानने से इन्कार कर दिया है। मैं चाहता हूं कि भारत के रिजर्व बैंक को सभी राज्यों के वित्त निगमों की विस्तृत जांच करनी चाहिये। क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि ये निगम इस अधिनियम के अनुसार ठीक ठिक कार्य करें और हमारे लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग इनसे पूरा पूरा लाभ उठा सकें।

अतएव मैं मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वह रिजर्व बैंक को इस संबंध में तुरन्त एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दें ताकि इन निगमों की त्रुटियां दूर की जा सकें। यह प्रतिवेदन राष्ट्र अथवा जनता के सामने रखा जाना चाहिये क्योंकि इन निगमों में राष्ट्र का ही धन विनियोजित किया गया है। बस मेरी, मंत्री महोदय से एकमात्र यही प्रार्थना है।

†**श्री अ० चं० गुह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को इस विधेयक के सामान्य समर्थन के लिये धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं श्री जोगेश्वर सिंह जी के प्रश्न का उत्तर दता हूं। मैं मनीपुर और त्रिपुरा के बारे में उनकी चिन्ता को भली भाँति समझता हूं। यदि किसी निगम के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तो सचमुच उसकी कुछ शाखायें भी स्थापीत की जानी चाहिये हमे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में, अगर मनीपुर और त्रिपुरा के राज्य कभी आसाम के वित्त निगम के साथ सम्मिलित हों तो वे आसाम सरकार से अपने यहां स्थानी शाखायें खोलने की प्रार्थना कर सकते हैं। इससे निगम के कारोबार का भी विस्तार होगा। अतः यह उसके भी भले की बात होगी।

इसके पश्चात् उन्होंने बैंकों के दिवालिये होने की बात कही है। उसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। और फिर आजकल तो यह एक बड़ी पुरानी बात हो गई है। अब हम इस प्रकार से और इतने बड़े पैमाने पर कभी भी बैंकों के दिवालिये होने की बातें नहीं सुना करेंगे जैसी कि हम पहले बंगाल आदि में सुनते रहे हैं।

शायद अभी हाल ही में भारत के राज्य बैंक ने मनीपुर के राज्य बैंक का निरीक्षण किया था—यदि मैं ग़लत हूं तो माननीय सदस्य मुझे सही कर सकते हैं—क्यों कि इस संबंध में मैं पूर्णतया निश्चित नहीं हूं। इससे हम कह सकते हैं कि राज्यों बैंक तथा रिज़र्व बैंक भाग 'ग' राज्य के छोटे छोटे बैंकों के बारे में कुछ करने के लिये स्वयं उत्सुक हैं।

इसके पश्चात् श्री मुनीस्वामी जी ने लेख पाल के बारे में कहा है। मुझे समझ नहीं आ सका है कि इस सबसे उनका क्या तात्पर्य था। क्योंकि सभी निगमों के पहले से ही अपने अपने लेखापाल है और इस अधिनियम की धारा २७(१) के अनुसार.....

†**श्री क० कु० बसु** : जैसे ही किसी कंपनी को ऋण दिया जाये तो ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी को निगम की इच्छा का एक लेखापाल भी दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : इससे कंपनी का व्यय बढ़ जायेगा। वे तो थोड़े ब्याज पर ऋण लेना चाहती हैं और अगर उनको १० या २० लाख रुपया देने के बाद उन पर अपनी इच्छा का एक लेखा-पाल भी ठूंस दिया जाय तो मेरे विचार में कोई भी कंपनी ऋण लेने नहीं आयेगी।

विनियोजनकी सुरक्षा के लिये धारा २७(१) के अन्तर्गत राज्य निगम के पास पहले ही पर्याप्त शक्तियां है और वे उन कंपनियों को आवश्यक शर्तें मनवा सकता है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि निगम के पास अधिक लोग आने चाहिये तथा उन्हें सरलता से ऋण प्राप्त होना चाहिये। ऋण की प्राप्ति में अधिक औपचारिकतायें तथा विलम्ब नहीं होना चाहिये। मेरे विचार में रिज़र्व बैंक इस विषय की ओर विशेष ध्यान देगा।

जैसा कि श्री बसु ने कहा है, रिजर्व बैंक निश्चय ही इन सब निगमों का प्रभावशाली तथा कुशल ढंग से निरीक्षण करेगा और हमारे संशोधन में उसको स्वत: इस प्रकार का निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया है। यह निरीक्षण प्रतिवर्ष हुआ करेगा और नियमित रुप से होगा।

†**श्री क० कु० बसु** : यह रिपोर्ट अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं आशा करता हूं कि अब विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोंदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खान ठेके (निबन्धनों का रूपभेद) नियमों के प्रारूप के बारे में संकल्प

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं संकल्प का प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन बनाये गये तथा २२ अगस्त, १९५६ को सभा-पटल पर रखे गये खान ठेके (निबन्धनों का रुप भेद) नियम, १९५६ के प्रारुप का अनुमोदन करती है।"

मैं, इस संकल्प के संबंध में इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता कि खान के ठेकों की वर्तमान शर्तों को सबसे बाद के खनिज रियायत नियमों से संगत बनाने के लिये यह संशोधन बड़े महत्वपूर्ण है। पुराने खनन पट्टों के अधीन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिनका वह प्रबंध करने में समर्थ नहीं हैं। वे राष्ट्र के हित के लिये खनिजों का न तो निर्धारण ही कर सकते हैं और न उपयोग। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि इन सब को वर्तमान खनन रियायत नियमों के स्तर पर लाया जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें सभा की स्वीकृति इसके लिये मिले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर कुछ प्रकाश डाले क्योंकि उन्होंने अभी जो स्पष्टीकरण दिया है उससे हमें इसके बारे में कोई बात स्पष्ट नहीं हुयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे आश्चर्य है कि श्री चटर्जी यह महसूस करते हैं कि यह नियम सभा के समक्ष एकाएक प्रस्तुत हुये। इन नियमों पर गत तीन वर्षों से चर्चा हो रही है। सबसे पहले यह नियम अखिल भारतीय खनीज परामर्शदाता बोर्ड के निर्माण से कुछ मास पूर्व प्रस्तुत किये गये थे। उसके पश्चात् उद्योगपतिओं तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के समक्ष एक प्रारुप रखा गया था। परिषद् के संविधान के संबंध में बहुत से सुझाव दिये गये तथा उन पर विस्तृत रुप से विचार किया गया था। तब से दो वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं तथा हमने उद्योगपतिओं और देश के महत्वपूर्ण खनिको की आपत्तियों का विचार कर लिया है।

कुछ दिन पूर्व, बंगलौर में भी मैने इन नियमों के संबंध में बताया था तथा कहा था कि खनिको द्वारा दिये गये सुधारकों का पूर्णतः नियम कर लिया गया है तथा नये नियम सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे। अब बहुत समय हो चुका है तथा हमें और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

जैसा कि सभा जानती है, इस अधिनियम के अधीन खनिज रियायत नियम १९४८ में लागू थे। उससे पूर्व बहुत से क्षेत्रों में कार्य होता था तथा वहां १९४८ के इन नियमों के अनुसार कार्य नहीं होना था। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि पट्टे की शर्तें तथा खनन पट्टे संबंधी अन्य शर्तें खनिज रियायत नियम १९४८ के समानुरुप बनाये जायें। इसी विचार से यह नियम, सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये गये हैं।

इन नियमों की मुख्य बात यह है कि जहां तक खनन कार्यों का संबंध है, हमने क्षेत्र तथा अवधि की शर्तें निर्धारित कर दी हैं। हमने दस वर्गमील को पर्याप्त क्षेत्र समझा है जिसमें खनिक ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं। कुछ खण्ड भी सम्मिलित किये गये हैं तथा इसलिये लागू किये गये हैं कि निजी खनिकों को यदि कुछ कठिनाई हो तो वह इन नियमों के अधीन अपने मामले न्यायाधिकरण में भेज सके। भारत सरकार प्रतिनिधानों पर विचार करेगी तथा आवश्यक मामलों में अपवाद करेगी। इसके अतिरिक्त हमने ऐसे नियम भी बनाये हैं जो न्यायाधिकरण तथा खान के संचालकों का पथ प्रदर्शन करेंगे।

मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जिनसे यह सिद्ध होता है कि इन नियमों की नितांत आवश्यकता है। मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, परन्तु उन क्षेत्रों को बताऊंगा जिसमें वह कार्य करती है। एक पार्टी के पास ४८ गांव है। ऐसी भी पार्टियां है जिनके प्रत्येक के पास क्रमशः ३९ गांव, २७ गांव तथा २० गांव ९९ वर्ष के लिये है। एक पार्टी के पास रांची जिले में ९९९ वर्ष से आठ गांव हैं। जो क्षेत्र इन गांवों से लिया गया है वह ३० अथवा ४० एकड़ से अधिक नहीं है। खानों की प्रविधिकता देखते हुये अभी केवल इतने ही क्षेत्र पर काम किया गया है। उदाहरणतः एक पार्टी के पास रांची में १५,२१९ एकड़ भूमि ९५ वर्ष से जिसमें से केवल ३७.८ एकड़ पर कार्य किया गया है। सभा कल्पना कर सकती है कि जिस पार्टी के पास १५,००० एकड़ भूमि है वह १९३४ से अभी तक केवल ५० एकड़ भूमि पर कार्य कर सकी है। इसलिये राष्ट्र हित में अवधि तथा अन्य शर्तों के आधार पर क्षेत्र निर्धारण ठीक समझा गया जिस से पार्टी ठीक कार्य कर सकें तथा शेष क्षेत्र राज्य के पास चला जाये जिससे सरकार उसको अन्य किसी पार्टी को दे दें। राष्ट्रहित में यही है कि देश के सभी खनिजो का सही निर्धारण हो। यह तभी सम्भव जब उतना क्षेत्र उनके पास रहे जितने में वह काम कर सकते हों। उन्होंने न तो कोई योजना बनाई हुई है और नहीं उनका ऐसा विचार ही है कि कोई योजना बनाई जाये। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि नियमों का संशोधन किया जाये तथा इन पट्टों को जो पार्टियों के पास बीसियों वर्षों से हैं राज्य द्वारा अधिक उपयोगी कार्य के लिये ले लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

इसी आधार पर यह नियम बनाये गये हैं। पूर्ण सावधानी बर्ती गई है कि पार्टियों को कोई कठिनाई न हो। जहां कोई पार्टी १० वर्गमील से अधिक में काम कर रही होगी तथा प्रविधिक रुप से वहां कार्य करने की संभावना होगी, ऐसे मामलों में सरकार इन पर विचार करेगी। इसलिये में नहीं जानता कि मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति के क्या कारण हो सकते है। मैं आशा करता हूं कि सभा इन नियमों को स्वीकार कर लेगी।

†**श्री बंसल** (झज्जर–रेवाड़ी) : मै अपने संशोधन संख्या १, २, ३ तथा ४ प्रस्तुत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मुझे यह मालूम हुआ है कि यह नियम, सभा में प्रस्तुत होने से पूर्व खनिज परामर्शदाता समिति अथवा परिषद् के सामने प्रस्तुत नहीं किये गये थे। परन्तु माननीय मंत्री ने बताया कि इन नियमों का मसौदा इस परिषद् के समक्ष रखा गया था। मेरे पास उसकी बैठकों की कार्यवाही है तथा उसमें यह नहीं दिया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये नियम आनम्य होने चाहिये। इस से कोई भी सहमत नहीं होगा कि खानों के ठेके ९९९ वर्षों के लिये दिये जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या १० वर्गमील उचित क्षेत्र है। भूमि गर्भित तेल को लीजिये। इस कार्य के लिये १० वर्गमील क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस्पात के लिये भी १० वर्ग मील कम होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह क्षेत्र बढ़ा दिया जाये।

दूसरी बात नियंत्रक से संबंधित में है। इसमें इसके पद आदि की परिभाषा की गई है। मुझे जानकारी हुई है कि इसका पद अवर-सचिव अथवा उप-सचिव के समान होगा। क्या इस पद का व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति होगा।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को यह निश्चित होना चाहिये कि नियंत्रक किस प्रकार का व्यक्ति हो।

मेरा पहला संशोधन नियम ६ के उपनियम (६) के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि चूंकि खनिज रियायत नियमों में अधिकतम समय १५ वर्ष दिया गया है अतएव नियंत्रक समय का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि पट्टे १५ वर्ष समाप्त होने पर समाप्त हो जायें।

मेरा संशोधन यही है कि पृष्ठ १३ की अंतिम पंक्ति में (रियायत नियम) शब्द के पश्चात 'इन नियमों के अधीन जितने समय को पट्टेदार ने पुनः ले लिया होगा' रखे जाये। मेरा विचार है मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

मेरा दूसरा संशोधन नियम १० के संबंध में है। नियम में यह है कि इस न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति होगा। मेरा संशोधन है कि तीन व्यक्तियों का न्यायाधिकरण होना चाहिये क्योंकि न्यायाधिकरण में लाखों रुपये के मामले होंगे। यह आपत्ति हो सकती है कि इससे व्यय बढ़ जायेगा परन्तु इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये न्यायाधिकरण तदर्थ तथा अस्थाई होंगे।

मैं अपने तीसरे तथा चौथे संशोधन से नियम १०(२) (२) का संशोधन करना चाहता हूं तथा नियम १० (३)(क) जोड़ना चाहता हूं। इसमें दो चीजें है। यदि पट्टा ९९ वर्ष से ३० वर्ष कर दिया गया तो कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३१ क (१) (ग) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिकर रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिये मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

सुझाव है कि उप-नियम (२) वापस ले लेना चाहिये तथा इसके स्थान पर मेरा संशोधन रख देना चाहिये जिसमें यह कहा गया है कि पट्टे की अवधि में कमी करने के कारण प्रतिकर रोक नहीं लिया जायेगा। मुझे भय है कि यदि यह नियम मेरे संशोधन के बिना स्वीकार कर लिया गया तो न्यायालय में इसको विरोध अवश्य किया जायगा। मेरा सुझाव है कि मेरा संशोधन माननीय मंत्री आवश्य स्वीकार कर लेंगे।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि खनिज सम्पत्ति हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उसका विकास उसी आधार पर होना चाहिये। पर मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल द्वारा कही गयी बातों से भी सहमत हूं। मैं मानता हूं कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि आप बिना कोई प्रतिकर दिये सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि संविधान के अनुसार संसद् को विधि बनाने का अधिकार है। पर आप को स्मरण होगा कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम के बारे में जो निर्णय हुआ था उसमें दरभंगा और रामगढ़ के महाराजा विजयी हुये थे और बिहार भूमि सुधार अधिनियम को संविधान के विरुद्ध ठहराया गया था। इन विधियों को मान्य ठहराने के लिये संविधान का संशोधन करना पड़ा। यद्यपि हमारे पास बहुत बड़ा अधिकार है, पर हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री और संसद् को बताना चाहता हूं कि भारत में सबसे बड़ा कोयला-क्षेत्र न तो बंगाल में है, न झरिया में, बल्कि हजारी बाग जिले के करनपुरा में है। यह क्षेत्र लगभग ५०० वर्गमील है। बहुत वर्षों तक यह क्षेत्र एक ब्रिटिश व्यापारी संस्था मेसर्स बर्ड एण्ड को० को खुदाई करने की अनुज्ञप्ति के साथ ठेके पर दिया गया। रामगढ़ के महाराजा ने इस ठेके पर आपत्ति उठाई क्यों कि यह ठेका प्रतिपालक अधिकरण[1] द्वारा उस समय दिया गया था जब महाराजा उसके अनर्ह स्वामी थे। पटना उच्च-न्यायालय ने उस ठेके को अवैधानिक करार दिया। ठेका रद्द कर दिया गया। मामला उच्चतम न्यायालय में आया। आप को आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार के वकील ने बिहार सरकार की ओर से यह कहा कि यह ठेका ब्रिटिश संस्था के हाथों में ही रहना चाहिये क्योंकि उसके पास अच्छे संसाधन हैं, अच्छी-अच्छी मशीनें है और उस ने कोई लाख पौण्ड इस कार्य में खर्च किया है। यदि किसी प्राविधिक कारण से उस फर्म से ठेका ले लिया जायेगा तो बिहार में भावी खनिज उन्नति को बहुत धक्का लगेगा। बिहार सरकार को उन जमींदारों को प्रतिकर की बड़ी बड़ी राशियां देनी हैं जिनकी जमींदारी छीन ली गयी है और सरकार के पास काफी संसाधन भी नहीं है। अतः बिहार सरकार स्वयं इस कोयला क्षेत्र का प्रबंध नहीं कर सकती। अतः यदि सरकार का इरादा भारत की सभी खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है तो उसे साफ साफ कहना चाहिये न कि इस प्रकार का विधान बना कर या नियम बनाने के अधिकार द्वारा आपको उनको दबाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि श्री बंसल ने जो बात कही है वह ठीक है। मेरा विचार है कि अनुच्छेद ३१ क से यह बचाव नहीं हो पायेगा क्योंकि वह अनुच्छेद विधि के संबंध में है। परन्तु, यह तो केवल विधि निर्माण का अधिकार है जिसे केन्द्रीय सरकार उपयोग में लाना चाहती है। इस प्राविधिक बात के अलावा भी मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यद्यपि संसद् को ऐसा विधान बनाने का अधिकार है और वह विधान नियमानुकूल होगा, फिर भी, उन्हें ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये कि क्या यह उचित होगा कि इस बड़ी खान का प्रबंध, जो एक विदेशी व्यापारिक संस्था द्वारा सफलता पूर्वक हो रहा था, उस संस्था के हाथ से छीन लिया जाय।

नियम ४ की ओर ध्यान दीजिये। क्या यह नियम अधिकार छीनने के संबंध में नहीं है। उपखंड (२) के अनुसार भी ठेके की विद्यमान शर्तों और निबंधनों का रुपभेद करने का अधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Court of wards

[श्री नि० चं० चटर्जी]

नियंत्रक को होगा। खनिज संरक्षण तथा विकास नियमों के अनुसार आप ठेका केवल ३० वर्ष के लिये और केवल १० वर्गमील के लिये देंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप अधिकार छीन रहे हैं। आप कहेंगे कि आप यह सब भारत के संविधान और खनिज संरक्षण तथा विकास नियमों के अनुसार ही कर रहे हैं।

मुझे इस बात से कोई अभिप्राय नहीं कि ब्रिटिश व्यापारिक संस्था को हानि होगी या भारतीय व्यापारिक संस्थाओं को हानि होगी; हानि होने दीजिये, पर मैं तो यह कहना चाहता हूं कि नियंत्रक को यह अधिकार न दिया जाय कि वह ठेके की अवधि १० वर्ष कर दे और क्षेत्र को १० वर्गमील कर दे। भविष्य में दिये जाने वाले ठेकों पर आप यह लागू कर सकते हैं पर जो ठेके चल रहे हैं उनमें जर्मनी और इंग्लैंड से बहुत से विशेषज्ञ लाये गये और उन संस्थाओं ने इस खानों में करोड़ों रुपये व्यय किये हैं। आप उनके सारे अधिकारों को छीन रहे हैं—यह ठीक नहीं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि आप इन शर्तों को इतना कड़ा न बनायें। अब आप इस ३०० या ४०० वर्गमील में फैले खान-क्षेत्र को छोटे-छोटे टूकड़ों में बांटना चाहते है। क्या इन छोटे-छोटे टुकड़ों के पास इतने काफी साधन हैं कि वे इस काम को ठीक प्रकार से चला सकें।

मैं माननीय मंत्री से अपील कर रहा हूं कि वह नियंत्रक को इतना अधिकार दें कि वह किसी विशेष खान या क्षेत्र के बारे में उसके पूर्व-इतिहास उसके उपयोग और उसकी सम्पन्नता को देख कर फिर रिपोर्ट दे कि अमुक मामले में अमुक कार्यवाही की जाय। सभी के साथ एक सा ही व्यवहार करना ठीक नहीं। इससे उन्नति में भी रुकावट होगी और यह न्यायोचित भी नहीं।

मैं चाहता हूं कि यह विदेशी व्यापारिक संस्थायें हमारे देश से चली जायें, पर चूंकि हमारे पास अच्छे संसाधन नहीं है, अतः हमें अभी उनको रहने देना चाहिये। अगर आप को राष्ट्रीयकरण करना है तो सीधे कहिये कि हमें राष्ट्रीयकरण करना है ; पर ये तरीके ठीक नहीं है।

नियम १० के बारे में श्री बंसल ने कहा है कि न्यायाधिकरण केवल एक ही व्यक्ति का नहीं बल्कि तीन व्यक्तियों का होना चाहिये। मैं उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं कि यह जरुरी न हो कि तीनों ही व्यक्ति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश हों। हां उसका सभापति तो न्यायाधीश ही है पर शेष दो व्यक्ति न्यायाधीश न हों।

जिस प्रकार हम बिहार अथवा बंगाल की कोयला खानों की दुर्घटना के संबंध में एक वकील को न्यायाधीश के रुप में और दो खनिज अथवा खनन विशेषज्ञों को नियुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार यहां भी इस बात का उपबंध किया जाना चाहिये कि उनमें से एक तो न्यायाधीश अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश हो और दूसरे दोनों व्यक्ति ऐसे हो जो उस विषय का वैज्ञानिक ज्ञान रखते हों अथवा उस विषय के विशेषज्ञ हों और व्यापक वस्तुगत दृष्टि से उस मामले को निबटाने में सक्षम हों।

श्री बंसल ने पृष्ठ ८ के नियम के १०(२) (दो) के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह बात संदेहस्पद है कि यह उपबंध वैध होगा अथवा नहीं। इस प्रकार नियम बनाने की विधि द्वारा मंत्री महोदय यह कह सकते की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कि ६० वर्षों की जब्तीके लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। मैं उन से यह पूछता हूं कि क्या यह उचित होगा ? यह मान कर भी कि मेरी बात गलत है और मंत्री महोदय को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है, मैं यह कह रहा हूं कि यह उचित नहीं है।

आप को याद होगा कि जिस समय प्रधान मंत्री ने इस उपबंध विशेष को रखा था, उस समय ऐसे अनुच्छेद की पुरःस्थापना[1] का विरोध करने वाले जो छः व्यक्ति यहां उपस्थित हैं, उनमें मैं भी हूं। उस समय प्रधान मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भले ही सरकार यह शक्ति अपने हाथ में ले रही है, परन्तु उसका इरादा सम्पत्ति जब्त करने वाले का काम करने का नहीं है।

[1] Introduction.

उन्होंने कहा था कि राष्ट्रहित में यदि किसी की सम्पत्ति ले भी ली गयी तो वह उचित प्रतिकर देंगे और इसके द्वारा तो वे केवल लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमों को, जो नियोजन और विकास की राष्ट्रीय योजनाओं में बाधक हो सकते हैं, रोकने का ही प्रबंध कर रहे हैं। इस विचार में कुछ शक्ति अवश्य है—चाहे वह सही हो, चाहे गलत, परन्तु सरकार वैसा करने के लिये वचनबद्ध है।

इसलिये, मेरा निवेदन केवल इतना है कि जब तक कोई गड़बड़ी न हो, जब तक आपको इस बात का पता न चले कि कोई जालसाजी की गयी है अथवा कोई बात गलत ढंग से पेश की गयी है, तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि क्षेत्र और पट्टे की अवधि में कमी करके भी आप कोई प्रतिकर नहीं देंगे। साथ ही आप न्यायाधिकरण भी इस प्रकार की रोक लगाये दे रहे हैं कि वह इस मामले का निबटारा न कर सके।

मैं तो कहता हूं कि जब आपके पास एक सक्षम न्यायाधिकरण मौजूद है, जिसमें उच्च न्यायालय का एक वर्तमान अथा भूतपूर्व न्यायाधीश होगा तो उसे औचित्य एवं समन्याय्यपूर्ण ढंग से निश्चय करने का प्राधिकार दिया जाये। आप यह कह सकते हैं कि वह सभी बातों पर विचार कर सकते हैं। यह हो सकता है कि विकास की गति अत्यंत धीमी होने अथवा किसी क्षेत्र विशेष का विकास निष्फल रहने के कारण कुछ मामलों में प्रतिकर न देना ही उचित हो, परन्तु यह भी हो सकता है कि कुछ मामलों में लोगों ने विकास के लिये अपना भरसक प्रयत्न किया हो।

इसीलिये, मेरा यह निवेदन है कि आप यह शक्ति ले तो रहे हैं, परन्तु इस शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से न किया जाये जिससे प्रतीत हो कि सम्पत्ति जब्त की जा रही है, क्योंकि यह बात हमारे स्वभाव के विपरीत तो है ही, साथ ही प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस स्पष्ट आश्वासन के भी प्रतिकूल है कि संसद् यह शक्ति अपने हाथ मे ले तो रही है पर उसका इरादा सम्पत्ति जब्त करने का नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम उचित प्रतिकर देंगे और लोगों को बरसों तक इस संबंध में आंदोलन नहीं करने देंगे।

इसलिये मैं तीन बातों की आपील करता हूं। एक तो यह कि इस संबंध में सख्ती कम की जाये। दूसरे, किसी की सम्पत्ति जब्त न की जाये और विहित स्वार्थों को जब्त करने में प्रतिकर देने से इंकार न किया जाये। तीसरे, न्यायाधिकरण के साथ-साथ नियंत्रक[1] को उचित मामलों में इस बात के लिये काफी छूट दी जाये कि वह सभी बातों पर विचार कर के उचित सिफारिश कर सकें और संबंधित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर दिया जाये।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : इन प्रारुप नियमों के बारे में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। इन नियमों में खनन-पट्टों के एक या अधिक नियंत्रकों की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। इन नियमों में नियंत्रकों की अर्हतायें तो नहीं निर्धारित की गयी हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार ऐसे ही नियंत्रकों को नियुक्त करेगी जिनको खनन कार्यों का ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव हो।

नियम ४ के उपनियम २ और ३ के बारे में मैं समझता हूं कि जिन मामलों में सूचना के अनुसरण में किसी पक्ष अथवा कुछ पक्षों को नियंत्रक के सामने उपस्थित होना हो, उनमें इन पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को उपस्थित होने से नहीं रोका जायेगा। मेरा सुझाव है कि नियमों को अंतिम रुप से स्वीकार कर प्रकाशित करने से पहले स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

नियम ६ के उपनियम ८ और ९ के अधीन अधिकार-शुल्क निर्धारित किये जाने अथवा अधिकार शुल्क में वृद्धि किये जाने के बारे में मेरा सुझाव है कि ऐसे कुछ उदाहरण रखे जाने चाहिये जिन में यह दिखाया गया हो कि अधिकार-शुल्क को किस ढंग से निर्धारित किया जाता है, अथवा उसका हिसाब किस ढंग से लगाया जाता है।

---

[1] Controller.

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

फिर, नियम ७ के उपनियम (२) में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार नें नियंत्रको निर्णय के पुर्ननिरीक्षण का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि बजाय इसके कि सचिवालय के पदाधिकारी इस निर्णय का पुनरीक्षण करें, ऐसे विशेषज्ञों की परामर्शदातृ समिति की नियुक्ति करना अधिक अच्छा होगा जो खनन के हितों के बारे में जानकारी रखते हों, जिन को इंजीनिरिंग के संबंध में कुछ अनुभव हो और साथ ही, जो वित्तीय समस्याओं का निबटारा कर सकें। यदि मामले को योंही छोड़ दिया गया तो स्थिति को पूरी तरह जाने-समझे बिना केन्द्रीय सचिवालय के पदाधिकारीगण उस पर अपना निर्णय कर लेंगे।

नियम १० के उपनियम के अधीन तीन चार कण्डिकाओं में यह बताया गया है कि प्रतिकर के भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा। इस संबंध में, मैं यह देखता हूं कि पिछले पट्टेदार ने जिन खनिज-पदार्थों को निकाला था, प्रतिकर का निर्धारण करते समय उन पर विचार नहीं किया जाता। यदि खोज करने अथवा अन्य कार्यों के संबंध में हुये व्यय के लिये उसको धन दिया जाता है, तो उसे जो खनिज पदार्थ प्राप्त हुये हैं उनका और उनके मूल्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

फिर, नियम १४ के अधीन नियंत्रक को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस बात का निर्णय करने के लिये किसी भी खान में प्रवेश कर सकते हैं अथवा उसका निरीक्षण कर सकते हैं कि उस खान के बारे में खनन-पट्टे की शर्तों में इन नियमों के अधीन कोई परिवर्तन तो नहीं करना ह, और यदि हां, तो वह परिवर्तन किस प्रकार का होगा। इस में भी इस बात की काफी आवश्यकता होगी कि नियंत्रक का काफी प्राविधिक[1] ज्ञान हो जिससे वह न्याय कर सके और उसके अज्ञान के कारण किसी खान को नुकसान न पहुंच सके।

नियम १५(क) के अधीन सामान्य प्रकार के आदेशों को भारत में सूचना-पत्र[2] में प्रकाशित करने की व्यवस्था की गयी है। मैं चाहता हूं कि इन आदेशों को राज्यों के सूचना पत्रों में भी प्रकाशित किया जाये।

फिर, मैं श्री बंसल और श्री नि० चं० चटर्जी दोनों की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे मामलों का, जिन में लाखों रुपयों का वारा-न्यारा होना हो, एक व्यक्ति के अधिकरण उपयुक्त नहीं होंगे। चाहे न्यायाधिशों को नियुक्त किया जाये अथवा अन्य व्यक्तियों को, अधिकरण में एक से अधिक कम से कम तीन व्यक्ति अवश्य नियुक्त किये जाने चाहिये। इसमें मैं श्री चटर्जी के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि केवल न्यायाधीश ही नही, वरन्, ऐसे व्यक्तियों को भी इन अधिकरणों में रखा जाना चाहिये जिनकों प्रावधिक ज्ञान और क्षमता हो।

†**श्री केशव आयंगर** (बंगलौर—उत्तर): मैं इन नियमों का स्वागत करता हूं। वास्तव में, इन को तो काफी पहले लाया जाना चाहिये था। इन नियमों में ऐसे बड़े ही अच्छे उपबंध किये गये हैं, जिससे अत्याधिक विशाल क्षेत्रों को अत्यधिक लंबे समय के पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा।

मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि हमें इस क्षेत्र में गैर-सरकारी-क्षेत्र के मार्ग में बाधक नहीं बनाना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय उद्योग है और देश में जो सैंकड़ों-हजारों छोटी-छोटी खानों के मालिक हैं, उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मुझे ज्ञात हुआ है कि इस समय हमने जो नियम बनाये हैं उन से इन छोटी और मध्यमवर्गीय खानों के मालिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि इन नियमों को ऐसे ढंग से न लागू किया जाये जिससे इन खान-मालिकों को कठिनाई हो। इन नियमों से इस प्रकार के नियंत्रण नहीं लगाये जाने चाहिये, जिससें कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ हो।

---

[1]Technical.
[2]Gazette of India.

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : अब गण-पूर्ति हो गई है। सभा इसे आज ही समाप्त करने के पक्ष में है, या कल तक स्थगित करने के ?

†**श्री के० वे० मालवीय** : इसे आज ही समाप्त कर लेना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मंत्री महोदय ने इन नियमों को यहां प्रस्तुत करने में बहुत अधिक समय लगा दिया है। अधिनियम पारित होने के लगभग आठ वर्ष बाद नियम सभा के समक्ष रखे जा रहे हैं।

मैं कोलार स्वर्ण खानों संबंधी जांच-प्रतिवेदन का भी उल्लेख करुंगा। उस समिति में मंत्री महोदय के साथ ही साथ कार्मिक संघों के नेता और प्रविधि विशेषज्ञ भी थे। उस प्रतिवेदन से पता चलता है कि विदेशी व्यापारिक सार्थों ने कोलार की स्वर्ण खानों का किस प्रकार उपयोग किया है।

इतना ही नहीं, कोयला खानों के मामले में भी बड़े-बड़े ब्रिटिश सार्थों ने हमारी राष्ट्रीय सम्पदा को लूटा है। मंत्री महोदय का कथन है कि उन्होंने कोयला खानों के संबंध में १० वर्गमील का प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में यदि १० वर्गमील की कोयला खान रहती है, तो उससे दस करोड़ से लगाकर चालीस करोड़ टन तक अर्थात् २,००० करोड़ रुपयों के मूल्य का कोयला निकल सकता है; अर्थात् एक व्यक्ति के पास इतने मूल्य की सम्पत्ति होगी।

अभी अभी श्री केशव अय्यंगार कह रहे थे इस से छोटी खानों के मालिकों को हानि पहुंचेगी. परन्तु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े-बड़े कोयला समवायों का आज एक प्रकार से एकाधिकार प्राप्त है और इन बड़े समवायों का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का २० प्रतिशत है।

हमें कोयले का उत्पादन बढ़ाना है। हमारा उत्पादन बहुत से देशों से कम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयलो का जो उत्पादन होगा वह इग्लैंड और अमरीका के उत्पादन का १० या १५ ही प्रतिशत होगा। मैं सोच रहा था कि इस लोक-सभा की कालावधि में हम खानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये विधान बना सकेंगे क्योंकि इसकी बड़ी आवश्यकता है। युद्धकाल में इन में बिना किसी योजना के काम होता रहा है इससे अब इन्हें ठीक प्रकार चलाना और भी कठिन हो गया है। हम सिंगरेनी कोयला खान में काम करा रहे हैं। जब एक ब्रिटिश समवाय इसका मालिक था तो उसने उन तहो पर काम किया था जहां से सरलतापूर्वक कोयला निकाला जा सकता था और ऐसे भागों को छोड़ दिया था जहां कार्य नहीं हो सकता था और यदि हो भी सकता था तो उस पर लागत बहुत आती थी। इस प्रकार की कई खानें हैं।

एक कोयला खान में काम करते समय अन्य खानों पर कुछ रुपया खर्च किया जाता है, परन्तु यह विनियोजन अपने पास से नहीं किया जाता है बल्कि पुरानी खान की आय में से ही यह विनियोजन कर दिया जाता है, और कम लाभ दिखा कर आयकर भी कम कर दिया जाता है। इस प्रकार नियमों के अन्तर्गत उचित राशि से अधिक प्रतिकर दिये जाने की काफी संभावना है।

मैं स्वामिस्वों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज से १०० वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के पास कोई खान थी और उसके उत्तराधिकारी एक निश्चित दर मे स्वामिस्व प्राप्त कर रहे हैं उन्हें स्वामिस्व क्यों दिया जाये जब कि वह खान के विकास में कोई सहायता नहीं देता है।

जहां तक न्यायाधिकरण का संबंध है इसके दो अंसहार होने चाहिये। एक टैक्निकल विशेषज्ञ और दूसरा सार्वजनिक जीवन से संबंध रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये ताकि न्यायाधिकरण अधिक प्रतिकर न दे दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

मैं ने कुछ समवायों के काम करने का तरीका देखा है और मैं कह सकता हूं कि उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि ठीक तरीके से काम न करने के लिये उन्हें दंड दिया जाना चाहिये। कुछ खानों की तो यह हालत है कि उन्हें चलाने के लिये लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। परन्तु लागत चाहे कितनी भी क्यों न आये हमें अपनी भूगर्भ-स्थित राष्ट्रीय सम्पत्ति को निकालना है और हमारा यही उद्देश्य होना चाहिये। परिस्थितियों से लाभ उठाते हुये इन योरुपीय स्वार्थों ने हमें लूटा है और उन्हें कोई प्रतिकर नहीं मिलना चाहिये।

श्री बलवंत सिंह मेहता (उदयपुर) : यह जो नियम सदन के सामने रखे गये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। यह नियम तो बहुत पहले ही आ जाने चाहियें थें क्योंकि इन नियमों के अभाव में हमारे राष्ट्र के धन को बहुत हानि पहुंची है। अभी हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि ९० वर्ष के और कहीं कहीं तो ९९९ वर्ष तक के लीज़ (पट्टे) दे दिये गये हैं। ये लीज़ सेकड़ों और हजारों मील के भी दिये गये हैं। मेरा अनुभव है कि जयपुर में एक ही आदमी को ३०,००० मील का लीज़ दिया गया था। जब हमारे मिनरल कन्सेशन रूल (विनिज पदार्थ रियायत नियम) बने तो उनमें यह एरिया १० मील का निश्चित कर दिया गया था लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को बड़े बड़े एरिया के लीज़ दिये गये और उनके लिये केन्द्र ने सिफारिश की थी। मैं चाहता हूं कि हम जो भी नियम बनावें उनका कठोरता से पालन किया जाये। मिनरल कन्सेशन रुल्स में १० मील का एरिया निश्चित कर दिया गया था,लेकिन लोगों को उससे बहुत ज्यादा एरिया लीज़ पर दे दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने न तो उन खानों का पूरी तरह से उपयोग किया और न औरों को उनका उपयोग करने का मौका दिया। मैं आपको दो एक मिसालें देना चाहता हूं। राजस्थान में दो बड़े आदमियों के पास बड़े-बड़े ठेके हैं। एक खेतड़ी में तांबे की खानका ठेका है। अगर भारतवर्ष में कहीं बड़ी मात्रा में तांबा मिल सकता है तो वह खेतड़ी में मिल सकता है। रशियन विशेषज्ञ ने भी अपने रिपोर्ट में इस बात का ऐलान किया है। लेकिन वह खान ऐसे आदमी के हाथ में है जो कि न तो उसका पूरी तरह से उपयोग करता है और न उसको छोड़ता है ताकि दूसरों को उसमें काम करने का मौका मिले। इस ठेके से राष्ट्र को बड़ी क्षति हो रही है और हमको जो तांबा विदेशों से मंगाना पड़ना है और उसके लिये बहुत रुपया विदेशों को देना पड़ता है। यह जो नियम बनाये गये हैं वे बहुत जल्दी लागू किये जाने चाहिये और जो लोग खानों का उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं उनसे खानें ले ली जानी चाहिये।

कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एरिया तो कम है लेकिन खानें बहुत अच्छी हैं। राजस्थान में सीसे और जस्ते की खानें हैं, लेकिन वे ऐसी कंपनी के पास के जो गवर्नमेंट की हिदायतों के बावजूद जितना उत्पादन होना चाहिये उतना नहीं करती है। आज हमारे देश में जस्ते और सीसे की बहुत मांग है, और हमको करोड़ों रुपया जस्ता और सीसा विदेशों से खरीदने में खर्च करना पड़ता है। रशियन एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि य ऐसी खानें हैं कि जिनसे भारतवर्ष की जस्ते और सीसे की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि जो लोक पूरा उत्पादन नहीं करते उनकी लीजेज़ रिवाइज़ (पुनरिक्षित) कर देनी चाहिये या उनसे खानें वापस ले लेनी चाहिये। जो लोग खानों को ठीक प्रकार से नहीं चलाते हैं उनसे भी खानें वापस ले ली जानी चाहिये। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खानों में से अच्छा अच्छा माल निकाल लिया है और हलका माल छोड़ दिया है, और खान को छोड़ते समय उसके खम्भों को गिरा कर माल निकाल लिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि दूसरे लोग उन खानों में काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को दूसरी खोनों के ठेके फिर से दे दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार राष्ट्र के धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये जो लोग उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं उनकी लीजेज़ को रिवाइज कर देना चाहिये या उनसे खानें वापस ले लेना चाहिये और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये, या उनका एरिया कम कर दिया जाना चाहिये।

हमारे रेड्डी साहब नें जो कहा कि जो कंट्रोलर रखा जाये वह अनुभवी आदमी होना चाहिये। इससे मैं भी सहमत हूं, क्यों कि जो अनुभवी आदमी होगा वही अच्छा काम कर सकेगा ।

बहुत से लोग जो कि खानें चला रहे हैं वे मजदूरों का शोषण करते हैं । कुछ लोग खानों को अनसाइंटिफिक (अवैज्ञानिक) तरीके से चलाते हैं जिससे कि अकसर दुर्घटनायें होती रहती है । मेरा सुझाव है कि जो लोग अनसाइंटिफिक तरीके से खानों को एक्सप्लाइट करते हैं और जो उत्पादन नहीं बढ़ाते और इस प्रकार राष्ट्र को क्षति पहूंचा रहे हैं, उनकी खानें ले ली जानी चाहिये और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये ।

†**श्री टेक चंद** (अम्बाला-शिमला) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान नियम ४(२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसके शब्दों में कुछ रूप भेद किया जाना चाहिये । इसमें यह व्यवस्था की गई है कि उप-नियम (१) के अन्तर्गत जारी किये गये किसी नोटिस के अनुसरण में यदि कोई पक्ष नियन्त्रक के समक्ष उपस्थित होता है तो वह उसे अपनी बात कहने का अवसर देने के पश्चात् एक आदेश जारी करेगा । पक्ष तो कोई भी हो सकते है और संभव है कि उनमे से कोई निरक्षर हो तो प्रश्न यह है कि क्या कोई पक्ष किसी प्राधिकृत विधि व्यवसायी के द्वारा अपनी बात नियन्त्रक तक पहुंचा सकता है। नियमों से पता चलता है कि किसी अभिकर्ता द्वारा नियन्त्रक के समक्ष पेशी नहीं हो सकती । उसे स्वयं ही जाना होगा। परन्तु किसी निगम अथवा अवयस्क के संबंध में ऐसा होना असंभव है और यदि कोई निरक्षर व्यक्ति जाता है तो उसको कोई लाभ नहीं होता। नियम १२ (ख), १२ (घ) और (१२) (ङ) में बहुत ही टैक्निकल बातें है जिनके लिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में जानकारी होनी चाहिये और जिनके लिये वकील की सहायता अत्यन्त आवश्यक है। कोई बालक अथवा निरक्षर व्यक्ति कैसे जिरह कर सकता है ? नियमों का पालन करने के लिये कुछ प्रविधिकताओं का अनुसरण करना पड़ता है परन्तु इन प्रविधिकताओं की जानकारी रखने वालों को प्रतिवादित किया गया है।

नियम १० के अन्तर्गत एक व्यक्ति वाला न्यायाधिकरण स्थापित किया जा रहा है। इसमें अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिये और यह शर्त भले ही लगा दी जाये कि अमुक राशि से अधिक धनराशि के अन्तग्रस्त होने पर असफल पक्ष को उच्चतर न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा । यदि आप ऐसा उपबन्ध नहीं करना चाहते हैं तो न्यायाधिकरण तीन सदस्यों का ही रखा जाये । एक व्यक्ति के निर्णय में कोई त्रुटि हो सकती है और यदि आप एक अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं तो आप तीन सदस्यों वाले न्यायाधिकरण बनाइये।

निर्धारित अर्हताओं को देखते हुये न्यायाधिकरण का सदस्य उच्चन्यायालय का कोई न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधिश अथवा न्यायाधिश पद पर नियुक्त किये जाने के लिये अर्ह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। परन्तु वह चाहे कितना ही सक्षम क्यों न हो वह गलती कर सकता है। हमें इन बातों पर विचार करना होगा।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : श्री बंसल, श्री चटर्जी और श्री रामचन्द्र रेड्डी तथा अन्य सदस्यों ने नियमों की जो आलोचना की है उस से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है क्यों कि उन्होंने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखते हुये उनकी आलोचना की है। मेरे विचार से तो नियम बहुत उदार है।

पट्टे की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी नियन्त्रक पर १५ वर्ष तक पट्टा समाप्त न करने का प्रतिबन्ध लगाया गया है। उप-नियम ६ में भी कुछ ऐसी रियायतों दी गई है जहां पट्टेदार के लिये अधिकतम अवधि १५ वर्ष से कम हो, नियन्त्रक उसे समाप्त नहीं कर सकता है बल्कि उसे उस अवधि को १५ वर्ष तक बढ़ाना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रामा राव]

सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इन नियमों को लागू कैसे करती है। मैं चाहता कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि नियन्त्रक इन नियमों को किस प्रकार से लागू करता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने इन खानों को चलाने की क्षमता नहीं है। परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। जो यह कहते हैं वे वास्तव में खनिज सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण और समाजवादी समाज की व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में नहीं हैं। देश में प्रविधिक ज्ञान की कमी नहीं है और यदि हो भी तो, मित्र राष्ट्रों से इसे प्राप्त किया जा सकता है, और कोई कारण नहीं कि खानों का राष्ट्रीयकरण शीघ्र अति शीघ्र न किया जाये।

इन उदार नियमों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिये और खान मालिकों की लापरवाही के कारण जो दुःखद घटनायें होती हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

कोलार की खानों को ही ले लीजिये। उक्त समवाय ने सारा सोना निकाल लिया है और अब जब राष्ट्रीयकरण के लिये कहा जाता ह तो वह समवाय अत्याधिक प्रतिकर की मांग करता है, इन मामलों में सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। नियम ४ में कहा गया है कि वर्तमान खानों के पट्टे "यथासम्भव शीघ्र" नियमों के अधीन कर लिये जायेंगे परन्तु मेरा अनुरोध है कि यह काम छः मास अथवा एक वर्ष के भीतर ही कर लिया जाये।

†**सभापति महोदय** : लोक-सभा अब अन्य कार्य आरम्भ करेगी।

सदस्य की रिहाई

†**सभापति महोदय** : मुझे लोक-सभा को सूचना देनी है कि गोरखपुर के न्यायिक दंडाधीश से २९ अगस्त, १९५६ का एक तार प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री शिब्बनलाल सक्सेना को, जो १९ अगस्त, १९५६ को गिरफ्तार किये गये थे और उसी दिन गोरखपुर की जिला जेल में भेज दिये गये थे, गोरखपुर के जिला सुत्र-न्यायाधीश के आदेश के अनुसार २९ अगस्त, १९५६ को रिहा कर दिया गया है।

कोयला खान भविष्य निधि

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे २५ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दी। मेरे प्रश्न—कि कोयला खान भविष्य निधि के उपबन्धों को कर्मचारी भविष्य निधि के उपबन्धों के समान क्यों न किया जाये—के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने निधि का सदस्य बनने के लिये अपेक्षित अर्हता अवधि का निर्देश किया था।

नियोजक के अंशदान की जब्ती की दर कर्मचारी की सेवा-अवधि पर निर्भर करती है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत सेवा अवधि उस तिथि से गिनी जाती है जब से कर्मचारी सेवा में आता है, परन्तु कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत उस समय से इस की गणना की जाती है जब वह निधि का सदस्य बनता है। इसका यह परिणाम होता है कि वह नियोजक का अंशदान प्राप्त नहीं कर पाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजकल जब कि श्रमिकों को उचित मजूरी नहीं मिलती है वे कुछ बचत नहीं कर पाते हैं और उन्हें भविष्य निधि पर ही निर्भर करना पड़ता है। यह निधि भी पर्याप्त नहीं होती है। मैं ने देखा कि वर्ष १९५४–५५ में ८९८४, व्यक्तियों को सेवामुक्त होने पर कुल ७,५०,००० रुपये मिले जो औसतन प्रत्येक व्यक्ति ८४ रुपये बैठते हैं। इस अल्प राशि से क्या किसी का बुढ़ापा गुजर सकता है।

इस समय ३,४०,००० खनिज ३८० लाख टन कोयला निकालते हैं जिसका वर्तमान मूल्य ७० करोड़ रुपये है। यह सब करने के पश्चात उन्हें भविष्य निधि ही तो मिलती है उसकी गणना भी १९४७ से ही की जाती है जब से कि भविष्य निधि अधिनियम लागू हुआ है। उससे पहले का सेवा काल सम्मिलित नहीं किया जायेगा और वह नियोजक का अंश दान प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी लिये तो मैं सरकार से इन नियमों को उदार बनाने के लिये कह रहा हूं।

प्रन्यासी बोर्ड में जो इस निधि का प्रबन्ध करता है, अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के ८७,००० सदस्यों के लिये चार प्रतिनिधि हैं, हिन्द मजदूर सभा के ३७,००० सदस्यों का एक प्रतिनिधि है परन्तु अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के ३२,००० सदस्यों के लिये कोई प्रतिनिधि नहीं है। असंगठित श्रमिकों का एक प्रतिनिधी लिया गया है परन्तु वास्तव में वह बंगाल कोल कम्पनी का एजंट है। वह किसी मान्य कार्मिक संघ का नेता नहीं है। इस प्रकार असंगठित श्रमिकों के हितों को देखने के लिये प्रबन्धकों में से एक व्यक्ति का नाम निर्देशन किया गया है और संगठित श्रमिकों के प्रतिनिधि नहीं लिये गये हैं। श्रम मंत्रालय इस प्रकार कार्य कर रहा है। इस से श्रमिकों को नहीं बल्कि प्रबन्धकों और नियोजकों को ही लाभ पहुंचने की आशा है।

कोयला न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार कोयले के दाम बढ़ा दिये गये हैं, और १२ करोड़ रुपये नियोजकों के हाथों में दे दिये गये हैं, परन्तु वे पंचाट को ठीक प्रकार से कार्यन्वित नहीं कर रहे हैं। परन्तु जब उद्योग सम्पर्क पदाधिकारी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि उस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : क्या उन्होंने यह कहा कि उन्हे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है? यदि यह ठीक है तो माननीय सदस्य मुझे ब्योरा बतायें मैं कार्यवाही करूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** :१९५१ से १९५६ तक श्रमिकों की उत्पादनक्षमता बढ़ गई है।

†**श्री आबिद अली** : मैं आपत्ति तो नहीं करना चाहता हूं परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कार्यसूची में रखी गई मद् के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमें कार्यसूची में दी गई मद् के बारे में ही चर्चा करनी चाहिये।

†**श्री त०ब०विट्ठल राव** : उपमंत्री महोदय इस बात को नहीं समझ रहे है यह उनके उत्तरों से ही पता चलता है। जब मैं सेवा काल की गणना करने के बारे में कहता हूं तो वह मुझे आर्हता अवधि बताते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बिल्कुल संगत है। मेरा अभिप्राय यह था कि उत्पादन क्षमता बढ़ गई है परन्तु उस से श्रमिक को क्या लाभ हुआ है। उसकी हालत तो वैसी ही रही है। इन श्रमिकों का उत्साह बढ़ाने के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि द्वितीय योजना अवधि में वे ६०० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

मेरी यह मांग है कि तुरन्त एक अधिसूचना जारी की जाये कि सेवा काल की गणना उस तिथि से की जाये जब से कि कर्मचारी सेवा में आया हो न कि तब से जब कि वह निधि का सदस्य बना है। मैं यह भी मांग करता हूं कि अंशदान की दर ६-१/४ प्रतिशत से बढ़ा कर ८-१/३ प्रतिशत कर दी जाये।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : कोयला खनिकों और देश में अन्य श्रमिकों के लिये निवृत्ति वेतन तथा उपदान योजना के लिये एक सामाजिक सुरक्षा विधान अधिनियमित करने की प्रस्थापना अब किस स्थिति पर है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कोयला उद्योग के अतिरिक्त अन्य खानों पर इस भविष्य निधि अधिनियम को लागू करने में क्यों बिलम्ब हो रहा है?

†**श्री आबिद अली** : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तब मेरे हस्तक्षेप करने का यह कारण था कि वह जो शिकायत कर रहे थे, मैं उसे दूर करना चाहता था। मैं उनकी बात को समझना चाहता था जिस से कि उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न कर सकूं। किन्तु उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया क्योंकि जिस बात पर यह चर्चा की गई है, उस में कोई सार नहीं है। उन्होंने ऐसी बातों का उल्लेख किया जिनका कार्यावलि में सम्मिलित दिये गये विषय से कोई संबंध नहीं है। मैं ने उनकी बातों को ध्यान में रख लिया है और मैं उनका उत्तर दूंगा। परन्तु ये बातें कार्यावलि से सर्वथा भिन्न हैं।

नंबर १. अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस को न्यायधारियों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह ठीक है। किन्तु इसके लिये मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। भविष्य के लिये भी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने संगठन से सदस्यों की विवरणियां भेजने और उक्त संघ से सम्बद्ध संस्थाओं के आंकड़े भेजने के लिये कहें। यह विवरणियां उक्त संस्था ने ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अभी तक नहीं भेजी हैं। उसे यह सूचना दे दी गई है कि वह तिथि पहले ही गुजर चुकी है। उससे कहा गया है कि यदि वह निश्चित अवधि के अन्दर अपनी विवरणी नहीं भेजते, तो राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय समिति में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिये इस संगठन को नहीं लिया जाएगा। वह विवरणियां नहीं भेजता है, हमें कोई सूचना नहीं मिलती है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं १९५५ के बारे में कह रहा हूं। और माननीय मंत्री ने १९५६ की बात कही है।

†**श्री आबिद अली** : पिछले साल में भी यही कठिनाई थी। उसने विवरणियां नहीं भेजी थी। यदि वह विवरणियां नहीं भेजता है तो वह हम से कैसे आशा कर सकता हैं कि इस समिति के लिये उस संगठन के प्रतिनिधियों को चुना जायेगा। मैं भविष्य के लिये भी निवेदन करूंगा—कि यदि वह सदस्यों की विवरणियां नहीं भेजेगा तो उसे प्रतिनिधान नहीं दिया जाएगा और उसकी यह शिकायत सदा बनी रहेगी। हम इस विश्वास के आधार पर चलते हैं कि देश में उस के अनुयायी नहीं हैं और उसके कोई संघ सम्बद्ध नहीं हैं। उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : १९५४ और १९५५ में विवरणियां दी गई थीं।

†**श्री आबिद अली** : वह बाद की बात है। वह दोनों को मिला रहे हैं। उन्होंने १२ करोड़ रुपये का उल्लेख किया है। यह ठीक है। कोयले के दाम बढ़ गये हैं। किन्तु न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार, कर्मकारों को लगभग १ करोड़ मासिक अधिक वेतन आदि मिला है। उत्पादन लागत और दूसरी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखने के उपरांत सरकार ने कोयले के दामों का विनियमन किया है। जब उद्योग पर यह अधिक भार डाला गया था, तो स्वभावतः सरकार को यह सोचना

---

†मूल अंग्रेजी में

पड़ा था कि उद्योग द्वारा किस मात्रा तक इस अधिक भार को बर्दाश्त किया जा सकता है। हम खानों को बन्द करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि खानें अच्छी तरह चलें। उद्योग जिस अंश को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे उपभोक्ताओं पर डालना पड़ा, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन आदि में वृद्धि हुई है। पंचाट के निर्देशानुसार उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिये। इसलिये मूल्य बढ़ा दिया गया है। इस के बारे में क्यों शिकायत होनी चाहिये? यह मालिकों को दिया जाता है और उनके द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है।

उन्होंने १५ जुलाई, १९५६ की बैठक का उल्लेख किया। इस का कोई उपयोग नहीं है। कई बार सदस्य, यह सोच कर कि वे अपने दलों के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, यहां भाषण देते हैं। उन्हें यह समझना चाहिये कि वे संसद में चार वर्ष से अधिक समय से हैं, इसलिये उन्हें उत्तरदायित्व की भावना से कुछ यथार्थता की बात कहनी चाहिये। यदि कोई सदस्य संसद् से बाहर चला जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता। वे बाहर निकल गये थे....

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : उन्होंने तो इसे संसद् नहीं बल्कि कांग्रेस भवन बना रखा है।

†**श्री आबिद अली** : वे कांग्रेस भवन से भी बाहर चले गये थे। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। ज़ेल या दूसरी वैध अभिरक्षा को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति बाहर जा सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। इसलिये यदि मुख्य श्रम आयुक्त किसी बैठक का आयोजन करता है और कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। हम तानाशाह नहीं है। हमारा मुख्य श्रम आयुक्त इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह किसी को गिरफ्तार करके अपने पास बिठा ले। इस लिये यह कहना कि वे असहाय हैं वे कुछ नहीं कर सकते, सच नहीं है। पंचाट के लागू होने से पूर्व ही मुख्य आयुक्त ने अफसरों की संख्या बढ़ाने की एक योजना तैयार की थी। क्योंकि इस समय एक अफसर का क्षेत्राधिकार इतना अधिक है कि पंचाट ने जितना अधिक उत्तरदायित्व उस पर डाल रखा है, उस को देखे उसे अपना काम अच्छी तरह करना संभव नहीं होगा। इसलिये अफसरों की संख्या बढ़ा दी गई है। उनका कर्मचारियों से बहुत निकट का संबंध है, किन्तु कठिनाई यह है कि स्वयं माननीय सदस्य का उनसे कोई सम्पर्क नहीं है और झरिया तथा रानीगंज के कोयला क्षेत्रों के कर्मचारियों से तो निश्चित रूप से कोई सम्पर्क नहीं है। इसी लिये वह यह कह रहे हैं। यदि उन्हें घटनाओं का पता होता और निश्चय ही उन्हें गलत सूचना मिली है—तो वह ऐसा वक्तव्य न देते।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं एक सप्ताह पूर्व झरिया में था।

†**श्री आबिद अली** : झरिया इतनी बड़ी जगह है कि यदि कोई व्यक्ति एक महीना भी वहां रहे, तो भी उसे वहां की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः माननीय सदस्य ने जो बात कही है वसी कोई बात नहीं है। समझौता अधिकारी काफी जागरुक और संचेत रहते हैं और वहां के कर्मचारी उस मात्रा तक संतुष्ट हैं ..... (**अन्तर्बाधा**)

इस अन्तर्बाधा से क्या लाभ है? यदि माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें खड़े होकर अपना भाषण पूरा करना चाहिये। इस से स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे सदस्य होने के नाते अधिक उत्तरदायित्व की भावना से बोले। कभी कभी अन्तर्बाधा ठीक हो सकती है परन्तु हर समय नहीं।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : इस बात का निर्णय करना अध्यक्ष महोदय का काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार** : हमारी ओर से यह प्रार्थना की गई थी कि खान मालिक उठ कर चल जाते हैं और समझौता अधिकारियों के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें और अधिक शक्तियां दी जायें।

†**श्री आबिद अली** : औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक संबंधी चर्चा के समय मैं ने इस बात का उत्तर दिया था। इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। उसी तर्क को पुनः दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति असन्तुष्ट ही रहना चाहता हो उसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। केवल विवेकशील व्यक्तियों को ही संतुष्ट किया जा सकता है। अतः शक्ति न होने के उन के तर्क के बारे में यह बात है कि न्यायालय से भी लोग बाहर निकल जा सकते हैं।

हमारा औद्योगिक संबंध शासन यंत्र निश्चय ही प्रभावी है, और जैसा कि मैं कह रहा था कि जिस ढंग से यह शासन यंत्र अपना काम कर रहा है उसे कर्मचारी पूर्णरूपेण संतुष्ट हैं।

सेवा-निवृत्ति के बारे में, मुझे मालूम नहीं माननीय सदस्य को क्या कठिनाई है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में जारी की गई थी। चर्चाधीन योजना १९४८ में जारी की गई थी। जो तीन वर्ष से या पांच वर्ष से या १० वर्ष से कम समय के अन्दर सेवा-निवृत्त हो रहे हैं, वे सब अधिसूचना के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं। केवल १५ वर्ष की अन्तिम मद रह जाती हैं। वे भी इस योजना के १५ वर्ष चल चुकने पर शीघ्र ही इस योजना के अन्तर्गत आ जाएगे।

सामान्य योजना और कोयला खान भविष्य निधि योजना में अन्तर है। सामान्य योजना के अधीन जिस कर्मचारी ने एक वर्ष की सेवा पूरी की हो, वह उस में सम्मिलित हो सकता है, जब कि कोयला खान भविष्य निधि योजना में वे ही कर्मचारी आ सकते हैं जिन्होंने भूमि के नीचे ५४ दिन की सेवा पूरी कर ली है, और वह अन्य कर्मचारी आते हैं जिन्होंने ६६ दिन की सेवा पूरी की है। उन्हें अपने मालिक बदलने की स्वतंत्रता है, जब कि दूसरी योजना के अनुसार वह व्यक्ति को अधिनियम के लागू होने से पूर्व के समय के लिये इन सुविधाओं की प्राप्ति के हेतु उसी मालिक की सेवा में रहना आवश्यक है। कोयला खान भविष्य निधि योजना में इस प्रकार की किसी चीज़ का उल्लेख नहीं है। चाहे वह अन्य मालिक के पास रहा हो तो भी योजना का सदस्य रह सकता है। यही अन्तर है और यह बड़ा बहुत अन्तर है। वहां एक वर्ष का समय है और यहां ५४ दिन का समय है। वहां एक ही मालिक की शर्त है किन्तु यहां सामान्य बात हैं और कर्मचारी किसी भी कोयला-क्षेत्र में जा सकता है और फिर भी वह कोयला खान भविष्य निधि योजना का सदस्य रह सकता है। माननीय सदस्य को कर्मचारियों के लाभार्थ किये गये इस बड़े अन्तर को समझना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि इस योजना के प्रशासन के लिये न्यासधारी हैं और हम जो कुछ करते हैं, उन की मंत्रणा के अनुसार करते हैं। हमने जिस परिवर्तन करने की प्रस्थापना की है उसे उन्होंने एक मत से स्वीकार किया था और उनकी मंत्रणा पूर्णतः स्वीकार करली गई थी। माननीय सदस्य ने जो बात अभी कही है वह किसी भी समय विचार के लिये न्यासधारियों क बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। यदि मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया परिवर्तन करना भी चाहूं तो भी मैं उसे नहीं कर सकता, मुझे उनसे परामर्श करना होगा। इस बात पर पूर्ण रूप से विचार करना होगा कि यह किस सीमा तक कर्मचारियों के लिये लाभदायक होगा। न केवल इस परिवर्तन के बारे में, अपितु किसी भी परिवर्तन के बारे में न्यासधारियों से परामर्श करना होगा। परन्तु इस मामले में, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके बारे में उनसे परामर्श नहीं किया गया है। यदि वे इस बात को ले और यह समझे कि कर्मचारियों के भलाई के लिये ऐसा करना आवश्यक है, तो वे इस आशय का संकल्प पारित कर सकते हैं, कोई उन के मार्ग में बाधक नहीं हो सकता है।

किसी सहायक प्रबन्धक के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वह अभिकर्ता है, अर्थात् महाप्रबन्धक से निचले पद का व्यक्ति है।

†**श्री आबिद अली** : किन्तु तथ्य यह है कि इस योजना में महा प्रबन्धक भी सदस्य हैं, क्योंकि वे भी कर्मचारी हैं। जहां तक अधिनियम का संबंध है, यह इस श्रेणी के कर्मचारियों को भी कर्मचारी ही मानता है, इसलिये वे भी निधि के सदस्य बन सकते हैं। अतः उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है जो सर्वथा उचित है।

यदि वह संकल्प वहां बहुमत से पारित हो गया होता या माननीय सदस्य का सुझाव बहुमत से अस्वीकृत हो जाता, तब यह प्रश्न उत्पन्न होता। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमने जो प्रस्ताव स्वीकार किये हैं वे सर्व सम्मति से पारित किये गये हैं। इस लिये किसी व्यक्ति के महाप्रबन्धक या उस से भी उच्च पद पर होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। श्रमिकों के प्रतिनिधि भी वहां थे और सर्वसम्मति से संकल्प को पारित करने में वे भी सम्मिलित थे।

असंगठित कर्मचारियों के बारे में भी अधिनियम में प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया है। उन्हें भी न्यासधारियों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसके लिये अधिनियम में अनुमति नहीं थी। हमने वही काम किया है जिसका न्यासधारियों ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया है; उसी को हमने स्वीकार कर लिया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह प्रश्न का अंग भी नहीं हैं। जब उन्होंने मुझ से अनुपूरक प्रश्न पूछा था तो मैं ने वही उत्तर दिया जो मैं उचित समझता था। हो सकता है उस से माननीय सदस्य संतुष्ट न हुये हों, परन्तु मैं असमर्थ हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उस से अध्यक्ष महोदय भी संतुष्ट नहीं हुये थे।

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य यही तो कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय यहां नहीं है। अन्यथा मुझे विश्वास है वह माननीय सदस्य की इस बात से कदापि सहमत न होते।

इन शब्दों के साथ मैं निवेंदन करूंगा कि शिकायत का कोई कारण नहीं है। जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं उससे वे बहुत संतुष्ट हैं और बहुत प्रसन्न हैं, और माननीय सदस्य भी हृदय में इससे प्रभावित हैं।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : मैं मालिकों और कर्मचारियों के न्यायधारियों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व संबंधी कोयला खान भविष्य निधि योजना के उपबंधो की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करुगा।

†**सभापति महोदय** : वास्तविकता क्या है?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: उन्होंने कहा कि मुख्य प्रबन्धकों को प्रतिनिधित्व दिया जाये। यदि वह मालिकों के अभ्यंश में से उन को प्रतिनिधित्व दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

वहां अभिकर्ता को रखा गया है तो क्या वह असंगठित श्रमका प्रतिनिधि है? वह सभा को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : मेरा निवेदन यह है कि अधिनियम और विधि की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं निश्चित नहीं हैं। जहां तक कि स्थानीय कोयला खनिकों का सम्बन्ध है, वे माननीय सदस्य से बहुत दूर हैं। तो ऐसी बातें कहने से, जिनके बारे में उनको स्वयं पता न हो, क्या लाभ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री नम्बियार** : मेरे प्रश्न का उत्तर नही दिया गया है।

†**सभापति महोदय** : यदि वह उत्तर नहीं देते हैं, तो मेरा उन पर कोई वश नहीं है। मैं उन्हें उत्तर देने के लिये बाध्य कैसे कर सकता हूं?

इस के पश्चात लोक-सभा, शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ३० अगस्त १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५९७

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) विमान निगम नियमों में और आगे संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या ७—सी० ए० (२)/५५ दिनांक २६ अप्रैल, १९५६ ।

(२) जीवन बीमा निगम नियम ।

(३) जीवन बीमा निगम की सदस्यता और उसके क्षेत्र तथा विभाग वार कार्यालय ।

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य १५९८–१६०२

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म. च. शाह) ने बीमे के राष्ट्रीयकरण की प्रगति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

राज्य सभा से संदेश १६०३–०४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेश बतायें :

(१) कि राज्य सभा अपनी २८ अगस्त, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १७ अगस्त, १९५६ को पारित किये गये बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(२) कि राज्य-सभा अपनी २८ अगस्त, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २२ अगस्त, १९५६ को स्वीकृत विस्थापित व्यक्ति (पुनर्वास तथा प्रतिकर) नियम, १९५५ के रूप-भेद सम्बन्धी प्रस्ताव से सहमत हो गई।

विधेयक पारित १६०४–३८

(१) राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक पर खण्डवार विचार किया गया। विचार समाप्त हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(२) राज्य वितीय निगम (संशोधन) विधयक, १९५६ पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

पृष्ठ

सरकारी संकल्प विचाराधीन १६३८–४८

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० द० मालवीय) ने खान निबन्धनों के रूपभेद के नियमों के बारे मे संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सदस्य की रिहाई के बारे में सूचना . . . १६४८

सभापति ने बताया कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना की जो १९ अगस्त, १९५६ को गिरफ्तार किये गये थे गौरखपूर के जिला सेशन जज के आदेशानुसार २९ अगस्त, १९५६ को रिहा कर दिए गए।

प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होने वाले विषय पर आधे घंटे की चर्चा..... १६४८–५४

श्री त० ब० विट्ठल राव ने कोयला खान भविष्य निधी के बारे में २५ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर से उत्पन्न होने वाले विषयों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई। श्री आबिद अली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६ के लिए कार्यावलि--

खान ठेके (निबंधनों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प पर आगे और चर्चा

भा० स० मु० ना० वि ३--२३४—लोक सभा--१९-१२-५७—१९०.